

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262891 CG-DL-E-05052025-262891

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, शनिवार , मई 3, 2025/ वैशाख 13, 1947 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 2025/ VAISAKHA 13, 1947

No. 244]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2025

#### सं. 43/2025

सा.का.िन. 287(अ)—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पिठत धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिपत नाम आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2025 है ।
  - (2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे
- 2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

2943 GI/2025 (1)

		भारतीय आय कर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के			F	र्धाः	रण द	वर्ष	
७ॐ४ ″	आ.क.वि-2	लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [ कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए ] (कृपया अनुदेश देखे)	2	0	2	5	-	2	6

भाग	क-साधारण	साधारण													
	(क1) प्रथम	नाम	(क2)मध्य ना	म	(ক	3)अंति	म नाम			(ক4)	स्थार्य	तेख	ा सं.(	पैन)	
	(क6)फ्लैट,	/द्वार/ब्लाक सं.		(क7)परिस	तर / भव	न /ग	ांव का न	नाम				थेति (	सही व	का नि	शान
									-		() <u>N</u>				
		0			<del>-00</del>		. 26					हिन्दु	आवभ	-। क्त	कुटुम्ब
크	(क8)माग <i>,</i> 	/ गली / डाकघर		(ক14) जन	भाताथ / /	/ गठन	/ (।ताथ	4 / HI	₭ / י	<b>리</b> 익)					
व्यक्तिगत सूचना	(क9)क्षेत्र	/ अवस्थान			<u>'</u> धार संख	 य्रांक (	12 अंक	<u> </u>							
됐	, ,														
व्यक्	(क10)नगर	र / शहर / जिला	-	(क11)राज					(ক1	3) पि	ानको	ਤ / f	जेप व	गेड	
				(क12)देश	T										
	(क 16) निव	गस/कार्यालय का	। एस टी डी कोउ	द सहित फ्र	ोन नं /	<u>க</u> 1	7) मोता	र्दल नं	. 2						
	मोबाईल नं		X (1.01.01 4 1)	o diigdi i	1 1 1. /	(4.1	7) 11141	2(1 1							
	(क18)ई मे	ल पता -1 (स्वयं क	স)		(ক	19)ई मे	ोल पता	-2							
		(क1 <b>i)</b> धारा के अ		□139	(1)- नि	यत ता	रीख क	गे या	उसर	मे पूर्व	<u> </u>	39(4	<b>1)</b> - वि	लंबित	₹,
		(सही का निशान	लगाएँ) [कृपय		(5)-पुन										
	(ক20)	अनुदेश देखिए ] (क 1 <b>ii</b> ) या धारा ह	क्र अलीच	119	9(2)(ख	<b>)-</b> Id୯	म्बि का	माफ	करन	фч	श्चित	<u> </u>			
		सूचना के प्रत्युत्तर		□ 139	9(9)	142(	1) [	<b>⊒148</b>		1153	ग				
		क्या आप नई कर		चयन करवे	<b>म धारा</b>	115 ख	कग(6)	के अ	धीन	विक	ल्प क	ा प्रयं	ोग क	रना च	ग्रहते हैं
	<b>(</b> क2 <b>)</b>	(डिफाल्ट रूप में			2.2.6			_	0	_	0	_	_		
C.H.	(1.2)	टिप्प्णः बाहर निक	न्लने का विकत	त्प चयन क	रने के रि	लेए,धा	रा 139(	(1) के	अधी	न विव	रणी	सहित	न विक	ल्प व	ग चयन
फ़ाइलिंग का स्टैटस		करना चाहिए। क्या आप आय विवर	णी धारा १३९(१)	के सातवें प	रन्तक के	अंतर्गत	दायर क	नर रहे	हैं अन	यथा उ	भाय वि	वरणी	प्रस्तत	करना	अपेक्षित
<u>च</u>	_	नहीं□हां□नहीं													
इलि	(ख)	यदि हां, तो कृपया नि [नोट: तभी भरा जाए	प्रालाखत सूचना प्र यदि किसी व्यक्ति	स्तुत कर 1 को धारा 13	19(1) के उ	अंतर्गत उ	आय विवर	णी प्रस्त	त क	रना अ	पेक्षित र	नहीं है	परन्त	धारा १	39(1) के
4		सातवें परन्तुक में उलि	लेखित एक अथव	ा एक से अधि	क शर्तीं व	ने पूरा क	रने के क	गरण अ	1य वि	वरणी व	रायर क				
	( <b>ख</b> i)	क्या आपने पूर्ववर्ष के रकम जमा किया है?		गधक चालू ख	ात म १ व	ग्राड़ रुप	पए स आ	धक रव	ञ्म या	सकल	ſ	<b>(</b> यदि ।	हां है तो	) रक	₹ <b>(</b> ₹ <b>)</b>
	(खii)	क्या आपने स्वयं के ि	लेए या किसी अन			यात्रा के	लिए 2 ल	गुख रुप	गए से	अधिक	5	(यदि इ	हां है तो	) रका	स <b>र</b> ू
	(खiii)	रकम या सकल रकम क्या आपने पूर्ववर्ष के	। का व्यय उपगत दौरान विदयत के	ाकया ह? <b>(</b> हा उपभोग के वि	<b>/</b> नहा <b>)</b> तेए १ लाख	रुपए से	। अधिक र	रकम या	सकर	न रकम	т				
		का व्यय उपगत किय	ा है <b>? (</b> हां/नहीं)									(याद	हां है तो	) रका	∃ <b>(</b> ₹)
	(खiv)	क्या आप धारा 139 दाखिल कर रहें हैं वि	(1) क सातव पर केंत आयकर वि	तुक क अधा वरणी प्रस्तत	न ानधाा करने र्क	रत शता ो अन्यथ	क अधाः 11 आवश्य	न आयः यकता न	कर ाव नहीं है	वरण ? (हां,	,	(হি	ोह) ·	हां - न	हीं
		नहीं) (यदि हां, तो र्द	ो गई तालिका से	प्रासंगिक श	र्त का चय	ान करें)							`,		
	(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुवि और मूल विवरणी फ	टयुक्त ह ता  रस गडल करने की त	ाद स0 गारीख									/	/	
	(-)	प्रविष्टं करें। (तारीख	ा/मास/वर्ष)										-		
	(ঘ)	यदि धारा 139(9)/1 की प्रतिक्रिया में दा									चे । (	यूनिक		/	/
		नोटिस अथवा आदेश	रा की तारीख भरे वासी	İΙ							'	नंबर)			-
	(ङ)	ા ઝા.ન	19141	□ पिछले	पथ क दा	रान आप	। भारत म	1824	ા બાધ	ጥ ነር -	14 1	यारा 6	(1)( <b>क</b> )	) [	

		•				0 2 2 0 2 26 2
					के दौरान आप भारत में 60 या अधि हे है [धारा (6)(1)(ग) ]    जिहां स्पर्ष्ट	क दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत किस्सा 1 लास नहीं होता है 1
						जनार्थ, भारतीय जहाज कर्मीदल के सदस्य के
		भारत में				जनाय, नारताय जहाज वर्गावरा वर रावरच वर ारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4
		निवासीय		वर्षों में 365 वि	रेन या इससे ज्यादा के लिए भारत में	ंथे [ धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क) ]
		प्रास्थिति(		🗆 आप भारत	न के नागरिक है या भारतीय मूल के	व्यक्ति है और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान
		व्यष्टि के लिए) (लागू विकल्प का चयन करे)				865 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे
		का वयन कर)		या उससे अधि		65 दिनों या इससे अधिक के लिए , यदि कुल
				आय विदेशी	या इरोरा जायक राया गरा ४ वया म उ स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 व	ताख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के
				स्पष्टीकरण १(		
					10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिव	
				□आप पिछले	7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन	या उससे कम भारत में रहे है [ धारा 6(6)(क)
				1	2 0 3: 0	
			आ. निवासी परंतु	□ आप भारत	त के नागारक हे, या भारताय मूल के हुने में से अपन के अधिरात 45 क्या	व्यक्ति है जो भारत में आया है जिसकी कुल
			साधारणतया निवार	सी   जाय ।वदशा र	लाता से आय के जातारक्त 15 लार नों से अधिक किंतु 182 दिनों से क	व रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के प्रस्टा है।शास ६/६/(ग)
			नहीं	ा आप भार	त के नागरिक है जिसकी कल आय	न रहा ह्यारा जिल्हाना विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष
				के दौरान 15	लाख रू. से अधिक है और किसी	अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं आपके
						ा के मानदंड के कारण[धारा (6)(6)(घ) धारा
				6(1क)] के सा		
			इ. अनिवासी		के दौरान आप अनिवासी थे	
			Q		ज्ल वष क दारान ानवास का आधक निवास की अधिकारिता	ारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करे - करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)
				क्र.स.	ानवास का आधकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याए)
				1	(जाववगारतार्)	
				2		
				(ii) भारतीय न करे-	गिरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (	पीओंआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट
					न दौरान भारत में ठहरने की कुल	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने
					अवधि (दिनों में)	की कुल अवधि (दिनों में)
		भारत में	± = <del>C</del>	 ] निवासी परंतु साधार	णतया निवासी नहीं 🛮 अनिवासी	<del>}</del>
		निवासीय प्रास्थिति (हिंदु	इ. 🗆 गिपासा 🗅	ાગવાસા વસ્તુ સાવાસ	जातवा निवासी नहीं 🗀 जानवास	ı
		अविभक्त				
		कुटुम्ब के				
		लिए) (लागू				
		विकल्प का				
		चयन करे)			हते है (निवासी की दशा में लागू)	Dai Dai
	(च)				हित है (निवासी की देशी में लीगू)   शासित किए जाते हैं? (सही का नि	□हां □ <b>नहीं</b> शान लगाए <b>छ</b> छटां छ <b>नहीं</b> यरि
	(छ)	"हां",कृपया अनुस्		तारावित साठ्या द्वारा	। सातित १४७५ जात है: (राहा प्यान	RIP (PIR) E LOI LPIOI(PIR
	(ज)	क्या आप एफ.पी.	.आई हैं? हां/नहीं यि	दे हां, सेबी रजिस्ट्रीकर	ण प्रदान करें	
	(돶)	विधिक इकाई पह	हचानकर्ता ( एल.ई.अ	ाई) ब्यौरे (अनिवार्य है	यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रूपए या	अधिक है)
		एल ई आई सं.			तक वैध है	
			ो प्रतिनिधि निर्धारि	ती द्वारा दायर की ज		हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत
	(ञ)	करें -				
		( )	1धि का नाम			
		(2) प्रतिनि	1धि की क्षमता (ड्राप	ग डाऊन उपबंधित <b>रि</b>	केया जाए)	
		(3) प्रतिनि	ाधि का पता			
		(4) प्रतिनि	१धि का स्थायी खात	<b>ा संख्या (पैन)/</b> आध	गर	
	(ट)		। वर्ष के दौरान किर नलिखित सूचना दे		रुसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही	का निशान लगाये <b>)⊠ □हां □नहीं</b>
		कंपनी का	कंपनी का	 पैन	क्या उसके शेयर सूचीबद्ध है या	Chus usan viva sharing
		नाम	प्रकार	<b>ฯ</b> न	असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)
		Ι Τ	(ड्राप डाउन			
			प्रदान किया जाना है)			
		क्या पिछले तर्ष व		ाय आएके पास अस	। चीबद्ध साधारण शेयर थे २ (यर्द	_
1	(ठ)	1711700144V	- पाराना वर्षा स	ाथ जायक यास जस् हिंध में निम्नलिखित र	(नानक्षर भागारंग राजर अः (तर्	1 32 1 1 30 1 30 119) EL EL EL EL 1191

	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरं अधि	भिक ।शेष		वर्ष के दौर	ान अर्जि	त शेयर		वर्ष वे अंतरि	रु दौरान त शेयर	અધિ	तेम <b>।</b> शेष
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मुल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
	<b>1</b> क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

# विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

वेतन	वेतन से आय का ब्यौरा			10.3		
नियोज	क का नाम	नियोक्ता की प्रकृति (टिक) 🗹 करें			जक का टे	
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)		(आइ	ापक याद	कर काटा गया है)
नियोज	क का पता	नगर / शहर	राज्य			<b>पिनकोड /</b> रि कोड
	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड + 1 क धारा 17(1) के अनुसार वेतन(ड्राप डाऊन उपव धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य(ड्रा जाए) ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ(ड्रा घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिव से आय व किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के आय पर छूट का दावा किया गया। (एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के					काड
1	यक्त वेदन (१क. १ ग्रह । १ए । १ए । १	<u> </u> 라. 1판		[.	1	
ı			1क			
	शारा 17(1) के अनुसार परिलक्षिशों का म	ला(दाए दाद्धन उपहुंधिन किया	147			
	जाए)		1ख			
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय ला	भ( <b>ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए</b>	1ग			
	घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रर	वे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ঘ			
	। स्वअध		1ङ			
	च किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 890 आय पर छूट का दावा किया गया।	क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग	1च			
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वे	तन के लिए बहु पंक्तियां जोडे)				
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)				2	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भव (ई-फाईलिंग उपयोगिता में <b>ड्रापडाऊन उपबं</b> रि (नोटः यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) मे	त्ते <b>धेत किया जाए</b> ) (कृपया अनुदेश देंखे) i कुल निवल वेतन में शामिल किया गय	ा है)		3	
<b>3(</b> क)	घटाएं: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत					
4	कुल वेतन <b>(2 - 2क – 3</b> क)				4	
5	धारा 16 के अधीन कटोतियां (5क + 5ख -	+ <b>5</b> ग)			5	
	क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क				
	<b>ख</b> धारा <b>16(ii)</b> के अधीन मनोरंजन भत्ता	5 অ				
	ग धारा <b>16(iii)</b> के अधीन वृत्तिक कर	5ग				
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 – 5)		•		6	

अनुसृ	्ची गृह सं		उपबंध करें ।	प्राप्त आय व	<b>ा ब्यौरा</b> (कृपया अनुदेशों को देखें	वें) <b>(</b> संपत्ति के स्व	ामित्व को उ	उपदर्शि	ति कर	रते हु	ए ड्राप	डाड	उन का
	1	संपत्ति 1 का पता			नगर / शहर	राज्य	देश	पिन	कोड	/जिप	कोड	-	
Œ	•												
गृहसंपति		क्या संपत्ति सह-स्वा	मित्वाधीन है ?	हां□ नहीं□	🗆 (यदि हां तो कृपया निम्नलिखि	त ब्यौरे प्रविष्ट	करें)						
		संपत्ति में आपके श	रोयर की प्रतिशत	ाता (%)									

		0 0 3			_	٠.		_		_	<del></del>		_		_
		सहस्वामी (स्वामियों) का नाम					ग स्था संख्य	यी खाता '	स	गत्त ग	म शर	पर क	प्रतिश	तता	
	Т			1891	147/ 9	niais	तख	1.							
	i														
	ालाः	। गू विकल्प पर <b>⊠</b> का निशान  किराएदार का नाम(यदि	किराएट	ार व	न स्थार	र्जी खा	ता संख	या(पैन)/	f	केशाः	ग्दार	किरा	एदारों)	கா	
	त्या लगा	एं] (सही का निशान लगाएं) किराये पर हो)					ता संखे टि देखे						डीएस ोडीएस		का
							•	,	,			<sub>र्</sub> ग्यां ज			
		मिंद किराए पर हो													
		वयं के उपभोग में													
	<b>⊔</b> ा गया	केराये पर दिया हुआ समझा													
		। । प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेट	बल मल	<u>т</u>					<b>1</b> क	Т					
		किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		ख											
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्तकर	1	ग											
	घ	योग (1ख + 1ग)		घ											
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य,यदि अधिनियम की आदि में है	धारा 2	3(2)	के अन्	ुसार	स्वयं व	ने दखल	1ङ						
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वामित्व भाग का प्रा	तेशत x	1ङ	)				1च						
	_	1च का 30%	_	छ											
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरे ई-फाइलिंग ग दिए जाने वाले डापडाउन में भरे जाएं )	में 1	ज											
	झ	योग (1छ + 2ज)							1इ	ı					
	ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या व	सूल नहीं	किय	ा गया	किरा	ग		1ত						
		गृहसंपत्ति 1 सेआय (1च – 1झ + 1ञ)							1ਟ	1					
	(प्रत्ये	क संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथ्कत: भरें)													
2	आय	ा/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो <b>*</b>							2						
3		<b>इ संपत्ति से आय "शीर्ष के अधीन आय (∑1ट + 2)</b> (यदि 2i अंक लेवें)	रे नकारा	मक	हो तो	सीवाः	ईएलए	अनुसूची	3						
टिप्पण▶	इस निटि	शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीअ हिंप्ट निकासी आय को सम्मिलित करें ।	ाई अनुस्	्ची मं	ों निर्दि	ष्ट व्य	क्ति क	ो विनिर्दि	ष्ट आय	'और	पीटी	आई	भनुसूर्ची	में	
टिप्पण▶								ाटा जाता	है						

अनुस् पूर्ज अभिल	ाची ो गाभ	पूंजी	अभिलाभ					
लाभ	अ	अल्प	कालिक पूंज	नी आं	भेलाभ (अपूंअ)(उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए	लागू नहीं है)		
पूंजी अभिलाभ	। अभिलाभ	भूमि	या भवन य	ा दोनं	ों के विक्रय से <sub>।</sub> प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
	भ अभि	1	क्रय/अर्जन	की त	गारीख /मास/वर्ष क्रय/अंतर	रण की तारीख/मास/व	ार्ष	
	अल्पकालिक पूंजी		क	i	प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	कां		
	ल्पकारि			ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii		
	ર્ક			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिकल का पूर्ण मूल्य [यदि (कां), (कां) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (कां)लेंगेंअन्यथा (कांं) लेंगें।	कiii		
			ख	धारा	48 के अधीन कटौती			
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा		

		ii	सूचीबद्ध के बिना र	मुधार की लागत	र	gii					
		iii	अंतरण के संबंध मे व्यय	i पूर्णतया औरअनन्यरूप से	ख	Xiii					
		iv	कुल (खां + खांi +	खiii)	ख	Tiv					
	ग		शेष (कiii – खiv)		1	।ग					
			54ख के अधीन क दिष्ट करें)	टौती (नीचे मद ई में ब्यौरे	1	।घ					
	ङ	संपि	त्ते पर अल्पकालिक	पूंजी अभिलाभ (1ग- 1घ)						अ1ङ	
	च	अचल	त संपत्ति के अंतरण	की दशा में कृपया निम्नलिखित ब	गौरे प्रस्तुत व	<b>हरें</b> (टिप्पण	'देखें)				
		क्रं सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर		त्ति का पता कोड़, जिप कोड़	पिन कोड	राज्य		
	<b>टिप्पण►</b> पै केताओं की	ोन/ अ दशाः	भाधार नं. का दिया ज में संबंधित प्रतिशत शे	ाना आज्ञापक है यदि धारा194-इ ोयर और रकम उपदर्शित करें ।	म्रक के अर्ध	ीन कर का	टा जाता है	एक से उ	 अधिक		
2	इक्विन् इकाई,जिस् के परंतुक	टे की र पर (एफ	ा पारस्परिक निधि ( इकाई से,या कारब धारा 111क या धार आईआई के लिए) के पा है (जहां क 3 लाग	<b>ार न्यास की</b> जुलाई, 2024 रा 115कघ(1)(ii) हुआ था अधीन एसटी टी	से पूर्व	हा अंतरण उसके	23 जुलाई <b>, 2</b> पश्चात् हुआ	<b>१०२४</b> क 'था ।	ा या		
			फल का कुल मूल्य			2क					
	ख	<u> </u>	' 48 के अधीन कटौ								
		i	सूचीबद्ध के बिना उ	।र्जन की लागत		खi					
			सूचीबद्ध के बिना स्			खii					
		iii ,	अंतरण के संबंध में	पूर्णतया और अनन्य रूप से व्य	य	खiii					
		iv	कुल (i + ii + iii)			खiv					
			शेष (2क – खiv)			2ग					
	घ	के वि भीतः बोनः	लेए, यदि आस्ति अ र क्रय/अर्जित की स प्राप्त किया गया	।(8) के अधीन अननुज्ञात हानिय ाभिलेख की तारीख से पूर्व ती गई है और यूनिट का लाभां : है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के ो होगी (केवल सकारात्मक मूल	न मास के रा/आय या विक्रय से	2ঘ					
		साध	ारण शेयर या म्यूचु +2घ)	अल फंड उन्मुख इक्विटि (संदन्	त एसटीटी)		<b>2</b> ड. i	<b>2</b> ड. ii		अ2ङ	
3	अनिवासिय	ों के ि	लिए, किसी भारतीय	7 कंपनी के शेयर या डिबेंचर क 1 मुद्रा के समायोजन के साथ सं	ा विक्रय प्र गणित होर्ग	<b>रुप</b> एफआ ो)	ईआई <b>में नह</b>	हीं होगा	(धारा		
	क	धारा	111क के अंतर्गत	आने वाले संव्यवहारों पर एसटी	सीजी (अ :	3 कi+ अ	3 ii)			अ3क	
	i	जहां	अंतरण 23 जुलाई <b>, 2</b>	024 से पूर्व हुआ था ।							
	ii	जहां	अंतरण २३ जुलाई <b>, २</b>	<b>.024</b> को या उसके पश्चात् हुआ १	ग।						
	ख	क्र.सं	i. 3क के अंतर्गत न	आने वाले शेयरों के विक्रय से य	ग डिबेंचरों	के विक्रय	से एसटीसी	जी		अउख	
4	अनिवासी व	के लि	ए-धारा ११५कघ के	<b>अनुसार</b> एफआईआई <b>द्वारा प्रति</b>	भूतियों (ज	ो अ2 से वि	भेन्न है)के वि	क्रय से			
	क	i	निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज				सम्मिलित ह	ोने की द	शा में		
			मूल्य	ए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य		ς,					
		•	<b>ख</b> विहित रीति में मूल्य	अवधारित कोट न किए गए शेयरो		बाजार					
				के प्रयोजन के लिए धारा 50गक न किए गए शेयरों के संबंध में प्रति का उच्चतर)		र्ण i	ग				

			कोट न किए गए शेयरों स <u>े</u>	ो भिन्न प्रतिभूतियों वे	के संबंध मे	ां प्रतिफल	1 का पूर्ण				
			नूल्य								
		iii 🧃	कुल (iग + ii)					क iii			
	ख	۶	गरा 48 के अधीन कट								
			i सूचीबद्ध के बिना					खi			
			ii सूचीबद्ध के बिना	सुधार की लागत				खii			
			iii अंतरण के संबंध म	में पूर्णतया और अ	नन्य रूप	से व्यय		खiii			
			iv कुल (i + ii + iii)					खiv			
	ग		शेष (4क iii – खiv)					4ग			
		धारा	94(7) या धारा 94(8	) के अधीन अन्नु	ज्ञात हानि	ोयां उदाः	हरण के				
	_	लिए,	यदि आस्ति अभिलेख	व की तारीख से	पूर्व तीन	मास् क	र्ग भीतर				
	घ	क्रय/	अर्जित की गई है और	्यानट का लाभ	ाश/आय	या बान	स प्राप्त	4ঘ			
		किया	। गया है तत्पश्चात् ऐर्स	ा आस्तिया क व	क्रिय स	उत्पन्न ह	गान का				
			खी होगी (केवल सका								
	ङ		गईआई <b>(जोअ2 से भिन्न</b>	हा)द्वारा प्रातभू।त	ाया के वि	क्रय पर प	अल्पकााल	१क पूजा	आभलाभ(४ग +	अ४ङ	
_	गार्थिक अ	4घ) 1 मा २	12 या अ3 या अ4 से भि	ल अफियों के दि	क्या गे						
5	उपयुक्त अ क	। पाउ	12 या <b>अ3 या अ4 स</b> 14 विक्रय की गई प्रतिभूतिय	ात्र आस्तिया क वि मों में कोन किए गए	। फ्रय स						
	qr qr		विक्रय का गई प्रातमूति शेयरों से भिन्न कंपनी के								
			होने की दशा में निम्नर्ला								
			<b>क</b> कोट न किए	गए शेयरों के संबंध	<u>।</u> में प्राप्त /	र पास्य परि	नेफल	iक		-	
			का पूर्ण मूल्य		יו אולוי	м м	(14/(1	147			
			<b>ख</b> विहित रीति म	में अवधारित कोट न	न किए गए	शेयरों क	ग उचित	iख			
			बाजार मूल्य								
				भ के प्रयोजन के लि	ाए धारा ५०	0गक के	अनुसार	iग		_	
			अंगीकृत कोव	ट न किए गए शेयरों	ां के संबंध	में प्रतिफ	न का				
			पूर्ण मूल्य (क	या ख का उच्चतर)	)						
			कोट न किए गए शेयरों	से भिन्न प्रतिभूतियों	के संबंध ग	में प्रतिफर	ल का	क ii			
			पूर्ण मूल्य								
			कुल (iग + ii)					क iii			
	ख		48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन	<del></del>				721	l		
		<del>                                     </del>	सूचीबद्ध के बिना सुधार	की लागत				खi खii			
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णत	ाया और अनन्य रूप	ा से व्यय			खiii			
		iv	कुल (i + ii + iii)					खiv			
	ग	अतिश	रोष (5क iii – खiv)			, ,		5ग			
		धारा	94(7) या धारा  94(8) के त (प्रतिभूति/यूनिट) अभिले	अधीन अननुज्ञात हा	निया उदाह	हरण के दि	लेए, यदि	5घ			
	ঘ	कय/	त (प्रात मूर्ति/यूर्निट) आमर अर्जित की गई है और यूनि	खिका ताराख स पूर ट का लाभांश/आय	व तान मा <del>र</del> या बोनस	१ क भातर पाप्त किय	र ग गया है				
		तत्पश्च	ात् ऐसी आस्तियां के विक्र	य से उत्पन्न हानि की	अनदेखी	होगी(केव	ल				
		सकार	रात्मक मूल्य लिखें)								
	ङ		क्त अ1 या अ2 या अ3 या	अ4 से भिन्न आस्तिय	ा पर अ.पू.	अ (5ग +	5घ)			अऽङ	
6	लघु अवधिपूंज	ग अभि	लाभ समझी गई राशि	—		<u> </u>	<del>}</del>		<del></del>		
क	क्या नाच दिख उस वर्ष के वि	खाए गा नेग देग	ए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरि तारीख़ के भीतर पूंजी अ	त आस्तया पर पूजा भेलाभ खाना स्कीम	। आभलाभ में जम्म नि	्का उपय त्या गरा वै	॥ग. भ. नहा है?	लाया जी	सका ।कसा रााश क		
	□हां <b>□</b> नहीं।	प्रच □ लाग्	्नहीं होता,यदि हां,तो ब्यौ	रा उपलब्ध कराएं							
	क्रम पूर्व वर्ष	में जिस	ामें वह धारा जिसके	नई आस्तियां अर्जित	त/निर्मित की	गई है	नई आस्ति	गों के लिए	उपयोग् नहीं की ग्	£	
	सं. आस्तिय			पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित	पूंजी अभिल में से उपयो	11'भ खाता ग की गर्द	या पूंजी उ	गिभेलाभर 	वाता(x)में उपयोग में		
	का	गई है	कटौती का दावा किया गया है	/निर्मित की गई है	अधिक		नहा	लाइ गई	बची हुई राशि		
	i 202	2-23	54ख		1					1	
		23-24	54ख								
ख			धि पूंजी अभिलाभ समझी								
_			भेलाभ समझी गई राशि (क			+ - <del></del>	. 25			क6	
7	अल्पावाध पूज	॥गत अ	भिलाभ की प्रकृति में आय/१ 15 प्रतिशत की दर से	श्वातं क जारए पास (अ	।नुसूचा पाटे संजीपन	।आइ भर)	(अ7क <b>i</b> +अ	7क <b>ii</b> +क	74I) T	अ 7	
	कi		15 प्रातशत का दर स अभिलाभ की प्रकृति में अ				क <b>7</b> क				
			अल्पकालिक पूंजी अभि	,, बारा के जारें वार्य लाभ के प्रकृति की अ	 ाय/हानि						
	कii	1	जो 20 प्रतिशत पर प्रभार्य	है , से पास थ्रो			<i>7</i> कii				
	ख		30 प्रतिशत की दर से	। प्रभार्य, अल्पावधि	पूंजीगत -		क <b>7</b> ख				
	<u> </u>		अभिलाभ की प्रकृति में अ लागू दरों पर प्रभार्य अल	गय/क्षात क जरिए पार पार्वाचे पंजीपन अभिन	स						
l	ग		लागू दरा पर प्रमाय अल प्रकृति में आय/क्षति के ज	पापाय पूजागत आभव रिए पास	साम का		क 🗷				

	8	का-का पर प्रभार		ात दस्तटासाला	पग रक	न, ।५७तु दावा	ापग्या गया ह	कि कर से प्रभार्य नहीं है	યા હાલા	५ क जनुसार मारत	न ।पराष दरा	
		क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधिके अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हे तो शुन्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-व अधिनिः की धा	यम अधिनियम रा के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
		(1) I	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	9 आय क6 दीर्घकालि	ı										
			क					ल राशिदावा किया गया				क8क
			ख	डीटीएए के	अनुसार	भारत में एस	टीसीजी की कु	व्र राशि दावा किया गया के वापसी क्रय पर पूंजी ह	है कि विश	षि दर्शे पर कर प्रभा	र्य है	क8ख
		3	(૩)	प्रतिशत या	लागू दर]		,	•				
				केवल तभी	दावा कि	या जा सकता	है जब धारा :	2(22) (च) के अधीन संबं	धेत लाभां	रा आय की प्रस्थापना	की जाती है ।	
		आयकर कर्	अधिनिय 57 – क8व	म के अधीन ह	कुल लघु	अवधि पूंजी	अभिलाभ प्र	भार्य (क1ङ + क2ङ -	+ क3क +	ক3ख + <b>ক</b> 4ङ +	क5ङ +	क 9
257					<del></del>	<del>} ====================================</del>		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
आ			-						32 2.			
-	1				वेक्रय र	<b>ने</b> क से च त	क प्रत्येक र	संपदा के लिए पृथक ब बिक्री/हस्तांतर				
	न कर दीर्घकारि 1 भूर्व	संनिर्माप	ग की तार्र	ोख		दिन/मास/व	वर्ष	।बक्रा/हस्तातर तारीख	.ण का	दिन/मास/वर्ष		
								MAG				
		क	i	प्राप्त/	ग्रप्त यो	ग्य प्रतिफ	ल का कुल	मूल्य	कi			
			i	i स्टांप	मूल्यांक	न् प्राधिक	ारी के अनु	सार संपत्ति का मूल्य	कii			
								धारा 50ग के हुल मूल्य यदि				
			ii	i (कः)ः।	र जयन का) से	1.10 <b>गणा</b>	अधिक नही	हों होता है तो अंक	कiii			
				(कi) र	या अन्य	'था (कii) ले						
		ख	_	48 के अधी			<u> </u>					
			i iiक			अधिग्रहण क अधिग्रहण व			ৰা ৰাাক			
			1147			जावत्रहण <u>व</u> गए लागू होत			खाप			
				(अ) 23	जुलाई,	<b>2024</b> से प	हले अंतरण	, या				
				(आ) जह	हां अर्जन ——र्	१ २३ जुलाई	, 2024 से प	पहले है और अंतरण				
五				113	जुलाइ <b>,</b> २ (१) <i>(</i> क	<b>2024</b> का र ठ) के दसरे	या उसक प परंतक के उ	श्चात् है, वहां धारा अधीन संगणातमक				
गभिलाभ				प्रय	- (1) (५ जिनों के	लिए निवार	तर् <sub>षु स</sub> ्तर्भः स्री	- Fall I di Falldaria				
ო			iiख	सूचीकरण	के साथ	। संशोधन व	<b>ही लाग</b> त		खांख			
শু							धिन की लाग	गत				
<del>ुक</del>				(ख) संशो			र की लाग	<u> </u>				
दीर्घकालिक पूंजी				(ग) तूवा निम	बद्ध प्र लिखित	के लिए र	र परा सागा व और ग ल	त ागु होता है:				
क्				(अ)	23 जुल	गाई <b>, 2024</b>	से पहले अं	तरण, या				
				जहाँ	ां अर्जुन	23 जुलाई,	2024 से प	हले है और अंतरण				
				23 🤄	नुलाई <b>, 2</b> क्या के ब	१ <b>०२४</b> की य	ा उसके पश्च र के अधीन	गत् है, वहां धारा 112 संगणातमक प्रयोजनों				
					पर) पर १ तए निवा		, पर जवान	त्तराणातमयः प्रयाणगा				
				पंक्ति जोड़े	·							
			iii	अंतरण वे	र संबंध			य रूप से व्यय	खiii	_		
								पहले है <b>(खांक</b> +				
			iv	ऽ <b>खाख</b> ( उसके पश्च	ग)+ ख ात् है ख	III; वहा अव वां+∑ <b>खांख</b>	तरण 23 जुए <b>व(क)+ खां</b>	ताई, 2024 को या ii)	खiv			
				-		संगणना क (ग)+ खाः।		ोजन के लिए ही )				
		<u> </u>	_	(31147+	_ பாக	ार जनार्ट १९	, ,	गहले है और अंतरण				
			_	. ।जहा आध	धग्रहण	23 VICIIS	2024 9	ויי אווע אווע קון אף				
			ivक	23 जुलाई	, 2024	। को या उर	सके पश्चात	होता है वहां धारा				
			ivक	23 जुलाई 112(1) (	, 2024 क) के द	। को या उर दूसरे परंतुव	सके पश्चात	होता है वहां धारा न संगणात्मक				

गक											
,	अतिशेष (कः।			ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ							
. 1				हले है और अं		_					
	<b>ખુ</b> લાફ, 2024	का या उसक	र पश्चात् हात	ग है वहां धारा	112(1) (4	?)					
	क दूसर परतु	क क अधान	सगणात्मक	प्रयोजनों के वि	लए						
	निवासियों को	ा लागू हाना)	2.2								
				ग्योजन के लिए	₹)						
	(नकारात्मक	की दशा में श्	र्न्य समझा	जाए)							
ਬ	धारा 54 / 54	।ख/्५४ङग/	54च के अध	धीन कटौती(र्न	चि मद ई मे	1	ย				
	ब्यौरे विर्निदिष्ट			-			<u> </u>				
ङ				भिलाभ(1ग-						आ1ङ	
ङ क	अचल संपत्ति	पर दीर्घकाली	ोन पूंजी अ <sup>ह</sup>	भेलाभ (1गक)	)-(1घ)			_	_		
	जहां अधिग्रहा	ण 23 जुलाई,	2024 से प	हले है और अं	तरण 23 जु	लाई, 2	2024 को	या उसके	पश्चात् होता		
	है वहां धारा 1	l 12(1) (क <sub>)</sub> वे	के दूसरे परंत्	नुक् के अधीन	संगुणात्मक	प्रयोज	ानों के वि	गए निवासि	यों को लागू	आ 1 ङ क	
				ने के प्रयोजन	के लिए)						
	(नकारात्मक	की दशा में शृ	ून्य समझा र	जाए)							
	जहां अर्जन 2	3 जुलाई, 202	24 से पहले	होता है और उ	अंतरण 23 र	जुलाई,	2024 क	गे या उसके	पश्चात् होता		
	है (केवल निव	ग्रसियों के लि	ए)						·	आ 1ड.i(अ)	
	अ- धारा	112 (i) ( <b>क</b> )	(ii) (1중. 1	2.5 प्रतिशत)	के अनुसार	कर				आ 1ड.i(आ <b>)</b>	
	आ- धारा	112(1) (क)	(ভ.ক 20 ট	प्रतिशत) के दूर	सरे परंतुक	के अनु	सार कर				
	(टिप्पण) )ड.	(झझ) में उपे	क्षित की जा	ने वाली आधि	क्य रकम'व	ग अव	धारण क	रने के लिए	( है)		
ड.ii	ऐसी आधिक्य	रकम यदि के	र्दि हो जिसव	की धारा 112 (1	ाका केवल	न निवारि	सेयों के वि	नाग के दस्र	रे परंतक के		
	अनुसार उपेक्षा			171 91(1 1 12 (1	1)(47) (474)	111911	(1-11 <b>47</b> 10	17) 4, 8(1	( algar ar	आ <b>1</b> ड. ii	
	Ŭ										
<u> </u>	[ख 1 ड.झ(अ)			+ A		- <del></del>	<del>}</del>	÷.			
च	·	_		में निम्नलिखित					I		
	क्र. सं.	क्रेता ्रे	क्रेता	प्रतिशत	रकम			पिन कोड	राज्य		
		(क्रेताओं)	(क्रेताओं)	शेयर			पता				
		का नाम	का पैन/				্থা				
			आधार				ोड़,				
							जेप				
						क	गेड़				
टिप्पण▶	• पैन/आधार सं.	का दिया जान	ा आज्ञापक है	है यदि धारा194	।-झक के अ	धीन क	र काटा ज	नाता है एक	से अधिक		
क्रेताओं व	क्री दशा में संबंध <u>ि</u>	)त प्रतिशत शे <sup>र</sup>	पर और रक	म उपदर्शित क	<b>ग्रें</b> ।						
छ	जहां अंतरण नि	नेम्नलिखित था	वहां अचल स	संपत्ति (∑ख 1ड	. ) पर कुल <sup>°</sup>	दीर्घका	लिक पूंर्ज	ो अभिलाभ:			
	7	२ जलार्ट २०२४	. से पूर्व (23 <sup>र</sup>	जुलाई <b>, 2024</b> र	से पर्व अंतरि	म सभी	संपतति	यों पर पूंजी	अभिलाभों की	.വ 1 കക	
	(क) 23	J 91(112,2024								ਯੂ । ਲੁਖਾ	
	ਹੀ	ाणि									
	ਹੀ	ाणि	 4को या उसवे	के पश्चात् (23 ज्			उसके पश्	गत् अंतरिम	सभी संपत्तियों		
	्रा (ख) 23	ाणि	4को या उसवे भों की राशि	के पश्चात् (23 जु )			उसके पश्	ग़त् अंतरिम	सभी संपत्तियों		
	्ख) 23 पर	शि) 3 जुलाई <b>, 202</b> 4 र पूंजी अभिला	भा का साश्र	)	लाई, 2024		उसके पश्	गत् अंतरिम		अ 1 छक	
निवासिर	(ख) 23 पर (ग) कु	शि) 3 जुलाई <b>, 202</b> 4 र पूंजी अभिला इल आधिकय व	मा का साश) ही उपेक्षा की	) ो जाए ( ∑आ 1 <sup>;</sup>	लाई, <b>2024</b> ड.ii)	को या					
	(ख) 23 पर (ग) कु	शि) 3 जुलाई, <b>202</b> 4 र पूंजी अभिला जेल आधिकय व <b>वीबद्ध बंध प</b> र	मा का साश) ही उपेक्षा की <b>हों या असूची</b>	) ो जाए ( ∑आ 1: <b>ोबद्ध डिबेंचरों</b> (	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा	को या । ारा जार	री पूंजी स्	पुचीबद्ध बंध		अ 1 छक	
<sup>2</sup> भिन्न)के	(ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूच विक्रय से (केवल	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल अधिकय व वीबद्ध बंध पत्र ल वहां लागू ह	मा का साश) ही उपेक्षा की <b>हों या असूची</b>	) ो जाए ( ∑आ 1: <b>ोबद्ध डिबेंचरों</b> (	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स्	पुचीबद्ध बंध		अ 1 छक	
<sup>2</sup> भिन्न)के क	रां (ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूच विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुल	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल आधिकय व वीबद्ध बंध पृत् ल वहां लागू ह ल मूल्य	मा का साश) ही उपेक्षा की <b>हों या असूची</b>	) ो जाए ( ∑आ 1: <b>ोबद्ध डिबेंचरों</b> (	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् हुआ था	पुचीबद्ध बंध		अ 1 छक	
<sup>2</sup> भिन्न)के क	रां (ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूच विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुछ धारा 48 केअधी	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला र ल आधिकय व वीबद्ध बंध पत्र ल वहां लागू ह ल मूल्य ीन कटौती	मा का साश् ही उपेक्षा की <b>गों या असूची</b> ोता है जहां	) ो जाए ( ∑आ 1: ोबद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् हुआ था क	पुचीबद्ध बंध		अ 1 छक	
<sup>2</sup> भिन्न)के क	रां (ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असून विक्रय से (केवर प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी i सूचीबढ़	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला र पूंजी अभिला रेल आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अप	मा का साश ही उपेक्षा की मों या असूची ोता है जहां जिन की लाग	)   जाए ( ∑आ 1'  बद्ध डिबेंचरों  अंतरण 23 जु    ात	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् हुआ था क   खा	पुचीबद्ध बंध		अ 1 छक	
<sup>2</sup> भिन्न)के क	रां (ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूद विक्रय से (केवर प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी i सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला र पूंजी अभिला र ते आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्ध के बिना सुध	मा का राशि, ही उपेक्षा की मों या असूची ोता है जहां जिन की लाग् धार की लाग	) ो जाए ( ∑आ 1 <sup>:</sup> विद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ात ात	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् ं हुआ था क च खाः खाः	त्चीबद्ध बंध )		अ 1 छक	
<sup>2</sup> भिन्न)के क	्रां (ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूद विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुल धारा 48 केअधी i सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध iii अंतरण	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्ध के संबंध में प्	मा का साश ही उपेक्षा की ों या असूची ोता है जहां जिन की लाग् धार की लाग् पूर्णतया और	)   जाए ( ∑आ 1'  बद्ध डिबेंचरों  अंतरण 23 जु    ात	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् हुआ था क   खा खाः खाः	नूचीबद्ध बंध )		अ 1 छक	
2 भिन्न)के क ख	्रा (ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूच विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुल धारा 48 केअधी i सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध iii अंतरण iv कुल (ख	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल आधिकय व वीबद्ध बंध पत्र ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्र के संबंध में पृ	मा का साश ही उपेक्षा की ों या असूची ोता है जहां जिन की लाग् धार की लाग् पूर्णतया और	) ो जाए ( ∑आ 1 <sup>:</sup> विद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ात ात	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् हुआ था क   खा खाः खाः खाः	नूचीबद्ध बंध )		अ 1 छक	
<sup>2</sup> भिन्न)के क ख ग	्रां (ख) 23 पर (ग) कु पर (ग) कु कु विक्रय से (केवर प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी हां सूचीबढ़ हां अंतरण iv कुल (ख	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल आधिकय व वीबद्ध बंध पत्र ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्र के बिना सुर के संबंध में पृ हां +खां + ख	मा का साश ही उपेक्षा की ोता है जहां जिन की लाग धार की लाग प्र्णतया और	)   जाए ( ∑आ 1:  वेबद्ध डिवेंचरों  अंतरण 23 जु    ात  त   अनन्य रूप र	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् हुआ था क   खा खाः खाः खांv 2ग	नूचीबद्ध बंध )		अ 1 छक	
2 भिन्न)के क ख 	(ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूद विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी ं सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध iii अंतरण iv कुल (ख अतिशेष (2क -	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल आधिकय व वीबद्ध बंध पर ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्व के बिना सुर के संबंध में पृ झा +खां + ख - खांv)	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची ोता है जहां जीन की लाग धार की लाग पूर्णतया और (नीचे मद ई	)   जाए ( ∑आ 1:  बद्ध डिबेंचरीं  अंतरण 23 जु    त   अनन्य रूप र	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024	को या रा जार से पूर्व	री पूंजी स् हुआ था क   खा खाः खाः खाः	नूचीबद्ध बंध )	ापत्र से	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भिन्न)के क ख ग घ इ	(ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूद विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी ं सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध iii अंतरण iv कुल (ख अतिशेष (2क - धारा 54च के 3 बंधपत्र और डिंग	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल अधिकय व वीबद्ध बंध पर ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्व के बिना सुर के संबंध में पृ झा +खां + ख - खांv) अधीन कटौती	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची ोता है जहां जैन की लाग धार की लाग पूर्णतया और !!!!) (नीचे मद हैं कालिक पूंज	)   जाए ( ∑आ 1:  बद्ध डिबेंचरीं  अंतरण 23 जु    त     अनन्य रूप र    ई में ब्यौरे विर्नि	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 मे व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	री पूंजी स् ं हुआ था क   खाः खाः। खाः खाः 2ग	रूचीबद्ध बंध )	ापत्र से	अ 1 छक	
2 भिन्न)के क ख य ग घ ङः 3i धारा 11	(ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूच विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी ं सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध iii अंतरण iv कुल (ख अतिशेष (2क - धारा 54च के अ बंधपत्र और डिंग् 2 (1) के अनुसा	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल अधिकय व वीबद्ध बंध पर ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्व के बिना सुर के संबंध में पृ झा +खां + ख - खांv) अधीन कटौती	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची ोता है जहां जैन की लाग धार की लाग पूर्णतया और !!!!) (नीचे मद हैं कालिक पूंज	)   जाए ( ∑आ 1:  बद्ध डिबेंचरीं  अंतरण 23 जु    त     अनन्य रूप र    ई में ब्यौरे विर्नि	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 मे व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः। खाः। 2ग 2घ	पूचीबद्ध बंध ) 23 23 ज्	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भिन्न)के क ख ग घ इ	(ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूच विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी ं सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध iii अंतरण iv कुल (ख अतिशेष (2क - धारा 54च के अ बंधपत्र और डिंग् 2 (1) के अनुसा	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल अधिकय व वीबद्ध बंध पर ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्व के बिना सुर के संबंध में पृ झा +खां + ख - खांv) अधीन कटौती	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची ोता है जहां जैन की लाग धार की लाग पूर्णतया और !!!!) (नीचे मद हैं कालिक पूंज	)   जाए ( ∑आ 1:  बद्ध डिबेंचरीं  अंतरण 23 जु    त     अनन्य रूप र    ई में ब्यौरे विर्नि	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 मे व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः। खाः। 2ग 2घ	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 <b>23</b> ज़	<b>.ापत्र से</b> 	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख ग घ ङ 31 धारा 11	(ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूच विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुर धारा 48 केअधी ं सूचीबद्ध ii सूचीबद्ध iii अंतरण iv कुल (ख अतिशेष (2क - धारा 54च के अ बंधपत्र और डिंग् 2 (1) के अनुसा	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल अधिकय व वीबद्ध बंध पर ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर द्व के बिना सुर के संबंध में पृ झा +खां + ख - खांv) अधीन कटौती	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची ोता है जहां जैन की लाग धार की लाग पूर्णतया और !!!!) (नीचे मद हैं कालिक पूंज	)   जाए ( ∑आ 1:  बद्ध डिबेंचरीं  अंतरण 23 जु    त     अनन्य रूप र    ई में ब्यौरे विर्नि	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 मे व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख ग घ ङ 31 धारा 11	रां (ख) 23 पर (ग) कु गों के लिए असूव विक्रय से (केवल प्रतिफल का कुल धारा 48 केअधी і सूचीबढ़ іі अंतरण іv कुल (ख अतिशेष (2क - धारा 54च के अ बंधपत्र और डिंग् 2 (1) के अनुसा	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला रेल आधिकय व वीबद्ध बंध पर्र ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्ध के बिना अर द्ध के बिना अर द्ध के बिना सुध के संबंध में पृ वा +खां। + ख - खांप) अधीन कटौती बेंचर पर दीर्घ ार सूचीबद्धप्रा	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची ोता है जहां जैन की लाग धार की लाग पूर्णतया और !!!!) (नीचे मद हैं कालिक पूंज	)   जाए ( ∑आ 1:  बद्ध डिबेंचरीं  अंतरण 23 जु    त     अनन्य रूप र    ई में ब्यौरे विर्नि	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 मे व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः। खाः। 2ग 2घ	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b>.ापत्र से</b> 	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख ग घ ङ	रां (ख) 23 पर (ग) कु पर (ग) कु ज़ जों के लिए असूव विक्रय से (केवल का कुल धारा 48 केअधी ं सूचीबढ़ ंं। सूचीबढ़ ंं। सूचीबढ़ ंं। सूचीबढ़ ंं। अंतरण ंं प्रकृल (ख अतिशेष (2क - धारा 54च के अवधारा अंतरण धारा 54च के अवधारा जों रही हैं। स्वापत्र अंतरण का व्राव्या	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला रेल आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर् द्ध के बिना अर् द्ध के बिना अर् द्ध के बिना सुध् म +खां + ख - खांथ) अधीन कटौती र सूचीबद्धप्रा	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची ोता है जहां जैन की लाग धार की लाग पूर्णतया और !!!!) (नीचे मद हैं कालिक पूंज	)   जाए ( ∑आ 1:  बद्ध डिबेंचरीं  अंतरण 23 जु    त     अनन्य रूप र    ई में ब्यौरे विर्नि	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 मे व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख ग घ ङ अ धारा 11 कूपन बं	रां (ख) 23 पर (ग) कु पर (ग) कु ज़ु जों के लिए असूर विक्रय से (केवर प्रतिफल का कुर (धारा 48 केअधी ं सूचीबढ़ iii अंतरण iv कुल (ख अतिशेष (2क -धारा 54च के अबंधपत्र और डिव्ह 2 (1) के अनुसाधपत्र	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला रेल आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य ोन कटौती द्ध के बिना अर् द्व के बिना अर् द्व के बिना अर् द्व के बिना सुर् के संबंध में पृ ला +खां + ख - खांv) अधीन कटौती र सूचीबद्धप्रा	मा का सारा ही उपेक्षा की में या असूची जेन की लाग धार की लाग एर्जिया और (नीचे मद ई कालिक पूंज तिभूतियों) नि	) जाए ( ऽआ 1: बिद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ति ति अनन्य रूप रे ई में ब्यौरे विर्नि भी अभिलाभ(2 केसी यूनिट से	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 मे व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख ग घ घ छ । अरा 11 कूपन बं	स्वि (ख) 23 पर (प) पुर पूर्व पर (ग) पुर पूर्व पर (के वर प्रतिफल का कुर प्रतिफल का कुर प्रतिभाग (2क - धारा 54च के अवंध पत्र और डिव्ह 2 (1) के अनुसाध पत्र प्रतिफल का वृधारा 48 के अपार प्रतिफल का वृधार 48 के अपार 48	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला केल आधिकय व वीबद्ध बंध पठ ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्ध के बिना अद् द्र के बिना अद् द्र के बिना अद् के संबंध में पृ मं + खां + ख - खांv) अधीन कटौती र सूचीबद्धप्रा	मा का साश ही उपेक्षा की में या असूची तेता है जहां जिन की लाग एर्जिया और मांग) (नीचे मद ई कालिक पूंज तिभूतियों) नि	) जाए ( ऽआ 1: बिद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ति ति अनन्य रूप रे ई में ब्यौरे विर्नि ती अभिलाभ(2 केसी यूनिट से	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 से व्यय में व्यय	को या जारा जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख	स्वि (ख) 23 पर (प) पुर पूर्व पर (ग) पुर पूर्व पर (के वर प्रतिफल का कुर प्रतिफल का कुर प्रतिभाग (2क - धारा 54च के अवंध पत्र और डिव्ह 2 (1) के अनुसाध पत्र प्रतिफल का वृधारा 48 के अपार प्रतिफल का वृधार 48 के अपार 48	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला केल आधिकय व वीबद्ध बंध पठ ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्ध के बिना अद् द्र के बिना अद् द्र के बिना अद् के संबंध में पृ मं + खां + ख - खांv) अधीन कटौती र सूचीबद्धप्रा	मा का साश ही उपेक्षा की में या असूची तेता है जहां जिन की लाग एर्जिया और मांग) (नीचे मद ई कालिक पूंज तिभूतियों) नि	) जाए ( ऽआ 1: बिद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ति ति अनन्य रूप रे ई में ब्यौरे विर्नि ती अभिलाभ(2 केसी यूनिट से	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 से व्यय में व्यय	को या जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भिन्न)के क ख 	(ख) 23 पर (ग) कु पर (केवर पर (केवर पर) सुचीबद्ध (सुचीबद्ध (सुचीकर पर) (सुचीकर (सुचीकर (सुचीकर (सुचीकर (सुचीकर (सुचीकर	शि) 3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला केल आधिकय व वीबद्ध बंध पक् ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्ध के बिना अद्ध के संबंध में पृ झां +खां + ख - खांv) अधीन कटौती र सूचीबद्धप्रा ग्रिं सहित अर्ज ण के बिना अ	मा का साश ही उपेक्षा की में या असूची तेता है जहां जिन की लाग एर्जिया और (नीचे मद ई कालिक पूंज तिभूतियों) नि	) जाए ( ऽआ 1: बिद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ति ति अनन्य रूप रे ई में ब्यौरे विर्नि ती अभिलाभ(2 केसी यूनिट से गत(जहां अंतर	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 से व्यय में व्यय	को या जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भिन्न)के क ख 	्रां (ख) 23 पर	शि)  3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला ज्ल आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्र के बिना अ द्र के बिना अ द्र के बिना अ द्र के प्रिक्त से पर् श्रीन कटौती शर सूचीबद्धप्रि  ज सहित अर्ज ण के बिना अ 2024 से पहले	मा का साश की उपेक्षा की में या असूची तेता है जहां जिन की लाग् एर्जिया और (नीचे मद ई कालिक पूंज तिभूतियों) वि	) जाए (∑आ 1: बिद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ति ति अनन्य रूप रे में ब्यौरे विनिं शी अभिवाभ(2 केसी यूनिट से गत(जहां अंतर रा 112 (1) के	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 से व्यय विदेष्ट करें) १ग- 2घ) भिन्न या श्	को या जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख म	्रां (ख) 23 पर	शि)  3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला केल आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्र के बिना अ द्र के बिना अ द्र के बिना सुध् - खांप) अधीन कटौती बेंचर पर दीर्घ ार सूचीबद्धप्रा ण सहित अर्ज ण के बिना अ 2024 से पहले तार उपेक्षित वि	मा का साश की उपेक्षा की में या असूची तेता है जहां जिन की लाग् एर्जिया और (नीचे मद ई कालिक पूंज तिभूतियों) जि में था वहां धा केए जाने वा	) जाए ( ऽ आ 1) बिद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ति ति अनन्य रूप रे में ब्यौरे विनिं ती अभिलाभ(2 केसी यूनिट से गत(जहां अंतर ारा 112 (1) के ाले कर आधिव	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 से व्यय विदेष्ट करें) १या- 2घ) १ भिन्न या श्	को या जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	
2 भित्र)के क ख	स्वीकर प्रतिफल का कुल हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीक्ट हिम्म स्वीकर हिम्म स्वीकर	शि)  3 जुलाई, 2024 र पूंजी अभिला केल आधिकय व वीबद्ध बंध पर् ल वहां लागू ह ल मूल्य नि कटौती द्र के बिना अ द्र के बिना अ द्र के बिना सुध् - खांप) अधीन कटौती बेंचर पर दीर्घ ार सूचीबद्धप्रा ण सहित अर्ज ण के बिना अ 2024 से पहले तार उपेक्षित वि	मा का सारा की उपेक्षा की ोता है जहां जिन की लाग् धार की लाग् एर्जिया और (नीचे मद ई कालिक पूंज तिभूतियों) जि विभूतियों) जि विभूतियों की लाग् ते था वहां धा केए जाने वा गोजन के लि	) जाए ( ऽ आ 1: बिद्ध डिबेंचरों अंतरण 23 जुः ता ता स् अनन्य रूप र अनन्य रूप र में ब्यौरे विनिं ती अभिलाभ(2 केसी यूनिट से गत(जहां अंतर शरा 112 (1) के शले कर आधिव ए ही लागू है ।	लाई, 2024 ड.ii) (सरकार द्वा लाई, 2024 से व्यय विदेष्ट करें) १या- 2घ) १ भिन्न या श्	को या जार से पूर्व 2	ही पूंजी स् हुआ था क   खाः खाः खाः 2ग 2घ अंतरण जुलाई 2024	<b>पूचीबद्ध बंध</b> ) 23 23 जु को या	<b></b>	अ 1 छक अ 1 छग	

सूचीकरण रहित सुधार की लागत (जहां अंतरण 23   का कुंचाई, 2024 से पहले था वहां धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार उपेवित किए जाने वाले कर आधिक्य को सामणा करने के प्रयोगन के दिए वि लागु है। जे कुंचाई अंदिर में प्रणान परने के प्रयोगन के दिए वि लागु है। जे कुंचा (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था खान भी पहले था खान में प्रयोगन के रिए। तहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था। भाग पत्र के कुंचा पहले था खान में प्रयोगन के रिए। तहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था। पार उसके प्रयोगन के रिए। तहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था। पार उसके प्रयोगन करने के प्रयोगन करने लिए।  च (पार 112(1) (क) था पारा 112(1) (ग) (क) (अ)के अनुसार कर एस्टरीसीजी सूचीकरण के विना आजा() (वाला पार) होता है पहले अरन्सर अर्थान कर (एस्टरीसीजी सूचीकरण के विना आजा() (वाला पार) होता है पहले अरन्सर 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  च (पार 112(1) के परने परने के अनुसार कर (एस्टरीसीजी सूचीकरण के विना जा जा के प्रयोग था परने के अरमे परने के अरमे परने परने के अरमे परने के अरमे परने परने के अरमे करने विना जा परने के अरमे परने के अरमे करने विना जा परने के अरमे के अरमे परने के अरमे अरमे अरमे अरमे अरमे परने के अरमे परने के अरमे परने के अरमे अरमे							,		
क अनुसार उपप्रांत पर विर हिए ही लागू हैं।			सूचीकरण रहित सुधार की लागत (जहां	अंतरण 23					
क अनुसार उपप्रांत पर विर हिए ही लागू हैं।		liक	जुलाई, 2024 से पहले था वहां धारा 112 (1)	के परंतुक					
अंतरण के संबंध में पुणितया और अनन्य रूप से क्यय   अबां   अबां   अवरण के क्षण क्षण का कर 3 क्षण के अवरण 23 जुनाहें, 2024 के पात   अवरण क्षण कर 3 क्षण के अवरण 23 जुनाहें, 2024 के पात   अवरण क्षण कर 3 क्षण के अवरण 23 जुनाहें, 2024 के पात   अवरण के अव			क अनुसार उपाक्षत ।कए जान वाल कर अ	॥धक्य का					
श्रेण हार अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था खान + क्षा जिस के आहे (क्षा के से आहे) (क्षा अंतरण 23 जुलाई, 2024 को पहले के अनुसार आधिवय की संगणना के प्रयोजन के लिए) (क्षां लाग के अंतरण 23 जुलाई, 2024 को पहले के अनुसार आधिवय की संगणना के प्रयोजन के लिए) (क्षां लाग लीता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को पहले किया गया था आधिवय की संगणना के प्रयोजन के लिए) (बार्च लागू लिए) है जहां अंतरण (37-3ख) था । अंतरी युव्य उच्च उच्च (2024 से पहले किया गया था) वापा 54व के अधीन कटोती (मीचे मद घ में ब्योरे विनिद्ध अधीन कटोती (मीचे मद घ में ब्योरे विनिद्ध अधीन कटोती (मीचे मद घ में ब्योरे विनिद्ध अधीन कटोती (मीचे मद घ में ब्यारे विनिद्ध के अनुसार अधीववय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (अप व्याप 112(1) के परंतुक के अनुसार अधीववय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (अप व्याप 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिवय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (अप व्याप 112(1) (क्षा) (अ) के अनुसार कराएलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परंतुक के अनुसार आधिवय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (अप व्याप 112(1) के परंतुक के अनुसार अधीववय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (अप व्याप 112(1) के परंतुक के अनुसार करा एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परा (अप 112(1) के परंतुक के अनुसार करा एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परा (अप 112(1) के परंतुक के अनुसार कर (एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परा (अप 112(1) के परंतुक के अनुसार कर (एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परा (अप 112(1) के परंतुक के अनुसार कर (एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परा (अप 112(1) के परंतुक के अनुसार कर (एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परा (अप 112(1) के परंतुक के अनुसार कर (एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्व परा (अप 112(1) के परा (			सगणना करन के प्रयाजन के लिए हा लागू ह	1)					
प्रश्न के महाभा (ज्ञाहों अंदरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके प्रक्षात के से पहले थे साल के महाभ के स्वाम से स्वाम के स्वाम से स्वाम के स्वाम से स्वाम के स्वाम से स्वाम से स्वाम से		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप	स व्यय	खiii				
प्रस्ति धात था से पहले था खाक + खा। क्षा का क्षा का आप का किया है के जुन सार जाड़िक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) (वहां लाग होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था।  य अतिशेष(बात जड़ाज) (शारा था) है पार्च के अनुसार आधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) (वहां लाग होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था।  य धारा 54य के अधीन कटौती (नीचे मद य में ब्यौर विनिद्धिष्ट अय उपलें 8, 2024 से पहले किया गया था।)  य धारा 54य के अधीन कटौती (नीचे मद य में ब्यौर विनिद्धिष्ट अय उपलें 8, 2024 से पहले था। अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ									
श्रम् ( क्राक के साथ कर साथ					खiv				
पक अनुसार आधिवर को संगणना के प्रयोजन के लिए। (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था।  ग अतियेष (उक-उडाक-छ)) (शारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिवर को संगणना के प्रयोजन के लिए। (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले का अनुसार आधिवर को संगणना के प्रयोजन के लिए। (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले का अनुसार अधिवर है अर्थ अपने के अधीन कटोती (नीचे मद घ में आरे वितिदेष्ट अघ उपने अपने के अधीन कटोती (नीचे मद घ में आरे वितिदेष्ट अघ उपने अपने अधीन कटोती (नीचे मद घ में आरे वितिदेष्ट अघ उपने अपने या उसके प्रशात उपने के अपने करोती के अपने या उसके प्रशात उपने के अपने या उसके प्रशात उपने के प्रयोजन के लिए )  च (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिवर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए )  च (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिवर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए )  च (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार कर (एकटीसीजी सूचीकरण के बिना उपने का अधीन वरा अधीवता वहां लागू होता है कहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिवर कचा किसे थारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार उपने परंतुक के अनुसार उपीक्षित किया जाना है (आ उ(व) - आ अ(क) 13(6) किया जाना है (आ उ(व) - आ अ(क) 112(1) के परंतुक के अनुसार कर (एकटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतियात पर   आ उ(क) 12(6) वित्त लागू होता है कहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिवर कचा किसे थारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपीक्षित किया जाना है (आ उ(व) - आ उ(क) 1(वहां लागू होता है कहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिवर कचा किसे थारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपीक्षित किया जाना है (आ उ(व) - आ उ(व) (1) (तिमागियों) कियो चूनिट से मित्र या चूल्य कुपन च्याप, जुलाई, 2024 से पहले था)  ज अधिवर कचा किसे थारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपीक्षित किया जाना है (आ उ(व) - आ		<u> </u>							
मा अतियेष(उक-उखाल)   (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिवय को संगणना के प्रशीक के शिला होता है जहां अंतरण (उग-उधा था । आउ.ह. के उपर्युक्त आउ.ह. के अधीन कटीती (नीचे मद घ में आरे विनिदेष के अनुसार आधिवय को संगणना के प्रशीक के शिला होता है जहां अंतरण (उग-उधा था । आउ.ह. के अधीन कटीती (नीचे मद घ में आरे विनिदेष अध । 123 जुलाई, 2024 के पा चले कर अधीन कटीती (नीचे मद घ में आरे विनिदेष अध । 123 जुलाई, 2024 के पा उसके पक्षात   अजाउ (त) है । 23 जुलाई, 2024 के पा उसके पक्षात   अजाउ (त) है । 23 जुलाई, 2024 के पा उसके पक्षात   अजाउ (त) है । अजाउ (त) है			<b>कुल (खां</b> क <b>+ खां। क+ खां।) (</b> धारा 112(1) क	परतुक क					
मा अतियेष(उक-उखाल)   (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिवय को संगणना के प्रशीक के शिला होता है जहां अंतरण (उग-उधा था । आउ.ह. के उपर्युक्त आउ.ह. के अधीन कटीती (नीचे मद घ में आरे विनिदेष के अनुसार आधिवय को संगणना के प्रशीक के शिला होता है जहां अंतरण (उग-उधा था । आउ.ह. के अधीन कटीती (नीचे मद घ में आरे विनिदेष अध । 123 जुलाई, 2024 के पा चले कर अधीन कटीती (नीचे मद घ में आरे विनिदेष अध । 123 जुलाई, 2024 के पा उसके पक्षात   अजाउ (त) है । 23 जुलाई, 2024 के पा उसके पक्षात   अजाउ (त) है । 23 जुलाई, 2024 के पा उसके पक्षात   अजाउ (त) है । अजाउ (त) है		ivक	अनुसार आधिक्य का संगणना के प्रयोजन के लिए होना है जहां अंग्राण २२ जलाई <b>२०२४</b> से पहले हि	) (पहा सामू केमा ममा					
पार्तिक्र अवाक अवाक   अविशेष (व्रक - व्रवाक)   अविशेष (व्रवक - व्रवक्त)   अविशेष (व्रवक - व्रवक्त)   अविशेष (व्रवक - व्रवाक)   अविशेष (व्रवक - व्रवक्त)   अविशेष (व्रवक्त - व्रवक्त)   अविशेष (व्रवक्त - व्रवक्त - व्यवक्त -				1791 1191					
गक अतिशेष (वक्र-३डम) (शारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिकय शे संगणना के प्रयोजन के लिए (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था)   च धारा 5-4व के अधीन कटौली (नीचे मद घ में ब्योरे विनिदिष्ट के अपन करोली (नीचे मद घ में ब्योरे विनिदिष्ट के अपन करोली (नीचे मद घ में ब्योरे विनिदिष्ट के अपन करोली (नीचे मद घ में ब्योरे विनिदिष्ट के अपन करोली (नीचे मद घ में ब्योरे विनिदिष्ट के अपन करोली (नीचे मद घ में ब्योरे विनिदिष्ट का उपर्युक्त आउ की आसियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था उसके पश्चात (सारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के विद्या (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के विद्या (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के विद्या (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के विद्या (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार कर (एलटीसीजी सूचीकरण के विना 20 पतिच्यत पर) (आ 3(ड.क) *20 प्रतिचयत (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपिक्षित किया जाना है (आ 3(ज) -आ 3(i) (अ) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपिक्षित किया जाना है (आ 3(ज) -आ 3(i) (अ) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जा आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपिक्षित किया जाना है (आ 3(ज) -आ 3(i) (अ) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जा अतिथल का कुल मह्य वारा अवक के अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे विना क्या प्रयोज के अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे विना कहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जा अतिथल का कुल मह्य वारा अवक को लागत खा। अतिथल के स्वार प्रयोज के अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे विना कहां अंतरण के अवक के अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे विना कहां अंतरण के अवक के अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे विना कहां अंतरण विना के अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे के अवक अवक अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे विना कहां अंतरण विना के अधीन कटौली (नोच मद ई में ब्योरे विना कहां अंतरण विना के अधीन ए	П	अति			311				
अपियस की संगणना के प्रयोजन के लिए। (वहां लोग, होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले करा गया था)  पारा 54व के अपीन कटौती (नीचे ग्रद घ में ब्यौरे विनिद्धिय करें)  उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था ।  123 जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात्  उ.क उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था (अग्र3()) इ.क उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था (आग्र3()) इ.क उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था (यारा 112(1) (ii) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ) के अनुसार कर [एलटीसीजी स्वीकरण के बिना 20 प्रतियात (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  उपरा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी स्वीकरण के बिना 10 प्रतियात (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  उपरा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी स्वीकरण के बिना 10 प्रतियात (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अपियस यक्म जिसी धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपिक्षित किया जाना है [आ 3(य) -आ 3(1)) (प्रतियात) वहां लागू होता है कहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अपियस यक्म जिसी धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपिक्षित किया जाना है [आ 3(य) -आ 3(1)) (प्रत्योव अहाई, 2024 से पहले था)  अपियस वक्म अधीन कटौती (विने मार इसे मार क्षा)  अतिकल का कुल मुल्य अहा किया आप के किया जानत खा। भूवी बढ़ के बिना अजित की लागत खा। भूवी बढ़ के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप अप अप अप कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप अप अप अप अप अप कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप अप अप अप कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप अप अप कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप अप अप कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप अप अप अप कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप अप अप अप कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे अप का का क्या मार विक्र के अप मार विक्र के अप मार विक्र का का का का का का मार विक्र का का का का का का मार विक्र के अप का				उ अनसार					
अतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था)  श्वारा 54व के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करे)  उपर्युक्त आउ कीआस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था ।  श्वारा 520 जुलाई, 2024 से पहले  श्वारा 520 जुलाई, 2024 से पहले  उरक् उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था आउता)  उरक् उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था आउता)  उरक् उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था आउता)  उरक् उपर्युक्त अउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था  उर्वारा 112(1) को परंतुक के अनुसार आध्वय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए )  यारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आध्वय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए )  अआआ(i)घ 20 पतियत पर]  आउता उरके परंपियत के अनुसार अपर्युक्त के अनुसार कर एएक्टीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतियत पर]  आउता उत्हां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अआधियय रक्षम विस्ते धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार उर्घिक्षत किया जाना है [आ उत्व) आ उत्व)  श्वारा वा लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  आउता अप्रियम रक्षम विस्ते धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार उर्घिक्षत किया जाना है [आ उत्व) आ उत्व)  श्वारा (1)(श्वीबद्ध प्रतिमागियों) किसी यूनिय से मित्र या मुला कुला कुला मुला कुला मुला कुला मुला कुला मुला कुला कुला कुला मुला कुला मुला कुला कुला मुला कुला कुला मुला कुला कुला मुला कुला कुला कुला मुला कुला कुला कुला कुला कुला कुला कुला क	147	आधि	क्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) (वहां लाग हो	ता है जहां	J 14				
च				( .(.					
ड उपर्युक्त आउ कीआस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (३ग-३घ) था ।  । 23 जुलाई, 2024 से पहले । 23 जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात्  ड.क उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था    (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए)  व (धारा 112(1) (ii) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ)के अनुसार कर[एलटीसीजी सूचीकरण के बिना    20 प्रतियात पर    (आ उ.क.क) *20 प्रतियात    (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  उ धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार कर एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतियात पर    (आ उ.क.क) *10 प्रतियात    (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिक्य रक्ष पतिस् धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ उ.च. आ उ.च.)  आ उ.(छ) ।(वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अ (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अ (एक्षा वाह्य प्रतियात्ति होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज प्रतियात कर किया सुपार होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  क प्रतियात कर के प्रतियात्ति होता है जहां अंतरण है के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ उ.च.) आ उ.(ा)  ३(छ) ।(वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज प्रतियात अके अधीन कटीती  ज प्रतियात अके अधीन कटीती  ज प्रतियात अके अधीन कटीती लीच पहले के जुला है आ उ.च. चे प्रतियात्ति के प्रतियात्		धारा	54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे वि	र्निदिष्ट	3घ				
अप्रधुक्त अप्रकाश के अभीतिस्था पर दोधकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था हो 23 जुलाई, 2024 से पहले था जाउन अप्रकृत आउ की आस्तियों पर दोधकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था आउ() इ.क. याप्रकृत अप्रकृत के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए )  च (धारा 112(1) (i) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ)के अनुसार कराएलटीसीजी सूबीकरण के बिना आआ() च 20 प्रतियात पर   [आ 3(इ.क) '20 प्रतियात   वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(इ) -आ 3(ह) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अा (())(स्तीबद्ध प्रतिमागियों) किसी यूनिट से निवा प्रयूत्व कुपन बंधपत्र, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अा (())(स्तीबद्ध प्रतिमागियों) किसी यूनिट से निवा प्रयूत्व कुपन बंधपत्र, जहां आतत्व 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  क प्रतिभाव के अधीन कटौती आत्र प्रत्यूत्व के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(इ) -आ 3(ह) (वाई अप्रकृत के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(द) -आ 3(ह) (वाई अप्रकृत के अनुसार अप्रकृत का अप्रकृत का यूत्व वित्त किया जाना है (आ 3(द) जुलाई, 2024 को या उसके प्रधात यूत्व वारा 48 के अधीन कटौती (तीच मद ई में ब्योर वितिष्ठ करे)  ज अतिश्व (उक-ड्राक)  च धारा 54 के अधीन कटौती (तीच मद ई में ब्योर वितिष्ठ कुपन के अधीन एसटौटौसंदल किया जाता है की इकाई के विक्रय से प्रत्य या साधारण अप्रत्य ते का उसके प्रधात वारा के का काला 14 (आ))  क का काला 14 (आ))  • जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां काला वारा वारा के अधीन एसटौटौसंदल काला काला 14 (तीच मद इ से प्रत्य वहां अरात्व वहां अरात्व अरात्व वहां के अरात्व वहां के अरात्व वहां काला काला वारा वहां काला काला वारा वहां काला काला वारा वहां करात्व वहां काला काला वारा वहां काला वारा वारा वारा वारा वारा वारा वारा व	น		•						
123 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्   313 (1)5.   31	ङ		न्य भार की भाषिकों पर नीर्यकानिक गांनी भा	भारताथा जन	<del>i sian</del>	т (эт эт	9П 1	आ3ङ	
ड.क उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था (अगडा)				मशाम जरु	। जतर	(1 (3יו-34)	पा ।	आ3(i)ड.i	
ड.क उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकातिक पूंजी अभिताभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था आउ(i) इ.क (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए वारा 112 (1) (ii) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ) के अनुसार कराएलटीसीजी सूचीकरण के बिना 20 प्रतिश्वात पर (आ 3(ड.क) *20 प्रतिश्वात (वहां लागू, होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ड धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर एएलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिश्वत पर (आ 3(ड.क) *10 प्रतिश्वत (वहां लागू, होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(य) -आ 3(3)) (3) (वाहां लागू, होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अआधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(य) -आ 3(1)) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (		::22	जुलाइ, २०२४ स पहल जनार्ट २०२४ को या उसके ग्रंथान					आ3 (i)ड.	
(अगक-3घ) (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए )  च (धारा 112(1) (ii) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ)के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 20 प्रतिशत पर] (आ 3(s.क) *20 प्रतिशत (वहां लगह डीता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  च धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिशत पर] (आ 3(s.क) *10 प्रतिशत (वहां लगह डीता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(य) -आ 3(छ)) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  जा आविक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(य) -आ 3(छ)) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  जा अतिक्ष्य (त्रक प्रतिभागित) किसी सूनिद से फिल्न या पुरत्व कुपन बंधपत्र, जहां जंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  क प्रतिफल का कुल मूल्य  ख धारा 48 के अधीन कटीती    प्रतीबद्ध के बिना अर्जन की लागत खां   प्रतीबद्ध के अर्जन करानीती (तीचे मद ई में ब्लीरे व्राप्त चां)   प्रतावक्ष (त्रक खां) आरा अराग प्रतीविक्त के अराग करान के अराग के अराग के अराग के अराग के अराग करान के जिला में किया के के किया से किया के के किया में किया के साथ के किया में किया के किया के किया के किया के किया के किया में किया के किया के किया में किया के किया के किया के किया के किया के किया में किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया किया			• •	_				ii	
(धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए )  व (धारा 112(1) (ii) (ல) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ) के अनुसार कर एलटीसीजी स्वीकरण के बिना 20 प्रतिशात पर (आ 3(ड.क) *20 प्रतिशात पर (आ 3(ड.क) *20 प्रतिशात ला हो जा के अनुसार कर एलटीसीजी स्वीकरण के बिना 10 प्रतिशात पर]  अा 3(ड.क) *20 प्रतिशात है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(य) -आ 3(छ)) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(य) -आ 3(छ)) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  अा 3(छ) ((स्वीबद्ध प्रतिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शूच कूपन बंधपत्र, जहां जहां अंतरण 23 वुलाई, 2024 से पहले था)  अा (()(स्वीबद्ध प्रतिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शूच कूपन बंधपत्र, जहां जुलाई, 2024 से या उसके पक्षात् थारा 48 के अशीन कटोती    प्रतिबद्ध के बिना अर्जन की लागत खां   स्वीबद्ध के बिना अर्जन की लागत खां   स्वीबद्ध के बिना सुधार की लागत खां     स्वीबद्ध के बिना सुधार की लागत खां       स्वीबद्ध के बिना सुधार की लागत खां	ड.क	_	•	भिलाभ जह	हां अंतर	ण 23 जुलाई	हें, <b>2024 से पहले</b> था	आ3(i)	
च (धारा 112(1) (ii) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ) के अनुसार कर[एलटीसीजी सूचीकरण के विना 20 प्रतिशत पर]								ड.क	
20 प्रतिशत पर    (आ 3(3.क) *20 प्रतिशत    (वहां तापू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   उपारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिशत पर]   (आ 3(3.क) *10 प्रतिशत    वहां तापू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जाधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(0) -आ 3(8)] (वहां तापू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जाधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(0) -आ 3(8)] (वहां तापू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जाई अंतरण 23 जुलाई, 2024 से भूते के थीन अर्थन का कुल मृत्य धारा 48 के अधीन कटौती खां सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत खां मुचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत खां अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां।   के प्रतिशंव (उक-खां) आराउवच के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौर विनिर्दिष्ट करें)   उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर टीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था आउ() ड. आउ ()) इ. जुलाई, 2024 से पूर्व, आउ () इ. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर टीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था आउ() ड. आउ ()) इ. आउ ()) इ. जिस आप जोप के साधारण श्रेयर या साधारण अभिवित्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अर्थोन एसटीटीसंदत्त कि वा जाता है की इकाई के विक्रय से का कॉलम 14 (iii) )   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात का कॉलम 14 (iii) )   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात   कि वा हो कॉलम 14 की राशि									
आ 3(ड.क) *20 प्रतिशत    वहां बागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   उपारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिशत पर]   आ 3(ड.क) *10 प्रतिशत (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जा अधियय रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(च) -आ 3(ड)) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   उपारा (1) 112 का परंतुक लागू हे   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था, वित्रण के अनुसार अधीन कटौली   जहां अंतरण 3 अधीन कटौली   जहां अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां।   जहां अंतरण 3 अधीन कटौली   जिस्सा अधीन कटौली   जहां अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां।   जहां अंतरण के अधीन कटौली (नीचे मद ई में ब्योर विनिर्देष्ट करें)   जप्तुंक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था   आ3() ड. । आ3 () उ. । आ3 () उ. जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात   किया जाता है की इकाई के विक्रय से पहले था वहां के का कांलम 14 (iii) )   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात   कक्का कांलम 14 (iii) )   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात   कक्का कांलम 14 (iii) )   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पक्षात   कक्का कांलम 14 को राशि   विनिर्देष्ट के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का कांलम 14 की राशि   विनिर्देष्ट के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का कांलम 14 की राशि   विनिर्द के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का कांलम 14 की राशि   विनिर्द के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का कांलम 14 की राशि   विनिर्द के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का कांलम 14 की राशि   विनिर्द के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का विनिर्द के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का विनिर्द के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का विनिर्द के अधीन कटौती (नीचे मद इ में अधीन पक्षात   कक्का विनिर्द के किया   कक्का विनिर्द के किया	च			अ)के अनुस	ार कर[	एलटीसीजी	सूचीकरण के बिना	आआ(i)च	
वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  छ धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिशत पर] (आ 3(ड.क) *10 प्रतिशत। (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(च) -आ 3(i) 3(i) (i) (सूचीबद्ध प्रतिभागियों) किसी यूनिट से भित्र या शूच कुपन बंधपत्र, जहां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  उधारा (1) 112 का परंतुक लागू है जहां अंतरण 3 जुलाई, 2024 से पहले था)  क प्रतिफल का कुल मूल्य अक प्राप्त अतिशत के अधीन कटोती    सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत खां   सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत खां   सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत खां   अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां।   कुल (खा-खां) स्वां) खां।   कुल (खा-खां) स्वां के अधीन कटोती (नीचे मद ई में ब्योरे   विनिर्दिष्ट करे)  ड. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उगा-उघ) था आउ (i) ड. आउ (i) उ जुलाई, 2024 से पूर्व,   (ii) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व,   (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात   कपानी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से पहले था वहां का का कालम 14 की राशि    कपानी अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्   4का     वां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्   4का     वां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्   4का     वां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्   4का     वां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्   4का									
छ धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिशत पर]  जा अ(३)  पत्र (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  जाधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ ३(च) - आ ३(i) ३(छ) ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  ३ii (i)(स्वीबद्ध प्रतिभागियों) किसी यूनेट से भिन्न या शूच कूपन बंधपत्र, जहां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  क प्रतिफल का कुल मूल्य अक धारा 112 का परंतुक लागू है थारा 48 के अधीन कटौती  i स्वीबद्ध के बिना अर्जन की लागत खां प्रतिशत के बिना अर्जन की लागत खां अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां। अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां। अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां। अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां। या उपके के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)  इ. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (३ग-३घ) था आउ (i) ट3 जुलाई, 2024 से पूर्व , आउ (i) ट3 जुलाई, 2024 से पूर्व , आउ (i) ड. i आउ (i) ड. i आउ (i) ड. i जिनेच के अधीन एसटौटीसंदल किया जाता है की इकाई के विक्रय से का का कांवम 14 (iii) )  क धारा 112क के अंतर्गत एलटौसीजी (अनुसूची 112क कक कांवम 14 (iii))  i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कांवम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् 4का वा जाता के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात् 4का। या उसके अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात् 4का। या उसके अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात् 4का। या अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् 4का। या उसके पश्चात् 4का। या उसके अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात् 4का। या उसके अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात् 4का। या उसके अधीन कटौती विनोचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात् 4का। या उसके पश्चात् 4का। या उसके अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात् 4का। या उसके अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात्य 4का। या उसके अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4खा था उसके पश्चात्य 4का। या उसके पश्चात्य 4का। या उसके पश्चात्य 4का। या उसके पश्चात्य 4का। या उसके अधीन कटौती विक्रय विक्रय विक्रय विक्रय विक्रय विक्रय विक्रय विक्र									
आ 3(ड.क) *10 प्रतिशता   (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है (आ 3(च) -आ 3(i) 3(ii) (i) (सूचीबद्ध प्रतिमागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था   श्रारा (1) 112 का परंतुक लागू हे   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था   श्रारा (1) 112 का परंतुक लागू हे   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था   श्रारा (1) 112 का परंतुक लागू हे   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था   श्रारा 48 के अधीन कटोती   श्राप्त 48 के अधीन कटोती (नीचे मद ई में ब्योरे अन्य का श्राप्त (1) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व , आ 3 (1) ड. आ 3 (1) ड	-	(वहा	वागू हाता ह जहां अंतरण 23 जुलाइ, 2024 स	पहल था)	<del>n</del>	<del>}                                    </del>	<del></del>	207.27	
वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   ज आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(च) -आ 3(i) 3(3) 1(3) (1)(स्वीबद्ध प्रतिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बेधपत्र, जहां जतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से पूर्व था   ज प्रतिफल का कुल मूल्य   उक जिस्से 2024 से विशेष व	8			टासाजा सूर	वाकरण	क ।वना ।0	प्रातशत परा	બા ૩(ા)	
ज अधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(च) -आ 3(छ)] (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)  3ii (i)(सूचीबद्ध प्रितिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शूय कूपन बंधपत्र, जहां जंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था  क प्रतिफल का कुल मृत्य अक प्रतिफल का कुल मृत्य खारा (1) 112 का परंतुक लागू है  क प्रतिफल का कुल मृत्य अक प्रतिफल का कुल मृत्य खारा 48 के अधीन कटौती  i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत खां  iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खां।  ग अतिशेष (उक-खांv)  उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था आउ (i) ट. आउ (i) 23 जुलाई, 2024 के यो उसके पश्चात किया जाता है की इकाई के विक्रय से  क क्षारा 112क के अंतर्गत एकटौती (अनुसूची 112क के शारा 12क के अधीन एसटौटीसंदल का कॉलम 14 (ii))  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात किया जाता है की इकाई के विक्रय से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ध में सक्ते था वहां कॉलम 14 की राशि				पहले था					
अहां   तिहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)   वहां जंतरण 23 धारा (1) 112 का परंतुक लागू है   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से धारा (1) 112 का परंतुक लागू है   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से को या उसके पक्षात धारा (1) 112 का परंतुक लागू है   जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से को या उसके पक्षात धारा 48 के अधीन कटौती   चारा 54 के अधीन कटौती (तीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्देष्ट करें)   उम्पुक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था   आउ(i) ड. आउ (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था   आउ (i) ड. आउ (i) ट. आउ (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात   जिया जाता है की इकाई के विक्रय से किया जाता है की इकाई के विक्रय से चहां के का		( ~ ( ) .							
33 किस निर्माणियों) किसी यूनिट से भिन्न या शुन्य कूपन बंधपत्र, जहां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था अप	ज	आधि	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतक	के अनसार	र उपेक्षि	त किया जा	ना है ।आ ३(च) -आ	आ 3(i)	
धारा (1) 112 का परंतुक लागू है	ज	आधि	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक	के अनुसार		त किया जान	ना है [आ 3(च) -आ	आ 3(i)	
क प्रतिफल का कुल मूल्य ख धारा 48 के अधीन कटौती  i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत खii  ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत खiii  iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खiii  व्यय  iv कुल (खi+खii+खiii)  च धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)  ड. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था आउ(i) ड. आउ (i) ड. i आउ (j) ड. i (ii) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, आउ (j) ड. ii  कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटौटीसंदल किया जाता है की इकाई के विक्रय से  कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटौटीसंदल किया जाता है की इकाई के विक्रय से  कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटौटीसंदल किया जाता है की इकाई के विक्रय से  कंपनी वे ताहत अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कंगलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् 4कां  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख		आधि 3(छ)	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2	के अनुसार 1024 से पह	ले था)			आ 3(i)	
ख धारा ४८ के अधीन कटौती    स्वीबद्ध के बिना अर्जन की लागत   स्वां।   स्वीबद्ध के बिना सुधार की लागत   स्वां।   अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से स्वां।   अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से स्वां।   स		आधि 3(छ)	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध	के अनुसार 1024 से पह	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b>		
ख धारा 48 के अधीन कटौती  i पूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत  iii पूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत  iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से खांं।  iv कुल (खां+खां+खां)  य धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)  ड. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था आउ (i) ड. आउ (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, आउ (i) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्  कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटौटौसंदल्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से  क धारा 112क के अंतर्गत एलटौसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii))  i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख		आधि 3(छ)	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध	के अनुसार 1024 से पह	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
i       सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत       खां         ii       सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत       खां         iii       अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से       खांii         v       कुल (खां+खां+खांi)       खांv         ग       अतिशेष (उक-खांv)       3ग         घ       धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)       3घ         ड.       उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था       आ3 (i) ड.         (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, आउ (i) ड. जा उपर्युक्त जा उपर्युक्त प्राप्त (अपर्युक्त अधीन एसटीटीसंदल किया जाता है की इकाई के विक्रय से         क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii) )       4क         छा जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि       4का कॉलम 14 की राशि         खां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था       4का         खां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था       4का         खां अतरण 23 जुलाई के अधीन कटौती (नीचे मद घ में       4ख	3іі (і)(सूची	आधि 3(छ) बद्ध प्र	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है	<b>के अनुसार</b> <b>024 से पह</b> धपत्र, जहां	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
शं       सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत       खां         शं       अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से       खांं।         ग       अंतिशेष (उक-खांv)       उग         घ       धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे       उघ         विनिर्दिष्ट करें)       उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था       आउ (i) ड.         ड.       उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था       आउ (i) ड.         (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्       अग उ (i) ड.         कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदला         कंपनी के को इकाई के विक्रय से       4क         कंग कॉलम 14 (iii) )       4क         श्वां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि       4का         श्वां जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था       4का         श्वां आहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था       4का         श्वां आहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था       4का         श्वां अंतरण 23 जुलाई के अधीन कटौती (नीचे मद घ में       4खा	3ii (i)(सूची क	<b>आधि</b> 3(छ) बद्ध प्र प्रितिप	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है कल का कुल मूल्य	<b>के अनुसार</b> <b>024 से पह</b> धपत्र, जहां	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
ज्यय   iv कुल (खi+खii+खiii)   खiv   3ग   3ग   1   1   1   1   1   1   1   1   1	3ii (i)(सूची क	<b>आधि</b> 3(छ) बद्ध प्र प्रितिप	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती	के अनुसार 024 से पह धपत्र, जहां 3क	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
ज्यय   iv कुल (खi+खii+खiii)   खiv   3ग   3ग   1   1   1   1   1   1   1   1   1	3ii (i)(सूची क	आधि 3(छ) बद्ध प्र प्रतिप धारा i	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सुचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	के अनुसार 024 से पह धपत्र, जहां 3क खा	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
v कुल (खi+खii+खiii) खiv   3ग   3ग   3ग   3ग   3ग   3ग   3ग   3	3ii (i)(सूची क	आधि 3(छ) बद्ध प्र प्रतिप धारा i	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सुचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	के अनुसार 024 से पह धपत्र, जहां 3क खां खां	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
ग अतिशेष (उंक-खांv)  घ धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)  ड. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था  (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्  कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से  क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii))  i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् 4का था  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख	3ii (i)(सूची क	आधि 3(छ) बद्ध प्र प्रतिप धारा i	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से	के अनुसार 024 से पह धपत्र, जहां 3क खां खां	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
घ धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)  ड. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था आउ (i) ड. आउ (i) ड. आउ (i) ट. आउ जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् आउ (i) ड. आउ (ii) विम्यं जाता है की इकाई के विक्रय से  क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii) )  ा जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  । अउ (i) ड. अउ (i) ड. अउ (i) ड. आउ (	3ii (i)(सूची क	आधि 3(छ) बद्ध प्र प्रतिप धारा ii	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां 3क खां खां खांं	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
विनिर्दिष्ट करें)   34   34   34   34   34   34   34   3	3ii (i)(सूची क ख	आधि 3(छ) बद्ध प्र प्रतिप् धारा ii iii	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (3क-खांv)	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां 3क खां खां खां खां	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
ड. उपर्युक्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (उग-उघ) था (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्  कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदल्ल किया जाता है की इकाई के विक्रय से  क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii))  i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् 4कां था  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख	<b>3ii (i)(</b> सूची क ख	आधि 3(छ) बद्ध प्र प्रतिप् धारा ii iii	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (3क-खांv)	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां उक खां खां खां खां खां खां खां	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् जंग अ (i) उ. i आ 3 (i) उ. i आ 4 किया जाता है की इकाई के विक्रय से किया जाता है की इकाई के विक्रय से विक्रय से वहां का कॉलम 14 (iii) ) i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् यक्वां था उसके पश्चात् था अप 3 जुलाई अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख	<b>3ii (i)(</b> सूची क ख	आधि 3(छ) बद्ध प्र प्रतिप धारा ii iii iv अतिः धारा	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (उक-खांv) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां उक खां खां खां खां खां खां खां	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्, 2024 से	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् आ 3 (i) ड.ii  4 कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से  क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii))  i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख	3ii (i)(सूची क ख ग घ	<b>आधि</b> 3(छ) बद्ध प्र प्रितिप धारा i iii धारा विनि	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है  कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (उक-खांv) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) कत आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां अक खां खां खां खां खां अग 3घ	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्		
उ.ii   कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदल किया जाता है की इकाई के विक्रय से   विक्रया जाता है की इकाई के अधीन एसटीटीसंदल   विक्रया जाता है की इकाई वा कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदल   विक्रया जाता है की इकाई वा कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदल   विक्रया जाता है की इकाई के विक्रय से   विक्रया जाता है की इकाई के विक्रय से   विक्रया जाता है की इकाई के अधीन एसटीटीसंदल   विक्रया जाता है की इकाई का उत्तर जाता है की इकाई के अधीन एसटीटीसंदल   विक्रया जाता है की इकाई का उत्तर जाता है की इकाई के अधीन करीड़ की इकाई का उत्तर जाता है की इकाई का उत्तर जाता है की इकाई के अधीन एसटीटीसंदल   विक्रया जाता है की इकाई का उत्तर जाता है की इकाई का उत्तर जाता है की इकाई का उत्तर जाता है   विक्रया जाता है की इकाई की इकाई का उत्तर जाता है   विक्रया जाता है की इकाई की	3ii (i)(सूची क ख ग घ	<b>आधि</b> 3(छ) बद्ध प्र प्रितिप धारा i iii धारा विनि	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधिरा (1) 112 का परंतुक लागू है  कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांं+खांं) रोष (उक-खांण) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) क्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व,	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां अक खां खां खां खां खां अग 3घ	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ <b>3(i</b> ) ड.	
क       शिरा जाता है की इकाई के विक्रय से         क       धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii) )         i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि         ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था         ख       धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में    4क	3ii (i)(सूची क ख ग घ	<b>आधि</b> 3(छ) बद्ध प्र प्रितिप धारा i iii धारा विनि	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधिरा (1) 112 का परंतुक लागू है  कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांं+खांं) रोष (उक-खांण) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) क्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व,	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां अक खां खां खां खां खां अग 3घ	ले था) जहां जुलाई	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i)ड. i	
क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii) )  i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था था  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख	3ii (i)(सूची क ख ग घ ड.	<b>अधि 3(छ)</b> बद्ध प्र प्रितिप धारा i iii iii विनि उपर्यु	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधि धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांं+खांं) रोष (उक-खांण) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे देंष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां खां खां खां खां आं उप उप	ले था) जहां जुलाई ा	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
का कॉलम 14 (iii) ) i जहां अंतरण 23 जुलाई, <b>2024</b> से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि ii जहां अंतरण 23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् <b>4का</b> । था ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में <b>4ख</b>	क       ख       ग       घ       ड.	अरिं       उ.उ.       उ.उ.       प्रितिप       शारा       शारा       शारा       विनिं       उ.पर्यु       साधार	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधिरा (1) 112 का परंतुक लागू है  कल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (उक-खांण) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) कत आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां खां खां खां खां आं उप उप	ले था) जहां जुलाई ा	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
i जहां अंतरण 23 जुलाई, <b>2024</b> से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् <b>4का</b> ं था  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में <b>4ख</b>	क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात	<b>अधि</b> 3(छ) बद्ध प्र प्रितिप धारा i iii विनि उपर्यु	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधिरा (1) 112 का परंतुक लागू है  क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत स्चीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांं+खांं) 21यें (उक-खांंं) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) व्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक ो इकाई के विक्रय से	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां खां खां खां खां आं उप उप	ले था) जहां जुलाई ा	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
कॉलम 14 की राशि  ii जहां अंतरण 23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् <b>4कां</b> था  ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में <b>4ख</b>	क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात	अ <b>१६</b> <b>३(छ)</b> बद्ध प्र धारा <b>ii</b> <b>iii</b> धारा विनि उपर्यृ	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत स्त्वीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांi+खांi) शेष (उक-खांv) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक ो इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां उक खां खां खां खां खां आं उम ताभ जहां अ	ले था) जहां जुलाई ा	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
ii जहां अंतरण 23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् <b>4कां</b> था ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में <b>4ख</b>	क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात	आधि   उत्तर्व   वद्ध प्र   धारा   धारा   विनि   उपर्यु   साधार   है के धारा   का व	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांं+खांंं) शेष (उक-खांंंं) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक ो इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क गॅलम 14 (iii))	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां धपत्र, जहां खां खां खां खां आं उप ताभ जहां अ	ले था) जहां जुलाई ा	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
था ख धारा ५४च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में <b>४ख</b>	क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात	आहि   उत्हें   वद्ध प्र   धारा   धारा   विनि   उपर्यु   साधार   है के   धारा   का व	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांं+खांंं) शेष (उक-खांंं) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक ो इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क गॅलम 14 (iii)) i अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां धपत्र, जहां खां खां खां खां आं उप ताभ जहां अ	ले था) जहां जुलाई ा	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
था ख धारा ५४च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में <b>४ख</b>	क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात	आहि   उत्हें   वद्ध प्र   धारा   धारा   विनि   उपर्यु   साधार   है के   धारा   का व	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बं धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खांं+खांंं) शेष (उक-खांंं) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक ो इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क गॅलम 14 (iii)) i अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां	के अनुसार 1024 से पह धपत्र, जहां धपत्र, जहां खां खां खां खां आं उप ताभ जहां अ	ले था) जहां जुलाई 1	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
ख धारा ५४च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में 4ख	क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात	आहिं    3(छ)   4   4   5     5   5     6   7     7   7     8   7     9   7     1   1     1   1     1   2     2   7     3   7     4   7     5   7     6   7     7   7     8   7     9   7     9   7     1   1     1   1     1   1     2   7     3   7     4   7     5   7     6   7     7   7     7   7     8   7     9   7     9   7     1	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (उक-खांv) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे देष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक तो इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क कॉलम 14 (iii) ) i अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां म 14 की राशि	के अनुसार 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1034 सां 1034 सां	ले था) जहां जुलाई 1	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
	क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात	आधि   उप्तिप्   धारा   iii   i	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (उक-खांv) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे देष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक तो इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क कॉलम 14 (iii) ) i अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां म 14 की राशि	के अनुसार 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1034 सां 1034 सां	ले था) जहां जुलाई 1	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
ज्यारापानादण्य पर)	क       क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात       क	आधि 3(छ) बद्ध प्र धारा iii iii iii iii iii iii iii iii iii ii	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) रोष (उक-खांv) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे र्देष्ट करें) क्त आउ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक् वे इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क गॅलम 14 (iii) ) i अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां म 14 की राशि	के अनुसार 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1034 सां 1034 सां	ले था) जहां जुलाई 1	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	
	क       क       ख       ग       घ       ड.       कंपनी के किया जात       क	आधि   उत्तिष्धारा   बद्ध प्र   धारा   बारा   विनि   उपर्यु   धारा   का व   का ल   धारा	क्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक ](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 तिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंध धारा (1) 112 का परंतुक लागू है क्ल का कुल मूल्य 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय कुल (खां+खां+खांं) शेष (3क-खांv) 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे देंष्ट करें) क्त आं3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभि (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इक् तो इकाई के विक्रय से 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क गॅलम 14 (iii) ) i अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां म 14 की राशि	के अनुसार 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1024 से पह 1034 सां 1034 सां	ले था) जहां जुलाई 1	अंतरण 23 र्ह, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>3(i</b> ) ड. आ 3 (i) ड. i आ 3 (i) ड.ii	

	i जहां अंतरण 23 जुलाई, 2 कॉलम 14 की राशि	024 से पहले था वहां	<b>4ख</b> i			
	ii जहां अंतरण २३ जुलाई, <b>२</b>	2024 को या उसके पश्चात्	4खii			
ग	था उपर्युक्त आ ४ पर पूंजी आि i जहां अंतरण २३ जुलाई, <b>२</b> ii जहां अंतरण २३ जुलाई, <b>२</b>	024 से पहले था वहां कॉल 2024 को या उसके पश्चात्	म 14 की रा था	হিয়		ख4ग आ4ग <b>i</b> आ4ग <b>ii</b>
	ायों के लिए,किसी भारतीय विदेश मुद्रा के समायोजन		वर का विक्र	य से (धारा 48 के प	ाहले परतुक	
क	सूचीबद्ध फायदों के बिना जहां अंतरण था–		5क			
	i 23 जुलाई, 2024 से पह	ले -सूचीबद्ध डिबेंचर	<b>5क</b> i			
	ii 23 जुलाई, 2024 से पह से भिन्न	ले – सूचीबद्ध डिबेंचरों	5क ii			
	iii 23 जुलाई, 2024 को य असूचीबद्ध शेयर या सूचीव		5क iii			
ख	धारा 54च के अधीन कटौ विर्निदिष्ट करें)	ती(नीचे मद ई में ब्यौरे	5ख			
	i. 23 जुलाई, 2024 से पह	ले -सूचीबद्ध डिबेंचर	5खi			
	ii. 23 जुलाई, 2024 से पह से भिन्न	इले – सूचीबद्ध डिबेंचरों	5ख ii			
	lii. 23 जुलाई, 2024 को य असूचीबद्ध शेयर या सूची	बद्ध डिबेंचर)	5ख iii			
ग	शेयर या डिबेंचर पर(5क-		आ <b>5ग</b>			
	i. 23 जुलाई, 2024 से पह		आ <b>5ग</b> i			
	ii. 23 जुलाई, 2024 से पह से भिन्न	हल – सूचाबद्ध डिबचरा	आ <b>5ग ii</b>			
	lii. 23 जुलाई, 2024 को र					आ <b>5ग iii</b>
अनिवारि	असूचीबद्ध शेयर या सूचीव ।यों के लिए-(i)धारा 112(1	बद्ध डिबेंचर) )(ग) के अनुसार गैर-सूर्च	ोबद्ध		23 जुलाई, <b>2024</b> को	आ <b>5ग iii</b>
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	असूचीबद्ध शेयर या सूचीव गयों के लिए-(i)धारा 112(1 गां,(ii)धारा 115कग में निर्दि ii)धारा 115कघ में निर्दिष्ट च तिभूतियों से भिन्न जिसके लि गम सं.(iii) के लिए अंतरण व भपेक्षित नहीं है	बद्ध डिबेंचर) (गि) के अनुसार गैर-सूर्च हृष्टबंध पत्र या ग्लोबल निश् व2 द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चा ग्री तारीख के आधार पर आ	<b>भ्रेपागार</b> श 112 में हिए ।) य का	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था	आ <b>5ग iii</b>
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	असूचीबद्ध शेयर या सूचीव गयों के लिए-(i)धारा 112(1 गां,(ii)धारा 115कग में निर्दि ii)धारा 115कघ में निर्दिष्ट व तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण व	बद्ध डिबेंचर) (गि) के अनुसार गैर-सूर्व हिष्टबंध पत्र या ग्लोबल निध् ब2 द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ ७ भरा जाना चा गी तारीख के आधार पर आ पों में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की	<b>भ्रेपागार</b> श 112 में हिए ।) य का	जुलाई, 2024 से		आ5ग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	अस्वीबद्ध शेयर या सूचीव ग्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट व ii)धारा 115कघ में निर्दिष्ट व तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण व भपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिव i से भिन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च पृष्ठंध पत्र या ग्लोबल निर्ध व2 द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ ७ भरा जाना चा गी तारीख के आधार पर आ पों में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें। शेयरों के संबंध में प्राप्त / ग पूर्ण मूल्य	<b>भ्रेपागार</b> श 112 में हिए ।) य का	जुलाई, 2024 से		आ5ग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव ग्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दि हैं ii)धारा 115कघ में निर्दिष्ट हैं तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण क भेपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिक् ं से भिन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क शेयरों का उचित	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च धृष्टंध पत्र या ग्लोबल निर्ध बद्ध द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चां शी तारीख के आधार पर आ पों में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें। शेयरों के संबंध में प्राप्त / विधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य	<b>भ्रेपागार</b> रा 112 में हिए I) य का	जुलाई, 2024 से		आ5ग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट ह तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण क अपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिव हो से भिन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क श्वायरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च पृष्ठंध पत्र या ग्लोबल निर्ध व2 द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चा गै तारीख के आधार पर आ यों में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें। शेयरों के संबंध में प्राप्त / ग पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य गर अंगीकृत कोट न किए गंध में प्रतिफल का पूर्ण	भ्रेपागार रा 112 में हिए I) य का	जुलाई, 2024 से		आ5ग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट ह तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण क अपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिव ह से भिन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या ख व	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च पृष्ठंध पत्र या ग्लोबल निर्धं दृद्ध प्राप्त प्रित्यां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चां ग्रे तारीख के आधार पर आ में में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें। शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज्यां पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए धारा ार अंगीकृत कोट न किए गंध में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभृतियों के	<b>भेपागार</b> श 112 में हिए I) य का	जुलाई, 2024 से		आ5ग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 तां,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट के तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण क अपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिन हो से भिन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यों कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या ख व	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च पृष्ठंध पत्र या ग्लोबल निर्धं दृद्ध प्राप्त प्रित्यां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चां ग्रे तारीख के आधार पर आ में में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें। शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज्यां पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए धारा ार अंगीकृत कोट न किए गंध में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभृतियों के	<b>भेपागार</b> श 112 में हिए I) य का <b>iक</b> iiख	जुलाई, 2024 से		आठग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- उ ब्रेकअप	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट ह तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण क अपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिव ह से भिन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या ख व	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च प्रवंध पत्र या ग्लोबल निर्ध व्य द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चां जी तारीख के आधार पर आयों में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें । शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य ज प्रयोजन के लिए धारा ार अंगीकृत कोट न किए धं में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभृतियों के र्ण मूल्य	श्रेपागार श 112 में हिए I) य का iiख iiiग	जुलाई, 2024 से		आ5ग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- ब्रेक अप क	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 तां,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट के तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण क अपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूति हो सिभन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यों कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या ख व मूल्य (क या ख व कोट न किए गए शेयरों संबंध में प्रतिफल का पू धारा 48 के अधीन कटौर्त म्वीबद्ध के बिना अर्ज	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च हिष्वंध पत्र या ग्लोबल निर्ध हुवंध पत्र या प्रांच जो तारीख के आधार पर आयों में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलत होने की रे दर्ज करें। शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज पूर्ण मूल्य बाजार मूल्य हुवंध में प्रतिफल का पूर्ण हा उच्चतर) से भिन्न प्रतिभृतियों के र्ण मूल्य	श्रेपागार श 112 में हिए I) य का iiख iiiग	जुलाई, 2024 से		आ5ग iii
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- ब्रेक अप क	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट के तिभूतियों से भिन्न जिसके लिं ग्रम सं.(iii) के लिए अंतरण क अपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिग देशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क श्वायरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब् मूल्य (क या ख व मूल्य (क या ख व कोट न किए गए शेयरों संबंध में प्रतिफल का पू गं संबंध में प्रतिफल का पू गं संवंध में प्रतिफल का पू गं संवंध में प्रतिफल का पू गं संवंध में प्रतिफल का पू गं स्वीबद्ध के बिना अर्ज गं स्वीबद्ध के बिना सुध गं अंतरण के संबंध में पूर	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च हिष्वंध पत्र या ग्लोबल निर्ध हु द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चा जी तारीख के आधार पर आयों में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलत होने की रे दर्ज करें । शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य ज प्रयोजन के लिए धारा गर अंगीकृत कोट न किए गंध में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभूतियों के र्ण मूल्य	शेपागार श 112 में हिए I) य का ंक ंशि ंशि ंशि क iii	जुलाई, 2024 से		<b>МІБТІ ІІІ</b>
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- ब्रेक अप क	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं तिभूतियों से भिन्न जिसके लिं कम सं.(iii) के लिए अंतरण व भेपेक्षित नहीं हैं विक्रय की गई प्रतिभूति हों से भिन्न कंपनी के शेयरों दशा में निम्नलिखित ब्यों कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क ख विहित रीति में अ शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या ख व प्रां संबंध में प्रतिफल का पू iii संबंध में प्रतिफल का पू iii स्वीबद्ध के बिना अर्ज ii स्वीबद्ध के बिना सुध iii अंतरण के संबंध में पूर से व्यय	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च प्रिवंध पत्र या ग्लोबल निर्हें द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चां गै तारीख के आधार पर आ में में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें । शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए धारा ार अंगीकृत कोट न किए हां ध में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभूतियों के र्ज मूल्य न की लागत ए की लागत जित्या और अनन्य रूप	शेपागार श 112 में हिए I) य का iiग iiग क iii क iii खii खii	जुलाई, 2024 से		<b>МБТ III</b>
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- ब्रेकअप र क	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिश्च तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण व भेपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिय दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क ख विहित रीति में अ शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या खव 10 कोट न किए गए शेयरों संबंध में प्रतिफल का पू धारा 48 के अधीन कटौर्त ं स्वीबद्ध के बिना सुध ii स्वीबद्ध के बिना सुध ii स्वीबद्ध के बिना सुध ii स्वीबद्ध के बिना सुध ii अंतरण के संबंध में पूर् से व्यय iv कुल (खा + खां + खां	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च प्रिवंध पत्र या ग्लोबल निर्हें द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चां गै तारीख के आधार पर आ में में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें । शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए धारा ार अंगीकृत कोट न किए हां ध में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभूतियों के र्ज मूल्य न की लागत ए की लागत जित्या और अनन्य रूप	शेपागार श 112 में हिए I) य का iiग क iii क iii खii खii खii	जुलाई, 2024 से		<b>МБТ III</b>
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र ट्रिप्पण- ब्रेक अप क	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिश्च तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण व भेपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिय दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क ख विहित रीति में अ शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या खव 10 कोट न किए गए शेयरों संबंध में प्रतिफल का पू धारा 48 के अधीन कटौर्त ं स्वीबद्ध के बिना सुध सं क्यय iv कुल (खा + खा। + खा अतिशेष (6क ।।। - खा।) धारा 54च के अधीन कटौरी	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च पृत्रंध पत्र या ग्लोबल निर्हें हुवंध पत्र आ गं भरा जाना चां गे तारीख के आधार पर आ गों में कोट किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए धारा गर अंगीकृत कोट न किए गं एं में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभूतियों के र्ण मूल्य न की लागत पत्या और अनन्य रूप	शेपागार श 112 में हिए I) य का iiग iiग क iii क iii खii खii	जुलाई, 2024 से		<b>МБТ III</b>
प्रतिभूति रसीद, (i निर्दिष्ट प्र टिप्पण- ब्रेकअप र क	अस्वीबद्ध शेयर या स्वीव त्यों के लिए-(i)धारा 112(1 गं,(ii)धारा 115कग में निर्दिश्च तिभूतियों से भिन्न जिसके लि कम सं.(iii) के लिए अंतरण व भेपेक्षित नहीं है विक्रय की गई प्रतिभूतिय दशा में निम्नलिखित ब्यौं कोट न किए गए प्राप्य प्रतिफल क ख विहित रीति में अ शेयरों का उचित ग पूंजी अभिलाभ वे 50गक के अनुस गए शेयरों के संब मूल्य (क या ख व भित्र के अधीन कटौर्त ं स्वीबद्ध के बिना सुध ii स्वीबद्ध के बिना सुध ii स्वीबद्ध के बिना सुध ii स्वीबद्ध के बिना सुध ii उतरण के संबंध में पूर से व्यय iv कुल (खा + खां + खां अतिशेष (6क iii – खां))	बद्ध डिबेंचर) (ग) के अनुसार गैर-सूर्च पृष्ठंध पत्र या ग्लोबल निर्धं प्रत्र या ग्लोबल निर्धं दृष्ट्र द्वारा प्रतिभूतियां (धार ए स्तंभ आ 7 भरा जाना चा गे तारीख के आधार पर आ गें में कोट किए गए शेयरों के सम्मिलित होने की रे दर्ज करें । शेयरों के संबंध में प्राप्त / ज पूर्ण मूल्य वधारित कोट न किए गए बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए धारा ार अंगीकृत कोट न किए गंंध में प्रतिफल का पूर्ण का उच्चतर) से भिन्न प्रतिभूतियों के र्ण मूल्य न की लागत पर की लागत पर की लागत गंतया और अनन्य रूप जांंध)	शेपागार श 112 में हिए I) य का ंग ंग क ii क iii क iii खां खां खां खां खां खां खां खां	जुलाई, 2024 से पूर्व था	या उसके पश्चात् था	आ5ग iii

Ļ		(ii	i) जहां 23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात् था <b>ट</b>	<u>हा [6(i) अ</u>	ार 6(ii) लागू होता है	]	आ 6ङ
		(ii	ii) धारा 115कघ में यथा निर्दिष्ट एफआईआई द्व	<u>ारा प्रतिभूति</u>	ायों के विक्रय से		आ 6ङ
7		इंब	क आईआई /एफपीआई के लिए (अनिवासियों के लिए)- कं काई या कारबार न्यास जिस पर धारा115कघ के साथ पठि काई के विक्रय से	पनी के साधार त धारा 112) वे	ण शेयर या साधारण अवि के अधीन एसटीटी का संव	भेविन्यासित निधि की द्राय किया जाता है की	
		Źς	गर् क विक्रय स				
	क	ध	ारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी[अनुसूची	7क			
			15कघ( <b>1)(iii)</b> परंतुक के स्तंभ 14( <b>iii</b> )]				
		(7	<b>7</b> कi+7कii)				
			(i) जहां अंतरण २३ जुलाई, <b>२०२४</b> से पहले था वहां कॉलम १४ की राशि	7क(i)			
			i) जहां अंतरण 23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके	7क(ii)			
-	ख	ध	श्चात् था वहां कॉलम 14 की राशि ारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में	7ख			
-		Ø	गौरेविनिर्दिष्ट करें) (i) 23 जुलाई, <b>2024</b> से पूर्व	7ख(i)			
-		/i	i)23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात्	7명(ii)			
-	ग		<b>1723</b> जुलाइ <b>, 2024</b> पर्रा पा उत्तपर पञ्चात् पर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ क		<u>।</u> अभिलाभ ( <b>7क</b> - <b>7ख</b> )		आ7 <b>ग</b>
_		١,	१ २२ जनार्च २०२४ में गर्च				эпот
$\dashv$			i) 23 जुलाई, <b>2024</b> से पूर्व				आ8गा
_			i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्			·0-5	आ7ग
8		नवार ट	नी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्र	<u> १य स (याद )</u>	अध्याय XII-क क अ	धान विकल्प द)	
	क	वे	विदेशी मुद्रा आस्ति(सूचीबद्ध के बिना संगणित) विक्रय पर एलटीसीजी (धारा 115च के	8क			
-		ও	ानुसार) जहां अंतरण निम्नलिखित था (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	0.85:			
}		-	(i) 23 जुलाइ, <b>2024</b> स पूर्व (ii) 23 जुलाई, <b>2024</b> को या उसके पश्चात्	8कi 8कii	+		
	ख	ŞI	ारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद घ	09/11	<del> </del>		
	<b>.</b>	में	ं ब्यौरे विर्निदिष्ट करें)	8ख			
Ī			<b>)</b> 23 जुलाई <b>, 2024</b> से पूर्व	8खां			
ſ		(i	i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	8खii			
- 1					<u> </u>		
-	ग	वि	विशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख)				आ 8ग
-	ग	<b>ि</b> ए	दिशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष				आ 8ग आ 8गi
-	ग	<b>ि</b> ए (i	वेदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख)				
9		र ए (i	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् ा आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विव	क्रय से	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था		आ 8गां आ 8गां
9		र ए (i	देशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	<b>क्रय से</b>	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	जहां उप	र ए (i	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शं कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम् दर्ज करें । क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>क्रय से</b>	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	जहां उप	र ए (i	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विव विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श् कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम् दर्ज करें । क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	क्रय से रोयरों से भिन्न बिलखित ब्यौरे ंक	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	जहां उप	र ए (i	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विव विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श् कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम् दर्ज करें । क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा	क्रय से गेयरों से भिन्न बिलिखित ब्यौरे ंक ंख	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	जहां उप	र ए (i	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विव विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श् कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम् दर्ज करें । क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	क्रय से गेयरों से भिन्न बिलिखित ब्यौरे ंक ंख	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 5	जहां उप	र ए (i	विशेष मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख)  )23 जुलाई, 2024 से पूर्व  i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्  त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विश्  विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श्  कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्  दर्ज करें ।  क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त /  प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य  ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए  शेयरों का उचित बाजार मूल्य  पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा  50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गर  शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क  या ख का उच्चतर)  कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के	क्रय से गेयरों से भिन्न बिलिखित ब्यौरे ंक ंख	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	जहां उप	वि ए (i (i पर्युक्त	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) 123 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् जा आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विव विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श् कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम् दर्ज करें ।  क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभृतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क्रय से गोयरों से भिन्न ग्रेलिखित ब्यौरे ंक ंख ंग्य	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	क	ि ए (i (i पर्युक्त i ii	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) 123 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विव विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श् कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम् दर्ज करें ।  क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभृतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य कुल (गग + ii)	क्रय से गोयरों से भिन्न गलिखित ब्योरे ंक ंख ंगि गंग ग	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 5	क	ि ए (i (i पर्युक्त i ii	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) 123 जुलाई, 2024 से पूर्व 1)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विव विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श् कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम् दर्ज करें ।  क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य कुल (ग + ii) 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण के लिए और सुचीबद्ध	क्रय से ोयरों से भिन्न शिलखित ब्यौरे ंक ंख ंग	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	क	ि ए (i (i पर्युक्त i ii	विदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख)  123 जुलाई, 2024 से पूर्व  123 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्  131 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श्रें कंपनी के शेयरों के सम्मिलत होने की दशा में निम्न दर्ज करें ।  13 कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य  13 विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य  14 पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर)  13 कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर)  14 के अधीन कटौती  15 सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण के लिए और सूचीबद्ध के बिना 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात अंतरण के लिए	क्रय से ोयरों से भिन्न शिलखित ब्यौरे ंक ंख ंग	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	क	ि ए (i (i पर्युक्त i ii	तदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) 123 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् जआ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय की गई प्रतिभृतियों में कोट किए गए श्रें कंपनी के शेयरों के सम्मिलत होने की दशा में निम्न्र दर्ज करें ।  क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभृतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य कुल (ग म मा) 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण के लिए और सूचीबद्ध के बिना 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात अंतरण के लिए	क्रय से ोयरों से भिन्न शिलखित ब्यौरे ंक ंख ंग	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	क	दि   ए   (i   पर्युक्त   i   ii   धारा   i	तदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्  त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श्रेक्पनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्र्दर्ज करें।  क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य का उच्चतर) कि अधीन कटौती सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात अंतरण के लिए सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	क्रय से ोयरों से भिन्न विवित ब्यौरे ंक ंख ंग गंध काः काः विवास	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां
9 1	क	दिवा   (i   (i   पर्युक्त   i   ii   iii   iii	तदेशी मुद्रा अस्तियों के विक्रय पर अतिशेष लटीसीजी जहां अंतरण था (8क- 8ख) )23 जुलाई, 2024 से पूर्व i)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् i आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए श्रेक्पनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्र्दर्ज करें ।  क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्या ख का उच्चतर) कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य कुल (ग + ii) 48 के अधीन कटौती सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण के लिए और सूचीबद्ध के बिना 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात अंतरण के लिए सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	क्रय से ोयरों से भिन्न शिवारी के भिन्न शिवारी	जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्	आ 8गां आ 8गां

घ	धारा 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विर्निदिष्ट करें)	9घ	i	ii	
ङ	उपर्युक्तआ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (९ग - ९घ) जहां अंतरण (९ग-९घ) था	आ 9ङ	i	ii	
	<b>(i)</b> 23 जुलाई <b>, 2024</b> से पूर्व	आ9गi			
	(ii)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	आ9गii			

	10	दीर्घकारि	नक पूंजी आ	भेलाभ सम	ाझी गई र	राशि							
		ō	म्या नीचे <u>दि</u>	खाए गए	पूर्व <b>वर्षी</b> व	के दौरान अंत	रित आस्ति	यों पर पंर्ज	ो अभिलाभ	की उपयोग	में नहीं ला	यी जा सकी	
		क र्व	केसी राशि	को उस व	र्षे के लि	ए देय तारीख	के भीतर पं	जी अभिल	ाभ खाता र	कीम में जम	। किया गया	. है?	
						दे हां, तो ब्यौरा						•	
		5	<u> </u>	ग नहीं। <i>ए</i>	प्रदिहां त	ख नीचे ब्यौरे प्र	ाटान करें)						
		Ì		र्व <b>वर्ष में</b>		रा जिसके अध			आस्तिय	i नर्ह आ	स्तियों के	क्या	
			सं. रि	न समें नसमें		वर्ष में जि	ममें असि	ਰ ∕ਜਿ <u>ਧਿੰ</u> ਰ	की गई है	लिए स	ग्योग नहीं		
				गरान गस्तियां		ो का दावा वि	त्या पूर्व			—   101 € 0.1 की गर्ट	या पूंजी	या वापसी	
				ारराया	गया	1 4/1 Q141 14	, प्रा जिस		्रुजा अभिलाभ		भखाता(भ)		
				ी गई है	191			न तेयां	खाता म		ग में नहीं		
			"	ט פוי וי			अस्ति	त /	से उपयोग		बची हुई		
							<del> </del>	तिकी	की गई		१ जना छुर	चुलाई <b>,</b>	
							गई है		नई राशि			जुराहर, 2024 से	
							115 (	?	15 (114)			पूर्व थी	
		H	: 2	021 22	E 4 / E /	. <del></del>						पूप पा	-
		-		021-22	54/54								-
		ŀ		022-23		<del>1ख/54च/54च</del>	वर्ष						_
				023-24		1ख/54च							
		ख '	क' स 1भन्न,	दाधअवाध	। पूजा अ	भिलाभ समझी	गई साश(( <b>i</b> -	+íi)	_ 3·				ৰ -
						1भ23 जुलाई <b>, 2</b>				3·			ख i
						गभ23 जुलाई,				हुए ह			खii
						मझी गई कुल	रााश(कxi-	⊦कxii+क	xiii+ख)				ख 10
			<b>i)</b> 23 जुलाई										ख 10i
			ii)23 जुला							3.			ख 10ii
	11	दीघावधि	'पूंजीगत अ	भेलाभ की	प्रकृति मे	में आय/क्षति के	जरिए पास	थ्रू (अनुसूर्च	ो पीटीआई १	ारें) <b>(</b> ख11क	1+ख11क2	+ ख11ख)	ख 11
						की दर से प्रभ	भार्य दीर्घावी	धे पूंजीगत	अभिलाभ व	र्घी प्रकृति में	ख <b>11</b> क1		
			आय/क्षति के								GIII		
						5 की दर से प्र	भार्य दीर्घावी	धे पूंजीगत	अभिलाभ व	भी प्रकृति में	ख 11क1 <b>(i</b>	n	
			आय/क्षति के				_				G 11971(I	'/	
						धाराओं के अंत		की दर से	प्रभाये दीघा	वधि पूंजीगत	ख11क 2(।	`	
		, i	अभिलाभ के	प्रकृति में	आय/क्षरि	ते के जरिए पार	<u> </u>					,	
		क2(ii) <sup>§</sup>	धारा ११२क्	के अधीन र	से भिन्न 1	2.5 <b>%</b> की दर	से प्रभाये दी	योवधि पूंजे	गित अभिला	भ की प्रकृति	ख11क2 <b>(ii</b>	,	
		()1	गरा 112क <u>में आय/क्षति</u>	क् जारए प	<u>गस</u>	. 0 0		0 3:	0.2			<u> </u>	
		ख	<u>20 <b>%</b> की द</u>	र से प्रभाय	द्याचीध	। पूंजीगत अभि	लाभ की प्रकृ	ति में आय	<u>/क्षति के जी</u>	रेए पास	ख11ख		
						ल की गई परन्	तु दावा किय	। गया कि व	कर के लिए !	ग्रभाये नहीं अ	थवा डीटीएए	के अनुसार	
		भारत म	विशिष्ट दरों	पर प्रभाय	नहा						1	1	
				ऊपर	मद सं.			क्या			आय-कर		
		क्रम	आय की	ख 1		देश का	डीटीएए		अभिप्राप्त	आय-कर	अधिनियम	र्ग (6 या 9	
		 सं.	रकम	11, R		नाम आर	की मद		ग है (हां /	अधिनियम	के	में से	
		<b></b>		सम्मि		कूट		नहीं)	6 (617	की धारा	अनुसार	निम्नतर)	
											दर	, i	
		(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)		(8)	(9)	(10)	_
		ı											
		II	0.0					0.0		2.0	C 0:1		
		क	एल टी सी	जी की कु	ल रकम	जिसका दावा वि	केया गया वि	<u>डीटीएए</u>	के अनुसार व	<u> कर के लिए प्र</u>	भाय नहीं	ख12क	ख12क
		ख	एल टी सी	जी की कु	ल रकम	जिसका दावा र्			क अनुसार वि	वोशष्ट दरों प	र कर के	ख12ख	ख12ख
							<u>लेए प्रभार्य न</u>					5	
	ख(क)	1 अक्तू	बर, 2024 व	न या उसव	<sub>म</sub> पश्चात् ।	शेयरों की क्रय	वापसा पर प	रूजागत हो। इ.च. ८	न <u>~</u> ^				ख (अ)
	-( ' )	[आनवार्	सया क लिए	धारा ११५५	कघ के उ	रावरा का क्रय अंतर्गत आने वा	ल सव्यवहार	। क लिए ट	।घकालिक	12.5 <b>%</b> या 10	) %]		
						धारा 2(22), (च						)	
		`				, ,- ,							
	13	आयकर	अधिनियम व	के अधीन प्र	ाभार्य कु <sup>र</sup>	ल दीर्घकालनिक	रु पूंजी अभि	ताभ (आ1	ड. +आ2ड्+	-आ3 <b>i</b> ड. +अ	13 <b>ii</b> ड.+ ऑ <sup>2</sup>	1ग+ आ5ग.	+ ख13
						+ आ 10 + उ			•				
<b>इ</b> 1						ड. के 11 <b>ii+</b> 11			<b>i+11vii+</b> 1	1viii+11ix-	٠x		<b>इ</b> 1
						। (अनुसूची वीर्ड							<b>₹2</b>
₹4				न प्रभार्य <i>उ</i>				,					₹3
•	पूजागत	1 लाम " -	ताम पर जवा	י רוויותוי									
<b>इ</b> 3	पूजागत पूंजी अ	ा लाम" <u>२</u> भिलाभ	वाष के जवा के विरुद्ध दा	वा की गई	कटौती व	• <b>२=</b> ) के संबंध में सूच	ना						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती			
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		कi	दिन / मास / वर्ष
	ii नए आवासीय घर की लागत		क ii	<u> </u>
	iii नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की ता	रीख	क iii	दिन / मास / वर्ष
	iv सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स	कीम में जमा की गई रकम	क iv	
	(ivक) निक्षेप की तारीख (ivख) लेखा संख्याक		( <b>iv</b> ग)अ	ाईएफएस कोड
	दिदि/मामा/वाईवाई 2			
	v दावा की गई कटौती की रकम		क v	
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	खां	दिन / मास / वर्ष	
	ii नई कृषि भूमि की लागत		ख ii	
	iii नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख		ख iii	दिन / मास / वर्ष
	iv सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्व	<b>हीम में</b> जमा की गई रकम	ख iv	
	(ivक) निक्षेप की तारीख			ग)आईएफएस कोड
	दिदि/मामा/वाईवाई			
	v दावा की गई कटौती की रकम		ख v	
ग		ा के अधीन दावा की गई कटौ		
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	·	गi	दिन / मास / वर्ष
	ii विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की अनिधक)	ो गई रकम <sub>/</sub> पचास लाख रुपए	से ग ॥	
	<b>iii</b> विनिधान की तारीख		ग iii	दिन / मास / वर्ष
	iv दावा की गई कटौती की रकम		ग iv	
घ	धारा 54 <b>च</b> के अधीन दावा की गई कटौती			
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		घi	दिन / मास / वर्ष
	<b>ii</b> नए आवासीय घर की लागत		घii	
	<b>iii</b> नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तार्र		घiii	दिन / मास / वर्ष
	iv सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्व		घiv	
	( <b>iv</b> क) निक्षेप की तारीख दिदि/मामा/वाईवाई	( <b>iv</b> ख) लेखा संख्याक	(iv	ग)आईएफएस कोड
	v दावा की गई कटौती की रकम		ਬv	
ड	धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनि	तासी भारतीयों के लिए	uv	
	i मुल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	डा	दिन / मास / वर्ष	
	ii नई विनिर्दिष्टआस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनि	डii	ויי /וייף אין אין אין	
	<b>iii</b> विनिधान की तारीख	डiii	दिन / मास / वर्ष	
	iv दावा की गई कटौती की रकम	ਤiv	ापः। / मारा / पप	
	कुल दावाकृत कटौती(1क + 1ख +1ग +1घ	ਚ ਹ		

,	उ ।	उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (अ8क और आ12क में शामिल रकमों को छोड़कर, जो डीटीएए के तहत चार्जेबल नहीं है।)												
क्र स			चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनास्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	,	अल्पकालिक	पूंजी अभिल	गभ हानि		র্ঘ	मालिक पूंजी अभि	लाभ हानि		मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3- 4-5-6-7- 8)	
				15%	20%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	12.50%	20%	डीटीएए दरें		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

	i	पूंजी हानि जिस किया जान (केवल यह पंक्ति संगणित अंक नव )	ता है त भरें यदि		(अ2ङा*+ अ3का*+ अ7का*)	(आवड.ii* +अउकांi* +अठकांi* कांi*	(आ45*+ आ7ख*+ आ(आ)	(आ1ङ+ अ3ख+ आ5ङ+ आ6+ आ7+ *अ(आ))	<b>अ8</b> ख	आउ(ii)डां*+ आ4डां*+ आ5गों*+ आ6ड.iii*+ आ7ड.ii*+ आशगों*+ आ11क1(i)*+ आ11अ2(ii)*+	(आ1छख*8+ आ3(i)উ.ii*+ आ4गii*+ आ5डगiii*+ आ6ड.ii*+ आ8गii*+ आ9उ.ii*+ आ10ii*+ आ11 क2(ii)*+ आ(अ))	(आ1गक*+ आ3(i)ड.i*+ आ2ड.*+ आ5गi*+ आ9ड.(i)*+ आ10i* + आ11ख*)	आ12ख	
	ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ2ङi+ अ3कi+										
++	iii	पूजा आमलाम	20%	<b>अ7कi)</b> अ2ड <b>.ii</b> +अ <b>3</b>										
	""		20%	ज2 <b>७.॥+</b> ज <b>3</b> क <b>ii+</b> अ7कii+अ(अ)										
	iv		30%	अ4ङ + अ <b>7</b> ख										
	v		लागू दर	(अ1ङ+अ3ख+ अ5ङ+										
				े अ6+ अ7ग+अ(अ))										
	vi		डीटीएए	अं8(2)										
		D.F. D.	दरें											
	vii	दीर्घकालिक	10%	(आ3(ii)ङi*+आ4ग										
		पूंजी अभिलाभ		+ आ5गii+आ6 <b>ङ</b> i +आ <b>6</b> ड.iii+ <b>आ7ग</b> i										
				+ आ8गi+										
				आ11क1(i)+										
				आ11क2(i)+आ(अ)										
	viii		12.50%	(आ)चख+अ3(i)ङii										
				+ आ4गांi+आ5गांii										
				+आ6ड.ii+आ7गii										
				+आ8गां।+आ9ड.ii										
				<b>+आ102ङ+</b> अ11क1 <b>(ii)</b>										
				+अ11क2(ii)										
				+आ9ङ+										
				आ10 +आ11क2(ii)										
				+आ(अ)										
	ix		20%	(आ1छक+आ2ड.										
				+आ3(i)ड.(i)+										
				आ5ग(i)+आ9ड.i										
+	L.,		डीटीएए	+आ10i+अ11ख) आ12ख										
	х		दरें											
	хi			i + iii + iv + v +	·									
$\perp$			vi+vii+vi											
$\vdash$	xii	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i –xi) 11 में एसटीसीजी के आंकडे(अ1ड़ *आटि) संबंधि			-inc ( nr. )	-, <del>-)</del>		<u> </u>	* <del>2-0-0</del>	<del></del>	<u> </u>		<u></u>	

इस सारणी में एसटीसीजी के ऑकड़े(अ1ड-\*आदी, संबंधित स्तंभ (अ1-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसी ही प्रतिभृतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभार्य हैं, जिसे इसमें सम्मितित किया गया है, यदि कोई हो ।

इस सारणी में एसटीसीजी के आंकड़े(अ1ड.\*आदि) संबंधित स्तंभ (आ11-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसी ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभार्य हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो ।

	ऊ	प्रोद्भवन की जानकारी/पूंजी अभिलाभ की रसीद												
		पूंजी अभिलाभ का प्रकार/तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)							
	1	यदि कोई हो,अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मुल्य लिखें			(111)	(III)	(IV)							
	2	अनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3iiiख से मूल्य प्रविष्ट करें ।												
	3	यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv सेमृल्यलिखें												
	4	. लागू दर पर करदेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें												
	5	. डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजीगतअभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3vi से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।												
	6	. 10%की दर पर करदेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii सेमूल्यलिखें												
	7	अभिलाभअनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3viiख से मूल्य प्रविष्ट करें।												
	8	. 20% की दर पर करदेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii सेमूल्यलिखें												

		9.	). डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य दीर्धकालिक पूंजीगत अभिलाभ
			अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मृद् 3ix से मूल्य दर्ज करें, यदि
			कोई हो।
		10	0. आभासी डिजिटल परिसंपति के अंतरण पर
			पूंजीगतअभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य
			अनुसूचीं एस.आई की मद 16 से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई
			en e
दि	प्पण	<b>&gt;</b> कृ	pपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी,अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करे

अन <u>ु</u> 11	सूची 2क	एक कंपन	ी में इक्टिटी	शेयर र्क	विक्री उ	अथवा नि 112क	नेधी उन्मुर के अंतर्गत	व इक्रिटी एसटीटी	की यूनिट का भगत	अथवा एक गान किया गर	बिजनेस् ग	। ट्रस्ट की	यूनिट र	मे जिन प	ार धारा
क्र म :सं.	2क अर्जित शेयर/ इकाई 31 जनवरी , 2018 को या उसके पहले या पश्चात्	23 जुलाई , 2024 से पहले/ को या उसके पश्चात् अंतरि त शेयर/ यूनिट	आईएम आईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	प्रति शेयर/ यूनिट की संख्या	प्रित शेयर / प्रिक्ति मूर्टि	प्रतिगति प्रतिफ तिफ तिफ तिफ तिफ न्याप्तिका नेयापितिका नेयापितिका नेयापितिका नेयापितिका नेयापितिका नेयापितिका नेयापितिका नेयापितिका नेयापितिका	8 एवं 8 एवं 9 के त र इंडेशन के बिश्व हागत	का भुगत अधि ग्रहण की लाग त	पदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी,, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	1 31 जक्रे 20 8 के सिंति के असप्रिय र मिटिय त ब जिम्स स्थान	धारा 55(2) (कग) के अनु सार पूंजीग त संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10	अंत ए के संबंध में पूर्ण तिविष्य ए से व्यय	कुल कटौ तियां (7+ 12)	शेष (6- 13)आई टीआर की एलटीसी जी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉ लम 1)	(कॉलम 1क)	कॉल म1ख)	(कॉलम 2)	(कॉ लम)	(कॉ लम)	(कॉ लम 5)	(कॉल म 6)	(कॉल म 7)	(कॉ लम 8)	(कॉलम 9)	(कॉ लम 10)	(कॉल म 11)	(कॉ लम 12)	(कॉल म 13)	(कॉलम 14)
2															
3															
4 पंक्ति	जोडे जोडे			<u> </u>		<u> </u>									
(i)		ां अंतरण 2	3 जुलाई, 2	024 से प	हले हुअ	ा था									
(**)	.	ai sia ····	स्तंभ 14 <del>व</del>		<del>,</del>	<del>-</del>									
(ii)	। ਯ ਹੁਣ	हा अंतरण शत किया :	27 जुलाई, गया था, वह	उU24 क ां कॉलम	1 41 उस 14 का व	क हल									
(iii)	)		योग												
	មា	रा 112 क	के अधीन	एलटासी	जा का य	।ग									

115	115क्य(1)(ख)(														
क्र	अर्जित	23	आईए		शेयर/	प्रति	प्रतिफ	८ एवं	अधि	यदि	31	धारा	अं	कु	शेष
म	शेयर/	जुलाई,	सआई	₹/	यूनिटों	शेयर/	ल का	9 के	ग्रह	दीर्घाव	जन	55(2)(	तर	ल	(6-
₹ं.	इकाई3	2024 से	एन	यू	की	यूनिट	पूरा	उच्च	ण	धिपूंजी	वरी	कग) के	ण	कटौ	13)आई
	1	पहले/	कोड	नि	संख्या	बिक्री	मूल्य,	त्र	की	गत्	,	अनुसार	के	तियां	टीआर
	जनवरी	को या		ਟ		मूल्य	-	इंडेक	लाग	संपत्ति	20	पूंजीगत	सं	(7	की
	, 2018	उसके		का			यदि	सेश	त	01	18	संपत्ति	बंध	+1	एलटी
	को या	पश्चात्					शेयर्स	न के		फरवरी,	की	का कुल	में	2)	सीजी

	उसके पहले या पश्चात्	अंतरित शेयर/यू निट		ना म			31.0 1.20 या संसेति ते एए। लक्षी प्रसेति के प्रसेति के प्रमेति केरें।	बिना अधि ग्रहण की लाग त		2018 से पूर्ण अजित की गई थी-6 तथा 11 का कम	स्थिति के ज़िस र प्रिशिर प्रति ट उचिति बाजिर मृह्य	उचित बाजार मूल्य – (4*10)	प्रिं तिविशिष १६ पसे छ य		अनुसू ची की मद 4(क)
(कॉ लम	(कॉलम 1क)	(कॉलम 1 ख)	(कॉलम2)	(कॉल म3)	(कॉ लम	(कॉलम 5)	(कॉल म6)	(कॉ लम)	(कॉ ल8)	(कॉल9)	(कॉ लम	(कॉलम 11)		(कॉल म 13)	(कॉलम 14)
1)	,	,		1.57	4)	,	1.07	<b></b> ,	1.0,		10)	,	,	1.137	,
2													1		
3													+		
4															
/27	पंक्ति ज		) अञ्चलके अ	024 3	गटने उ	эп эп									
(i) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले हुआ था स्तंभ 14 का योग (ii) जहां अंतरण 23 जुलाई, 3024 को या उसके पश्चात् किया गया था, वहां कॉलम 14 का कुल योग (iii) धारा 115 कघ(i)(ख) (iii परंतुक के साथ्ं पठित धारा 112 के अधीन कुल एलटीसीजी का योग															

अनुसूची वीडीए	आभासी डिजिटल प संव्यवहार											
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा )(2)56x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपति अंतरण से आम( हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)						
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)						
सम्मिलित पंक्तियां		·										

कुल (स्तंभ ७ की समस्त सकारात्मक आय की राशि )	<b>(अनुसूची</b> सी जी.
	.का मद सं <b>ग</b> 2 )

अनुस्	अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय										
					गू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख	+ 1ग	+ 1घ + 1ड	F)	1		
	7	₹ T	लाभ	गंश,स	क्ल (कां + क ii+कiii)				1क		
			i		(i) और (iii) से भिन्न लाभांश आय	कi					
	-		ii		(22)(ड़)के अधीनलाभांश आय	क ii					
						क					
			iii	धारा 2	(22)(च)के अधीनलाभांश आय	iii					
	,	ख	ब्या	ज.सक	ল(खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi +	खvii	+ खviii +	खix)	1ख		
					बैंक से नीचे	खां		•			
		ŀ	ii	निक्षेप	(बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खii					
		ŀ			oर प्रतिदाय से	खiii					
		-			क्षिति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv					
		ľ				f					
			V	कर य	ोग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	প্রথ					
			:	धारा	10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि : योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi					
			VI	में क	योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	GVI					
			vii	धारा	<b>10(12</b> )के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि मे	ী खvii					
		ļ		कर य	ोग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	C			_		
			viii	धारा	10(12)के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि : योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	i				
		ŀ			र याग्य सामा तक यागदान पर आजत ब्याज	721			-		
	ŀ.	_		अन्य	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	खix			4=	1	
	-	''	<u> </u>	।नरा, <sub>'</sub>	संयंत्रों, भवनों से किराए की आय त (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छ		<del></del>		1ग		
	,				! (दाड़ के घाड़ा के स्वामस्व स हुई आप का छ + घांv + घंv)	<b>।</b> ङ्कर	) स्लात का ५	उल्लख कर(धा +	1घ		
			411 1	<b>+ ਖ਼॥</b> ਧਰਿफ਼	त के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi					
		-			गवर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई				-		
					त्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	чп					
		-			दिस्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की <b>घा।।</b>						
					ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क						
				मूल्य							
					ल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में	घiv					
					का उचित बाजार मूल्य				4		
					य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है,	घv					
$\vdash$	-	<u></u>			तेफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				47	I	
$\vdash$		_	फाइ क्रं स		जाय (कृपया प्रकृति ।यानाद्ग्यः करः) प्रकृति			रा	<b>1</b> ङ		
		ŀ	אי ל		प्रकृति पारिवारिक पेंशन			ζ1	ΚΙ		
$\vdash$		ŀ		1		ਗ਼ੀਕੀ	चे न्याग				
				2	धारा <b>89</b> क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए से खाते से आय	વાાનવી	u cu+				
		-			खारा रा जान धारा <b>89</b> क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त	देश मे	सेवानिवत्ति				
				3	वारा <b>७५</b> ० के अवारा आवर्त्वाचरा वरा के आतारका लाभ खाते से आय	7 /1 /1					
		ľ			धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय	पर अ	न्य पूर्ववर्ती				
				4	वर्ष में छुट का दावा किया गया		•				
			_	5	पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) मेंनिर्दिष्ट किर्स्	ो कारब	ार न्यास के		_	·	
		ļ			किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट रार्ग						
				_	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) ( <b>xiii</b>						
				6	जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी	, जिस	क अंतगत				
$\vdash \vdash$	-	ŀ		लामारा के रूप में आबाटत रकम मा							
		ŀ	пеп	.थाोधि	त पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं						
$\vdash$	-				त पाक्तवा जाड़ा जा सकता ह पर प्रभार्य आय (2कi+ 2कii + 2ख + 2ग + 2घ	T 25	கப ப் 1 ப்	। संबंधित तन्न	2		
	ŀ				कास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, '				2 2कi		
					प्रगत पड, पहला, दांड़, पगड खल जाद स जात, 15खखञ के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत			पाः। प्रमाप	2 <sub>पंग</sub> 2कii		
		ŀ			15खखंज के जवान प्रमाप जानलाइन खला से जाट 15खखंड. के अधीन प्रभार्य आय (खां + खां + ख			. ग्रा	2 ख		
		ŀ	এ		13खंखंड. के जवान प्रमाय जाव (खा + खा + ख धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	<u> </u>	आ <b>∨</b> + ७ <b>∨</b> + खां	GVI)	29	<u> </u>	
					धारा ६६ के अधीन अस्पष्टीकृतविनिधान	खii					
					धारा ६५ के अधीन अस्पष्टीकृताधानवान धारा ६९क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांं					
					धारा ६९ख के अधीन अप्रकटितविनिधान आदि		ন্ত্ৰiv				
oxdot				IV	नारा ७३७ मः रामाः। राष्ट्रमगटतापाः।पाः। जादि		GIV				

	v	धारा ६०ग के उ	भधीन अप्रकटित व्यय	आदि	खv			
			भधीन हुंडी पर उधार र		অv অvi		-	
	VI	पुनःसंदाय रक		ता गर्र (प्रत्म पा	GVI			
п	тспэ		<del>-</del> कराधेयमान्यताप्राप्तर्भा	तेषा निधि का मंनिट	च .थशिषोष		2ग	
<u>''</u>	पारा		निर्धारण वर्ष			216	21	
		क्र सं.		आय अभिलाभ	1	अभिलाभ	4	
	0 1	(i)	(ii)	(iii)		(iv)		
घ			कोई अन्य आय, ( <b>घा</b> र				2ঘ	
		अनिवासी (कंप	नी नृहीं होते हुए) या	विदेशी कंपनी द्वारा	घi			
			<b>र्</b> चपनी धारा 115 क(1)					
		क(1) (क) (अ <b>)</b>	के परंतुक के सिवाय	अधीन प्रभार्य				
		अनिवासी (जो व	<b>क्रं</b> पनी नहीं है) या किस	🏿 अंतराष्ट्रीय वित्तीय	घांक			
	i o	सेवा केंद्र में कि	सी यूनिट, विदेशी कंप क) में निर्दिष्ट है, धार	नी जो धारा 80 ठक				
	197	की उपधारा (1	क) में निर्दिष्ट है, धार	T 115क(1)(क)(अ)				
		के परंतुक के अ	<u> धीन प्रभार्य, प्राप्त हुउ</u>	रा लाभांश				
	ii	सरकार या विदे	शी करेंसी ऋणों पर भ	ग्रतीय समुत्थान्	घ ii			
	_"	से प्राप्त ब्याज ध	ारा 115क(1)(क)( <b>ii)</b>	के अधीन प्रभार्य				
	iii	अवसंरचना ऋ	उणि निधि से प्राप्त	न ब्याज धारा	घ iii	1		
L	111	115क(1)(क)( <b>i</b>	iक) के अधीन प्रभार्य			<u> </u>		
	1	धारा १९४ ठग(	(1) में निर्दिष्ट ब्याज		घ iv			
	lv	(1)(क)( <b>ii</b> कक <b>)</b>	@ 5% के अधीन प्रभ	ार्य		<u> </u>		
	.,	धारा १९४	ठघ में निर्दिष्टब	या ज धारा	घ v			
	V	115क(1)(क)( <b>i</b>	iकख) के अधीन प्रभा	र्य		<u> </u>		
	vi		में निर्दिष्ट ब्याज हो		घ vi			
	VI		क)( <b>ii</b> कग <b>)</b> के अधीन					
		धारा 115क (1)	(क) ( <b>iii)</b> के अधीन प्र	।भार्य विदेशी करेंसी	घ vii			
	vii	में खरीदे गए धा	रा 10 (23घ) में विनिवि	ईष्ट यूटीआई इकाई				
		या अन्य म्यूचल	निधियों से आय					
		सरकार या भार	तीय समुत्थान से प्राप्त	न तकनीकी सेवाओं	घ viii			
	viii	के लिए रायॅल्टी	या फीस से आय धार	। 115क(1)(ख) <b>(</b> क)		1		
			ख)(ख) के अधीन प्रभ			<u> </u>		
	i	धारा ११५कग व	के अधीन प्रभार्य- अनि	नेवासी द्वारा विदेशी	घ ix			
	ix	मुद्रा में खरीदे ग	ाए बांड पर ब्याज से उ	भाय				
	>	धारा ११५कग	के अधीन प्रभार्य अनि	वासी द्वारा विदेशी	घ x			
	^		ए जी.डी.आर पर लाभ			<u> </u>		
		निवासियों द्वारा	विदेशी मुद्रा में क्रय वि	केए गए जी.डी.आर	घ xi	1		
			हप में ऑय <b>–</b> धारा 1	15कगक के अधीन				
		प्रभार्य						
			गंश के अतिरिक्त <b>)</b> (		घ xii			
	xii		ों से भिन्न) के संबंध मे	ां एफआईआई द्वारा				
		_	रा 115कख(1)( <b>i)</b>	0 0 0		1		
			jं निर्दिष्ट बंध पत्र या <b>र</b>		घ xiii	1		
	xiii	पर एफआईआ	ई द्वारा प्राप्त ब्याज के	रुप में आय – धारा		1		
			के परंतुक के अनुसार			1		
	xiv	धारा ११५खखव	p के अधीन प्रभाय- अ	ानवासी खिलाडियों	घ xiv	1		
	~!•	या खेल संघ द्व	ारा प्राप्त आय	, ,		1		
	Χv		में अनाम दान धारा 1	15खखग के अधीन	घ xv	1		
		уніч				1		
	χvi	धारा 115क(1)	(अ)( <b>ii</b> कक <b>)</b> के अधीन 194 थग(1) के परंतुक	न प्रभाय ४ प्रतिशत	घ xvi	1		
		का दर से धारा	<u>194 थग(1) के परंतु</u> क	र्म सदाभंत ब्याज		<del> </del>		
	xvii		प्तत और रजिस्ट्रीकृत		घ xvii			
		रुप म आय –धा	ारा 115खख च के अ	धान प्रभाय		1		
	xviii	काबन जमा के	अंतरण के रुप में -अ f	ाय धारा ११५खखछ	घxviii	1		
		क अधान प्रभाय	<del></del>			<del> </del>		
	xix	आनवासी भारत	तीय की निवेश आय	-धारा 115ड. के	घxix			
1		अधीन प्रभार्य	<u> </u>	<del></del>		1		
		कसा एफ आई 	आई द्वारा प्रतिभूतियों	क संबंध में लाभाश	घxx			
	Хх	क रूप म आय	(धारा 115कख) में	।नादष्ट यू।नटा क स ।				
		เหล)-ยเงเ 115 	कघ(1)( <b>i</b> ) के अधीन	प्रभाय				
	عرب کی	   <del>                                  </del>	<del>के का में गम क</del>	ਸੁਰੂ ਤਹੁਤ <del>ਹੁਤ</del> ਤੋਂ ਤੋਂ ਤ	m <del>की एक ि</del> र	l Tankara		
ङ	।वश्रष् करें)	। दरा पर प्रभाय	के रूप में दावा की र	गइ अन्य स्नाता स उ	गत का प्रकीप <del>।</del>	न ।नकासा आय (र्	्रापडाउन उपबाधत	2ङ
	कर)		रकम सम्मिलित है, ज					
च	गर्भ न	पता । जार ८ म : (स्तंध /२) रूप ग	रकम साम्मालत ह, ज गोग नीचे दी गई टेबल	। ਹਾਟਾਵਵ ਪਾ ਅਧੁਵੀ। ਜ਼ੇਂ <del>ਹੈ</del> ।	र नारत न ।पारी	~ परा पर प्रमाप	पर रूप म दापा का	<b>2</b> च
1	ָל לַּוי	(यान (८) पग य	गांग गांभ पा गर व्यल	<b>ෆ</b> ( )				1

			,												
			क्रम	आय की		देश का			अनुसार दर		आरसी	आय-कर	आय-कर	लागू दर	
			सं.	रकम	सं.1 <b>कां,</b>		की मत	द (कुछ नह	ों दर्ज करें, यदि				अधिनियम		
					1कiii1ख	कूट		प्रभा	र्य नहीं है)			की धारा	के अनुसार		
					से2 में जो					(हा /	नहीं)		दर	निम्नतर)	
					सम्मिलित										
					किया गया										
					है										
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(	7)	(8)	(9)	(10)	
			ı												
			II												
	3	धारा 5							र पर प्रभार्य आय	। से संबंधि	धेत से भि	भेन्न)			
									. ,	3 <b>क</b> i					
			कii						ाय 1क <b>(i)</b> और	3कii					
					ii) में प्रस्तुत										
								कलित राशि		कांक					
		<b>कां।</b> धारा 57( <b>।ं</b> क) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले <b>3कां।</b>													
				में)											
			ख	अवक्ष्यण	(सभी उपल	ब्ध यदि आ	य अनुर	पूची ओएस र्क	ो 1ग में प्रस्तुत	3ख					
		की गई)													
				योग						3ग					
					ो न की जाने	वाली रक	Ŧ							4	
					प्रभार्य लाभ									5	
					राधान से राह									5क	
	c	[ <b>1 (</b> डੀ	टीएए स	ने संबंधित उ	आय कम क	रने के <b>बाद</b> )	-3+	4 + 5 - 5क	] सामान्यता लाग्	ू दरों पर	प्रभार्यः	<del>।</del> न्य स्रोतों न	से कुल आय	_	
	6	(यदि न	कारात	कि हो तो उ	अनुसूची सीव	ाईएलए कें	ो 3i का	अंक लें)						6	
	7	अन्य रू	गेतों से	आय (दौर	ड़ के घोड़ों ह	के स्वामित	र से भि	ন্ন) (2 + 6)	( यदि हानि हो	तो 6 के	ो शून्य ि	लेखें )		7	
	8	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) ( 2 + 6) ( यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें ) दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से आय													
		क प्राप्तियां 8क													
		ख केवल ८ क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा ५७ के अधीन 🛮 🛭 🗷													
		ग धारा ५८ के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम 🛮 🛭 🗷													
		घ धारा <b>59</b> के अधीन कर से प्रभार्य लाभ 8घ													
							दि ऋण	गत्मक है तो	हानि की दशा	में अनस	ची अग्र	नीत हानि	यों 6xii के		
			अंक प्र	ए . ।विष्ट करे	)	, ( .			Ç	3 %			•	8ङ	
	9	"अन्य	स्रोतों र	से आय" श	ीर्ष के अधी	न प्रभार्य ५	आय (7	' + 8ङ) (यवि	दे ऋणात्मक है व	तो ८ङ म	में शन्य ि	लेखें)		9	
					द्भवन या प्रा						<u> </u>				
	. •					4-			16/9 से 15/1	2 1	6/12 ₹	16/	3 से 31/3		
		क्रम	ा स.	अन्य र	स्रोतों से आय	ग   <b>13</b> 7		तक	तक		<b>5/3</b> तव		तक		
						(i		(ii)	(iii)	<del> </del>	(iv)		(v)		
				धारा २(२४	4)(ix) <b>में संद</b>			ν/	\-··/	$\dashv$	· <i>)</i>		\-/		
				लॉटरी. व	गुराह्य <b>राष्ट्र</b> गॅसवर्ड, प	हेली.									
		1	I	घुडदौड	खेल, जुउ	п (									
				सट्टबाजी	से जीत पर	आय									
				धारा 1	15खखञ	के									
		2	2	अधीन अ	<b>ॉनलाइन</b> २	खेलों									
				से जीत द्व	ारा आय										
		2	ж	क्रम सं.	में संद	र्भित									
		3		लाभांश प	र आय										
		2:			<b>ग्</b> (iii) में संद	र्भित									
		3	্র অ	लाभांश प											
					15 <b>क</b> (1)( <b>क</b> )										
				अधीन,		धारा									
		4	1	115क(1)	(ক)(अ)	के									
				परतुक से	भिन्न, 20%	का									
					भांश आय										
					गय शामिल					$\perp$					
				धारा 11	<b>5 (1)</b> ( <b>क</b> )	(अ)									
				क परतु	क के अ	धान									
		5	5	10%का आय(जि <del>र</del>	दर से ला	भाश तर्गत									
				भारत(।य <u>र</u>	१क अ	तगत भी									
				याटाजाइ स्रामित्रिक	 आय है)	41									
LI		l		यास्मातत	(9)										

	6	धारा 115कगके अधीन 10% की दर से लाभांश आय							
	7	धारा 115कगक (1)(क) के अधीन 10%की दर से लाभांश आय (पीटी आई आय शामिल)							
	8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ (1)(i)में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)							
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय							
	10	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के अधीनर राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)							
ਟਿਪ	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पित-पत्नी, अवयस्क बालक आदि ) की आय सम्मिलित करें ।								

अनुसूची	चालू वर्ष	ि की हानि समायोजन	चालू वर्ष की हानियों के	मुजरा के प	श्चात् आय का ब्यौरा	
	क्रम सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)		सामान्य लागू दरों से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ो से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4=1-2-3
	i	हानि छोड़ना —> (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मकहै )		(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)	(अनुसूची अन्य स्रो त का 6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
	iii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)			
ュ	ivक	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	की 11ii)			
चालू वर्ष की हानि समायोजन	ivख	<b>20</b> प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 11 iii			
हानिस	V	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ङ का11iv)			
ग्र्य की	Vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ङ का11v)			
चालू ट	vii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ङ का11vi) (अनुसूची सीजी की मद ङ			
	Viiiक	પૂંजી अभिलाभ	का11vii)			
	Viiiख	12.5% की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	का11viii)			
	lx	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ङ का11ix)			
	х	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ङ का11(x))			
	Xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का6)			
	Xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ङ)			
	xiii	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)			

	xiv	मुजरा की कुल हानि (ii+iii+ivक+ivख+v+vi+vii+viiiक+viiiख+ix+x+xi+xii+xiii		
	xv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xiv)		

अनुसूची	- अग्रनी	त की गई हानियों का समायोजन								
	क्रमसं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची-चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालु वर्ष की शेष आय					
			1	2	3					
	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)							
	ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(अग्रनीत यदि गृहसंपत्ति हानि है)						
	iiiक	15 प्रतिशत  की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ivक)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)						
	iiiख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ivख)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)						
ोजन	iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)						
। समार	v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)						
नेयों क	vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)						
अप्रनीत की गई हानियों का समायोजन	viiक	10प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viiक)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिकऔरदीर्घकालिक पूंजी हानि है)						
ानीत क	viiiख	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viiiख)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)						
अं	viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(अग्रनीत यदिअल्पकालिकऔर दीर्घकालिक पूंजी हानि है)						
	ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	4x)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)						
	х	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय	4xi)							
	Xi	रेंस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	4xii)	(अग्रनीत यदि घुड़ दौड से हानि है)						
	Xii	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य करादेय स्रोतों से आय	अनुसूची सीवाईएलए की 4 <b>xiii</b>							
	xiii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii क+2iiiख 2iv + 2v+ 2vi + 2 2ix +xi+ 2xi+2xii)	viiक+2viiख+ 2viii +							
	xiv	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय-योग 3viiख+3viii+ 3ix + 3x + 3xi)+3xii)	T (3i + 3ii + 3iiiक + 3iii	ख+3iv + 3v+ 3vi + 3viiक +						

अनुः	सूची- अग्र	नीत हानि आगामी वर	र्यों के लिए अग्रनीत र्क	ो जाने वाली हा	नियों का ब्यौरा		
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	गृहसंपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
⊨		1	2	3	4	5	6
ले जाना	ı	2017-18					
ज	li	2018-19					
आगे	iii	2019-20					
<u>a</u>	iv	2020-21					
नुकसान को	v	2021-22					
9	vi	2022-23					
क्म	vii	2023-24					
	viii	2024-25					
	ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					

х	अनुसूचीअग्रनीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलएका 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
хi	2025-26 (चालू वर्ष की हानियां)	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv)	(अनुसूची सीजी के मद ङ) (2xii+3xii+4xii+5xii)+6xii	अनुसूची सीजी की मद ड़ का (7xii+8xii+9xii+10xii)	8ङ, यदि –
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि				

नुसूची- v	219777 14	- क के अधीन कटौति			
			41		
.ल कटा।ति .स	भाग ख- कतिपय संदायों व 80ग (ड्राप डाउन में भरे   जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई- फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)		80गगग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)		
ग ग (	80 गगघ(1) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)	घ	80 गगघ(1ख) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)		
ভ (	80 गगघ(2) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)	च	80घ(ब्यौरों को ई- फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)		
ভ ৪	80घघ	ज	80घघख 80घ (ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)		
झ (	80ङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई- फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)	স	80ङङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई- फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)		
ਟ	80ङङक(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)	ठ	80ङङख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		
	80छ	ढ	80छछ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई- फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)		
	80छछक		80छछग		
2	भाग ग-कतिपय आयों की	बाबत कटौती			
थ <sup>(</sup>	80थथख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)	_	80ददख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई- फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है ।)		
ម	80ननक	न	80ननख		
ч	80प	чक	80गगज		
पख	ई-फाइलिंगअपयोजित के अनुसार कोई अन्य कटौती(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई- फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)				
	अध्याय VI- क के अधीन र	 कुल कटौतियां (क से प	ाख <b>का योग</b> )	<u> </u>	फ

अनुर	नूची ८	80छ धारा 80 छ के अधीन कटौि	तेयों के लिए	हकट	रारदानों के ब्यौरे					
ब्यौरे	क	बिनाअर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों व हकदारदान	के लिए							
दान के ब्यौरे		आदाता का नाम और पता		अ	ादाता का पैन		दान की र		दान	के लिए उपयुक्त रकम
10						नकद में संदान	अन्य रीति संदान	में कुल संदा	न	
		i								
		ii कुल							+	
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों वे हकदारदान	न् लिए							
		आदाता का नाम और पता		अ	ादाता का पैन		दान की र	कम	दान	के लिए उपयुक्त रकम
						नकद में संदान	अन्य रीति संदान	में कुल संदा	न	
		i								
		ii कुल							+	
	ग	आईता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौति लिए हकदारदान	ायों के							
		आदाता का नाम और पता		अ	ादाता का पैन		दान की र		दान	के लिए उपयुक्त रकम
						नकद में संदान	अन्य रीर्ग संदान			
		i								
		ii कुल								
	घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतिय हकदारदान	में के लिए							
			आदाता का	पैन	ए.आर.ए (संदान संदर्भ र		दाः	न की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
							नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
		i								
		ii								
	=	iii   कुल कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)								
	5	पुरत दान (परात + खात + चात + चात)								1

अनु	सूची		ान या ग्रामीण विकास के वि	लेए संदान के ब्यौं	t			
	क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन		संदान की रकम		संदान के लिए पात्र रकम
					नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i							
	ii							
		कुल संदान						

3	ानुसूची ८	80छछग	राजनै	तिक दलों द्वा	रा किए गए उ	भभिदाय का ब्यौर	Т	
	क्रम सं.	तारीख	अभिदाय व	ठी रकम		अभिदायपात्र रकम	सेंख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस	बैंक का आई एफ एस कोड
			नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय		के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	
	i							

	(पंक्ति जोड़े)			
	कुल अभिदाय			

अनुसूची 80घघ	आश्रित	न का चिकित्सकी	य उपचार जो नियों	ग्य व्यक्ति हैं, स	हित अनुरक्षण के	संबंध में कटौती का ब	गौरा	
निर्योग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैन	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10ाक की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या( यदि उपलब्ध हो)	रकम
1.निर्योग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2.गंभीर निर्योग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3; पुत्री 4.पिता 5.माता 6.भाई 7.बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची अयोग्य व्या 80प	क्ति की दशा में कटौ	ती का ब्यौरा			
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 101क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 101क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या( यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वंय से निर्योग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता					

अनुसूर्व	गी-अ	कुल्पिक न्यूनतम कर धारा 115ञघ के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना	
	1	भाग-ख- कुल आय के मद 12 केअनुसार कुल आय	1
	2	धारा ११५ग(२)केअनुसारसमायोजन	
		क शीर्ष् "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां " के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कितपय कटौती	
	3	धारा ११५ञग(१)के अधीन समायोजित कुल आय(१ + २क)	3
	4	धारा 115ञग के अधीन कर संदेय [(3) का 18.5%] (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4

								1				
अन्	(सूचा-अ	नुकाल्पक न्यूनतम क	र प्रत्यय धारा	<u> 115अध क अधान</u>	क्र जमा की संगणना							
1	1   निर्धारणवर्ष <b>२०२५-२६</b> (भाग-ख-कुल करआय का १घ) में धारा ११५ञग के अधीन कर <b>1</b>											
2	2 निर्धारणवर्ष 2025-26(भाग-ख-कुल करआय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर 👤 2											
3	3   कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है ((2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा <b>शन्य</b> प्रविष्ट करें <b>3</b>											
4	उपलब्ध	। अनुकल्पिक निम्नतर	कर जमा, का उपय	गोग (चालू वर्ष में अनुव	कल्पिक निम्नतर कर जमा	की रकम का र	उपयोग ऊपर व	वर्णित ३ में अधिकतम रकम				
	जितना	है और अग्रणीत जमा	अनुकल्पिक निम्नत	म कर से अधिक नही	ं हो सकेगा)							
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	3	अनुकल्पिक निम्नतर व	न्र जमा	चालू वर्ष	के दौरान निम्नतर कर	अग्रणीत अनुकल्पिक				
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में	अग्रनीत अतिशेष	अनुकल्पिक	निम्नतर कर	निम्नतर कर जमा				
				मुजरा (ख2)	(ख3)=(ख1)-(ख2)	ँ का उ	पयोग	अतिशेष				
								(ঘ)=(ख3)-(ग)				
	I	2013-14										
	ii 2014-15											
	iii 2015-16											
	iv	2016-17										

	V	2017-18						
	Vi	2018-19						
	Vii	2019-20						
	Viii	2020-21						
	ix	2021-22						
	Х	2022-23						
	xi	2023-24						
	xii	2024-25						
	xiii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 1,2 स्अधिक है नहीं						
		वर्ष (१-२, प्रविष्ट						
		क्रें, यदि 1,2						
		स्अधिक हे नहीं						
		तो शून्य लिखें)						
	xiv	योग						
5	वर्ष के							
6	पश्चात्वत	र्गि निर्धारण वर्षों में जम	ग के लिए उपलब्ध <sup>्</sup>	अनुकल्पिक निम्नतर व	कर के दायित्व की रकम।	[4(घ) का योग]	6	

अनुसूची-	विर्निदिष्ट व्यक्ति की आय	विनिर्दिष्ट व्यक्तियों  (पति-पत्नी, अवयस्क बालक, आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है												
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	र्व्या	क्त	का ः	स्था		वात ख्या	ा संर	खा,	<b>'</b> आ	धार	संबंध	रकम(रू.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1														
2														
3														

अनु	सूची-वि	शेष आय				
विशेष	क्रमसं.	धारा	Ø	विशेष दर	आय	उस पर
अय				(%)	i	कर ii
	1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष			(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)
	<b>2</b> क	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)[जहां अंतरण लागू किए गए अनुसार 23 जुलाई, 2024 से पहले था ]		15	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का</b> 3iiiक का भाग)	
	2ख	धारा 111क या धारा 115कघ 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)[जहां अंतरण लागू किए गए अनुसार 23 जुलाई, 2024 को था या उसके पश्चात् था ]		20	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का</b> 3iiiख का भाग)	
	3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)		30	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का</b> 3iv)	
	<b>4</b> क	धारा 112(1) का परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी) (जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था और अनुसूची सीजी के क्रम संख्यांक आ3(i)(ज) को ध्यान में रखने के पश्चात् उस पर कर (यदि कोई हो)		20 (जी अनुसूची गख के आ 3(i) (ज) को घटाकर आए, यदि कोई हो	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3viii का भाग)	
	<b>4</b> ख	112 (1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई <b>, 2024</b> को या उसके पश्चात्]		12.5	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3viiख का भाग)	

<b>5</b> क	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध डिबेचरों से भिन्न   पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23	10	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vi का भाग)	
	जुलाई, 2024 से पहले था]			
<b>5</b> ख	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूति से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात था]	12.5	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii खका भाग)	
<b>6</b> क	115कग( बंधपत्रों/जी.डी.आर परअनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी[जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	10	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii कका भाग)	
6ख	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [ जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	12.5	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii ख का भाग)	
<b>7</b> क	115कगक (विर्निदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी [ जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	10	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3viiक का भाग)	
<b>7</b> ख	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	12.5	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii क का भाग)	
8	115कघ(प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	10	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii क का भाग)	
<b>9</b> क	115ङ विर्निदिष्ट विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी	10	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii क का भाग)	
	115ङ विर्निदिष्ट विदेशी विनिमय अस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी [ जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	12.5	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii ख क का भाग)	
<b>10</b> क	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)जहां अंतरण/आयोजन 23 जुलाई, 2024 से पहले था	20	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का</b> 3viiiका भाग)	
10ख	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी) जहां अंतरण/आयोजन 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था और अनुसूची गछ के क्रम संख्यांक आ 1ड.iiको हिसाब में तेने के पश्चात् उस पर कर, यदि कोई हो	12.5 (अनुसूची गछ का आ1ड.iiसे घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii ख का भाग)	
	112क या धारा) 115कघ(1)(iii)-परन्तुक(शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी )[जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	10	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii क का भागका भाग)	
	112क या धारा 115कघ(1)(iii)-परन्तुक(शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी )[जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	12.5 (अनुसूची गछ का आ1ड.iiसे घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो		
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी		( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vi का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)	
14क	115खख (लाटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	30	(अनुसूचीओ.एस का 2कांका भाग)	
14ख	115 <b>खख</b> ञ(आनलाइन गेम से जीत)	30	(अनुसूचीओ.एस का 2कः।)	
15	115खखङ (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	 60	(अनुसूची ओ.एस का 2 <b>ख</b> )	
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपति के अंतरण से आय पर कर )	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	10	(अनुसूची ओ.एस का 2 <b>घ</b> का भाग)	
18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	10	(अनुसूची ओ.एस का 2 <b>घ</b> का भाग)	

19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप			(अनुसूची ओ.एस का 2 <b>घ</b> का भाग)
	डाउन उपबंधित करें )			
20	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3 <b>xii</b> का
		_		भाग)
21क	15% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय		15	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3iiiकका भाग)
<b>21</b> ख			12.5	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii ख
	आय		12.0	का भाग)
22	30% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी		30	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3iv का
	आय			भाग)
<b>23</b> क	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत		10	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii क
	अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास			का भाग)
23ख	धारा 112क के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर परप्रभार्यदीर्घकालिक पूंजी		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख
	अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय			का भाग)
<b>24</b> क	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घाविध		10	(अनुसूची बी.एफ.एल.एका 3viiक
	पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास			का भाग)
24ख	धारा 112क के अधीन से भिन्न धारा के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर		12.5	<b>(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3vii ख
	परप्रभार्यदीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय			का भाग)
25	20% की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी		20	( <b>अनुसूची बी.एफ.एल.ए के</b> 3viii का
	आय			भाग)
26	विशेष दर पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई			(अनुसूची ओ.एस का २ङ)
	फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)			
	कुल			

अनुसूर्च	ो-छूट प्र	ाप्त आय	छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य अ	११य)
छूट	1	ब्याज से आय		1
प्राप्त	2	i	शुद्ध कृषि आय(आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के	
आय			अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	
		ii	कृषि पर उपगत व्यय 💮 💮 💮	
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि 🔀 🔠 🖽	
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)	2
		V	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित	
			ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)	
			क पिन कोड़ के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है	
			ख कृषि भूमि का एकड़ में माप	
			ग क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)	
			घ क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	
	3	अन्य छूट प्राप्त आ	ा (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है) <b>3</b>	3
			कर पर अप्रभार्य दावा की गई आय	
			आय की प्रकृति देश का नाम डीटीएए की मदें आय के शीर्ष क्याटीआरसी	
		रकम	और कोड प्राप्त किया गया है	
			(हां/नहीं)	
			(61/461)	
		11		
			। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	1
	5	कर पर दाता किए	ाए अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची) 5	-
		योग (1+2+3+4·	, , , , , ,	
	U	MIN (1+2+3+4	73)	9

अनुसूची पीटीआई धारा ११५ प, धारा ११५पक ,और ११५पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पासश्रू सेआय के ब्यौरे

	क्रम	धारा ११५ <b>५,</b> ११५५ वर्ग ११५५	कारबार न्यास /	कारबार न्यास /	क्र म		आय का शीर्ष	चालू वर्ष	निवेश कोष	शुद्ध आय/	ऐसी रकम
		द्वारा सम्मिलित	विनिवेश	विनिधान				आय	द्वारा	क्षति	प्र
		निवेश	निधिका	निधि का					वितरित	(7-	स्त्रोत
			नाम	स्थायी खाता					चालू वर्ष	8)	पर कर कटौती ,
				खाता संख्या					वष क्षति का		फटाता , गरि
				राजा					हिस्सा		यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन	. ,	, ,	i	गृह स	पत्ति	. ,	. ,	. ,	, ,
		प्रदान किया जाना			ii	पूंजी ५	अभिलाभ				
		है)				क	अल्पकालिक अवधि				
						कi	धारा 111क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi •	धारा 112क				
						खii	धारा <b>112</b> क के अतिरिक्त				
					iii	अन्य					
						क	लाभांश				
ন						ख	अन्य				
<u>।</u> अ					iv		की गई आय जो छूट प्राप्त ह	ोगी			
ਮ ਸ						क	धारा <b>10(23</b> चखख <b>)</b> के अधीन				
माध्य							अधीन				
पास के माध्यम से आय						ख	धाराके				
ㅂ							अधीन				
						ग	धाराके अधीन				
	2.				i	गृह स	पित्ति				
					ii		अभिलाभ				
						क	अल्प कालिक अवधि				
						कi	धारा 111क				
						कii	अन्य दीर्घ कालिक अवधि				
						ख खi	धारा 112क				
						ন্তা ন্ত্ৰii	धारा ११२क के				
						Gii	अतिरिक्त				
					iii	अन्य					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा	की गई आय जो छूट प्राप्त हं	ोगी			
						क	धारा				
							10(23चखख)केअधीन				
						ख	धारा केअधीन				
						ग	धाराकेअधीन				
टिप्पण:	इस अनुसूची	को भरने के लिए अनु	देशों को निर्दे	शित करें।			•				

अन्	अनुसूची एफएसआई भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)									
क्रम	देश का कोड	कर दाता	क्रमसं.	आय के शीर्ष		भारत के बाहर	भारत में साधारण	भारत में उपलब्ध	यदि राहत का	
सं.	(ई फाइलिंग	की			आय (भागख-न।	संदत्त कर	उपबंधोंके अधीन		दावा धारा 90 या	
	में उपबंधित	पहचान			में शामिल)		ऐसी आय पर	(च)=(ग) या	90क के अधीन	
		संख्या					संदेय कर	(च)=(ग) या (घ)इनमें से जो भी कम हो	किया गया है तो	
	प्रदान किया							भी कम हो	डीटीएए का	
	जाना है)								सुसंगत अनुच्छेद	
				(ক)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(ङ)	(च)	
1				वेतन						
			ii	गृह संपत्ति						
			lii	पूंजी अभिलाभ						
			iv	अन्यस्रोत						
				कुल						
2				वेतन						
			ii	गृह संपत्ति						

				iii	पूंजी अभिलाभ			
			Ī	iv	अन्यस्रोत			
			Ī		कुल			
टि	प्पण▶	कृपया	इस अ	नुसूची	को भरने के लिए अ	नुदेशों को देखें।		

अनु	सूची	टी.आर	भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दा	वा की गई कर राहत का सारांश (	निवासी के मामले में उपलब्ध)		
	1	दावा की गई व	र राहत का सारांश				
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत		धारा के अधीन दावा
				(प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची	(प्रत्येक देश की बाबत अनुर	सूची	की गई कर
				एफएसआई के (ग) का योग)	एफएसआई के (ङ) का यो	ोग)	राहत(धारा 90,
							90क या 91
							विर्निदिष्ट करें)
		(ক)	(ख)	(ग)	(ঘ)		(ङ)
			कुर	1			
	2	उस देश की ब	बत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीएएँ ल	ागू होताहै (धारा 90 / 90क)(1(घ)	योग का भाग)	2	
	3	उस देश की ब	ाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीएए ल	ाग होता है(धारा 91)(1(घ)योग का	भाग)	3	
	4	क्या भारत से प्रतिदाय/प्रत्या	बाहर किसी कर का संदाय किया ग विदेशी कर पाधिकारी दारा वर्ष के दौर	या है, जिसमें भारत में कर राह	त अनुज्ञात की गई थी,का	4	हां/नहीं
		क <mark>प्रतिदाय वि</mark> रकम	केए गए कर की	ान किया गयाहै ? यदि हां,तो नीचे वह निर्धारण वर्ष,जिसम् की गई है	में भारत में कर राहत अनुज्ञा	त	
	टिप		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेश	ों को देखें।			

अनु <sup>.</sup> वि.उ	सूची गा.	भार	त के बा	हर किर	गी भी स्रोत से	विदेशी आस्ति	ायां अ	ौर आ	य का ब	यौरा					
	अ <b>1</b>	<b>31</b> f	देसंबर,	<b>2024</b> ਰ	ने समाप्त कैले	ंडर वर्ष के दौर	ान कि	सी सम	य विदेश	गी निक्षेपा	गार खातों का	विवरण ( अ	न्य लाभव	गरी ब्याज	शामिल)
		क्र सं.	देश का नाम	देश क कोड	। वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीयसंस्थ का पता		जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख			अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10	)	(11)	(12)
ब्यौरे		(i)													
यों के		(ii)													
आस्ति	(1)	<b>31</b> f	देसंबर,	<b>2024</b> ਰ	गें समाप्त कैले	ंडर वर्ष के दौर	ान कि	सी भी र	समय ध	रित विदे	शी अभिरक्षा र	वाते के ब्यौरे	(जिसके	अंतर्गत फ	गयदाग्राही हित भी है)
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे		क्र सं.	का	देश वि का क्रोड	त्तीयसंस्थानों   का नाम	वेत्तीयसंस्थानों का पता	जिप कोड		प्रास्थिति	ते खाता खोलने की तारीख	वौरान अधिकतम	अतिशेष 1	सकल ज जाए जि जैसे कि	रकम (ड्राप  समें रकम   ब्याज/ला	खाते से संदत/प्रत्यय डाउन उपबंधित किया की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो भांश/विक्रय से प्राप्तियां ों का मोचन/अन्य आय
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)
		(i)													
		(ii)													

					हो समाप हेत भी है		डर वर्ष के दौरान	किसी भी स	ामय किसे	ो इकाइ	ई द्वारा धा	रेत विदे	री साध	गरण उ	गैर ऋण	ब्याज	के ब्यौरे (जिसके
	(i)	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाः ना		इकाई का पत	ा जिप कोड	् इकाई प्रकृर्ग	ते व	त अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	दौ अधि	रान	अंतमूल्य		दौरान विक्रय त से कुल क सकल आगम में या निवेश का व कुल सकल ता मोचन
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे		(1)	(2)	(3)	(4	I)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(1	0)	(11)	(12)	
स्तयों		(i)															
돌		(ii)															
विदेश					हो समाप हेत भी है	)	डर वर्ष के दौरान		ामय धारि	त विदेध					वार्षिकी	संविदा	के ब्यौरे (जिसके
	अ4	सं.	देश का नाम	देश क	ा कोड	वित्ती	य संस्था जिसमें बी की गई का नाग	मा संविदा न	वित्तीय का प		जिप व	गेड	संविद तारी		संविद नकद या अभ्यर्पि	मूल्य I	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
		(1)	(2)	(3	3)		(4)		(5	)	(6	)	(7	)	(8	)	(9)
		(i)															
		(ii)															
		31 ਹੈ भੀ है)		<b>2024</b> व	र्ग समाप्त	ा कैलेंड	र वर्ष के दौरानकि	सी भी सम	य किसी इ	काई में	धारित वि	त्तीय हित	के ब्यं	ौरे (पि	नंसके अं	तर्गत प	गयदाग्राही हित
		क्रसं		जिप कोड	अस्तित्व प्रकृति		स्तित्व का नाम और पता	ब्याज की सीधे / प प्रदस्व	<b>कायंदा</b>	रखन की तारीर	विनिध ब (लागत	<b>धान ब्य</b> <b>पर)</b> प्रो	<b>ऐसे</b> <b>ाज से</b> दभूत	आय की प्रकृति	और		णी में कराधेय क्या गया ब्याज
			नाम और कोड़					हिताधि		से	(रु.ग	Ť)   š	आय				
								हितारि			(रु.ग	में) ि <b>उ</b>	आय		राशि	जह अनुसृ पेश गई	ची मद संख्या ही
		(1)	और कोड	(2क)	(3)		(4)	हितारि	धकरी				आय (8)	(9)		अनुसृ पेश व गईह	ची मद संख्या ही है
		(1) (i)	और कोड	(2ক)	(3)		(4)		धकरी	से				(9)	राशि	अनुसृ पेश व गईह	ची मद संख्या ही है
		(i) (ii)	और कोड					(5	धकरी )	(6)	(7	)	(8)		राशि (10)	अनुस् पेश व गईहैं (11	ची मद संख्या ही ) (12)
	п	(i) (ii)	और कोड	<b>2024</b> व	जे समाप्त		र वर्ष के दौरान वि	<b>(5</b> इसी भी सम	<b>्रकरी</b> )	(6)	(7	(जिसके र	<b>(8)</b> अंतर्गत		राशि (10)	अनुस् पेश व गईहैं (11	ची मद संख्या ही ) (12)
	ग	(i) (ii)	और कोड (2)	2024 का रि म क	जे समाप्त <b>जप  संप</b>			(5 रुसी भी सम <b>फायदा</b>	य <b>करी</b> )  य अचल वि	<b>से</b> (6)	(7) के ब्यौरे कुल गान(लागत	(जिसके र	(8)	फायद <b>आय</b> <b>की</b>	<b>राशि</b> (10) ।ग्राही हि <b>इस</b> और	अनुसू पेश व गई (11	ची मद संख्या ही ) (12)
	ग	(i) (ii) 31 वि	और कोड (2)	2024 का रि म क	गे समाप्त <b>नेप  संप</b>	ात्तिका	र वर्ष के दौरान वि स्वामित्व-सीधे	(5 रुसी भी सम <b>फायदा</b>	<b>्रकरी</b> ) य अचल ः <b>अर्जन</b>	<b>से</b> (6)	(7)	(जिसके <sup>र</sup> संपर) से	<b>(8)</b> अंतर्गत	फायद <b>आय</b> <b>की</b>	<b>राशि</b> (10) ।ग्राही हि	अनुसू पेश व गई (11	ची मद संख्या ही ) (12) णी में कराधेय ह्या गया ब्याज ां अनुसूची ची की मद की संख्या
	ग	(i) (ii) 31 वि	और कोड (2)	2024व का रि म क	गे समाप्त नेप संप गेड	ात्तिका	र वर्ष के दौरान वि स्वामित्व-सीधे	(5 रुसी भी सम <b>फायदा</b>	य <b>करी</b> )  य अचल वि	<b>से</b> (6)	(7) के ब्यौरे कुल गान(लागत	(जिसके र मपर) से	(8) अंतर्गत प्राप्त प्राप्त	फायद <b>आय</b> <b>की</b>	<b>राशि</b> (10) ।ग्राही हि <b>इस</b> और	अनुस् पेश द गईहैं (111 त भी हैं विवरप् पेशकि जह अनुस्	ची मद संख्या ही ) (12) गी में कराधेय ज्या गया ब्याज तं अनुसूची ची की मद की मद
	ग	(i) (ii) 31 वि क्रसं	और कोड (2) . देश - ना औरव	2024व का रि म क	गे समाप्त नेप संप गेड	ात्तिका पता	र वर्ष के दौरान वि स्वामित्व-सीधे प्रदस्वामी/हित	(5 रुसी भी सम <b>फायदा</b>	य अचल <sup>:</sup> अर्जन की तारीख	<b>से</b> (6)	(7) के ब्यौरे कुल गान(लागत (रु.में)	(जिसके र मपर) से	(8) अंतर्गत पंपत्ति प्राप्त आय	फायद आय की प्रकृति	राशि (10) ग्राही हि इस और राशि	अनुस् पेश व गईहैं (111 विवरप् पेशकि जह अनुस् पेश	ची मद संख्या ही ) (12) गी में कराधेय ज्या गया ब्याज तं अनुसूची ची की मद की मद

21	<u> </u>	पंतर	20247	हो ग्रा	गात कैले	਼ਿਤ ਨ	नर्ष के	टीगन	किसी भी उ	IIIरा कोर्ट	असा मं	त्ती था	स्ति के	ब्यौरे (जिस	के यंट	र्गात ग	नाराट	ागाही टिञ	. ਸ੍ਰੀ ਝ੍ਰੇ
		<u>देश</u> का	जिप व		आस्ति	की	स्वामि	ात्व-सी	धि फायदा ताधिकारी			व	ल	संपत्ति से प्रोदभूतआय	आय	ा की	इस	विवरणी	में कराधेय
		नाम और			77.	"		111,10				(लाग	.च. तपर) .में)	yild Kilon -	, 75		राशि	जहां	अनुसूची
	,	कोड											,					अनुसूची पेश की गई है	मद संख
(	1)	(2)	(2व	্চ)	(3)			(4	)	(5)	)	(	6)	(7)	(8	3)	(9)	(10)	(11)
(	(i)																		
(	ii)																		
									ान किसी भी सम्मिलित न			गतों) वि	जेसमें ५	आप हस्ताक्ष	र प्राधि	ोकारी	हैं के	व्यौरे (जि	नसके अंत
47	क्र		संस्था क					जिप	खाता	खाता		र्ष के	क्य	ा यदि	(7)	य	दि	क्रसं.	संस्था
			ाम जिस		पता		म	कोड	धारकक	ां संख्या		रान	आप	के   हां है	तो	(7)	हां में		का नाम
		7	खाता रर है	वा		तः क			नाम			चतम तेशेष	पार प्रोदः				) इस रणी		जिसमें खाता
			Q			47	10				GI	/	आर		श	में पे	रजा श की		रखा है
												नेधान 5.में)	कराध				आय		
											1,					रा	शि	जहां	अनुसूची
																		अनुसूची पेश की	की मद
																		पश का गई <b>है</b>	संख्या
	(1	)	(2)		(3)	(37	<del>क</del> )	(3ख)	(4)	(5)	(	(6)	(7	) (8	3)	(9	9)	(10)	(11)
	(i	)																	
	(ii	i)																	
	₹													यासी, हिता					
	क्र.	सं दे	श का नाम	जिप	न्यास नामअ	का	न्यारि जन्म	<b>ग्योंके</b>	वस्थापकक नाम और	ा हिताधि के नाग	कारियं	ों जब		म्या आपके	यदि(१ में है	8)हां - <del>र</del> ो	यदि	(8)हां में रणी में पेऽ	है,तो इस ए की गर्र
		3	नाम ौरकोड	काङ	पत		नाम प		नाम आर पता	प ना			द ाला	पास प्रोदभूत	म ह		Iqq	रणा म पर आय	
								-				ŧ	\$	आय का	प्राप्त	2000	राशि	जहां	अनुसूची
													ाकी । ोख	कराधेय है			CIICI	अनुसूची पेश की	की मद
												dis	ाख					पेश की गई है	संख्या
	(1	)	(2)	(2क)	(3)	1	(4	1)	(5)	(6	5)	(7	7)	(8)	(9	))	(10)		(12)
	(i	)																	
	(ii				<u> </u>	<del>2 - 2</del>			<del>}                                    </del>	<u> </u>	2			<del></del>	<del></del>	-£-			<del></del>
	ह	्   <del>वे</del>	ारत क अधीन	आय,	में सम्मि	लित	नहीं	की गई	₹ है	।।੫ का ब्य			) उपर	क्ति मद क					-
	क्र.	सं.	देश का गम और	f	जेप ं	जिस	से प्राप	प्त हुई १ का न	है प्राप्त	न आय		र की हत्ति		। आपके पार हराधेय है।	स र्या	दे (6)	हां में चित्र	है,तो इस की गई अ	विवरणी गरा
		'	ाम जार कोड	`   <b>'</b>	,,9 (	o kii k	यापत और	. ५७, १ पता	19		яч	y i M		- VI 44 61	-	म राशि		जहां	
																	3 ح	भनुसूची	अनुसूची की मद
																	पश	<b>रा की</b> गई <b>है</b>	संख्या
	(1		(2)	(2	!ख)		(3	)	(	(4)	(	5)		(6)	$\perp$	(7)		(8)	(9)
	(i	_													$\perp$		-		
	(ii	i)																	

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार,नियोजन या छात्र वीजा पर भारत मेंहै ,पूर्व वर्ष के दौरानअर्जितआस्ति जिसमें वह अनिवासी था,कोइ स अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उसआस्ति से कोईआय प्राप्त नहीं हुई

अनु	सूची	-5क पुर्तगाल रि	भविल संहिता द्वारा श	ासित पति या पत्नी की आय वे	र प्रभाजन से संबंधित जानकारी	
	पति/	(पत्नी की नाम				
	संख	<b>पत्नी का स्थायी खाता</b> <b>II /</b> आधार <b>संख्या</b>				
		आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii)पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस की रकम	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	गृह संपत्ति				
	2	पूंजीलाभ				
	3	अन्य स्त्रोत				
	4	कुल				

अनुसूची	कठ	वर्ष के अंत में आस्ति और द	यित्व (यह उस दशा में लागू होग	॥ जहां कुल आय १ करोड़र	ते अधिक हो)
	क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्रं. सं.	वर्णन	पता	पिनकोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
be	(ii)				
्रह्में		जंगम आस्ति के ब्यौरे			
आस्तयों और दायित्वों के ब्यौरे	क्रं. सं.		वर्णन		रकम (लागत) में रुपए
र्जी	(1)		(2)		(3)
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
<u> </u>		पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचि	त्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य		
		यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वा	<u> युयान</u>		
定	(iv)	वित्तीय अस्ति			रकम (लागत) में रुपए
<del> </del>		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी ज	नमाराशि भी है)		
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
		(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम			
		(ङ) हाथ में नकदी			
		आस्ति के संबंध में दायित्व (क	-ख)	<b>.</b>	
टिप	गण▶	कृपया इस अनुसूची के भरे	जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट	करें ।.	

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में कर स्थगन संदाय स्टार्टअप होने पर नियोक्ता का पैन नियोक्ता का डीपीआईआईटी रिजस्ट्रीकरण संख्या

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभृति अथवा स्वेटइक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? o हां	ग वर्ष में से निम्नलिखित घटन उक्त खंड में संदर्भित विर्निदिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं	प्टं हुई है?  चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि  (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3- 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021- 22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष2026-27में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26में देय)		

	2	2022- 23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			
	3	2023- 24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			
	4	2024- 25	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			
	5.	2025- 26	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			

		<u> </u>	भाग-ख					
भाग ख-	कुल र	आय	कुल आय की संगणना					
कुल	1	वेतन(अनुसूची वेतन का 6)						
आय	2	गृहसंपत्ति से उ	<b>आय</b> (अनुसूची गृ.सं. का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)			2		
	3	पूंजी अभिलाभ	н					
		क लघुअवधि	ù					
		iक <b>लघु</b>	<b>अवधि प्रभार्य @ 15%</b> (अनुसूची पू.अ.का मदङ का11ii)	कi				
		iख लघु	अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदङ का 11iii)					
		іі लघु	<b>अवधि प्रभार्य @ 30%</b> (अनुसूची पू.अ.का मदङ का11iv)	कii				
		iii लागू	<b>दर पर लघु अवधि प्रभार्य</b> (अनुसूची पू.अ.का मदङ का11v)	कiii				
			lएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ग 9vi)	कiv				
		v कुल	<b>लघु अवधि (का</b> क + <b>का</b> ख + <b>कां।</b> +कां <b>।।</b> +कां <b>।)</b> (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3 <b>क</b> v				
		ख दीर्घ अर्वा	ધિ					
		<b>i</b> क <b>दीर्घ</b>	अविध प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू .अ.का मदङका ११ अपप)	खां				
		iख <b>दीर्घ</b>	<b>अवधिप्र भार्य @ 12.5%</b> (अनुसूची पू.अ.का मदङका11viii)					
			अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदङका11ix)	खii				
			एए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ग 11)	खiii				
		iv कुल	दीर्घ अवधि (खांक+खांख+खां + खांं।) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्टकरें)	3खiv				
		ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खाv)(यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)  धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का ग 2)						
		कुल पूंजी ङ	गत अभिलाभ(3ग + 3घ)	<b>3</b> ङ				
	4	अन्य स्रोतों से			,			
		<b>क</b> सामान्यत हानि हो व	ाया लागू दरों पर कर से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसुचीणध का 6) (यदि तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ক				
		ख प्रभार्य य	ोग्य आयपर विशेष दर पर कर(अनुसूची असो का 2)	4ख				

	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसुची णध का 8ड) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग)( यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4ঘ
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ङ+4घ)	5
6	<b>5 के विरूद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां</b> (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा.के 2xivऔर 3xivकायोग)	6
7	<b>चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)</b> (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन +2 अनुसूची सीवाईएलएस्तंभ 4 का योग)	7
8	<b>7 के सामने मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां</b> (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)	8
9	<b>सकल कुल आय (7-8)</b> (अनुसूची अग्रनीत हानि समा.+ <b>2</b> का 3xiv)	9
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10
11	<b>अध्याय 6कके अधीन कटौतियां</b> (अनुसूची VIकका <b>ब</b> और 9-10 के लिए सीमित)	11
12	कुल आय(9-11)	12
13	आय जो 12 में सम्मिलित है औ रविशेष दरों पर कर से प्राभार्य(अनुसूची धझ में स्तंभ(झ)का योग)	13
14	<b>शुद्ध कृषि आय/दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय</b> (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)	14
15	'संकलित आय' (12-13+14)[लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15
16	<b>अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां</b> (अनुसूची अग्रनीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16
17	धारा 115ञ ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17

भाग ख- दायित्व		आय	पर कर कुल आय पर कर दायित्व की	संगणना						
	1	क	धारा 115 ञग के अधीन समझी गई कुल आग अनुकल्पितम्नतर कर का 4)	य पर संदेय कर(अनुसूची का	1क					
		ख	(क) परअधिभार (यदि लागू है)		1 ख					
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क	<b>+1</b> ख) उपर	1 ग					
교		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह)	<b>उपर</b> ( 1क +1ख +1 ग)				1 घ		
High High	2		कुल आय पर संदेय कर							
म		क	5 भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर 2							
करदायित्व की संगणना		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल) 2ख							
<del>   6</del>		ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13)अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो,से 27 अधिक हो]							
		घ कुलआय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)								
	3	धार	धारा 87क के अधीन रिबेट							
	4	रिबेट के पश्चात संदेय योग्य कर(2घ- 3)								
	5	उपांतिक राहत से     उपां       पूर्व परिकलित     राहत       अधिभार     अधिभार       अधिभार     अधिभार								
		i	अनुसूची धझ के 15( <b>ii</b> ) के 25 <b>%</b>	5i			क			
		ii	10% या 15% पर लागू (निर्दिष्ट करें)	5ii		i	iक			
		iii	अनुसूची धझ के [(4) – 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर)]	5iii						
		iv	कुल (ंक+iंक)	<u>.</u>		<u> </u>	•	5	iv	
	6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस(3 + 5iv)							6	
	7	7 सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)								

	-	<b>कुल कर संदेय</b> (1घ और 7 से कुछ कम)									
	8क	धारा <b>17(2)(vi)</b> में संदर्भित <b>80</b> आई.ए.सी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर ( <b>8 - 8ख</b> )									
		धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित							8ख		
	०ख	आस्थगित कर ग गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय ( ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)									
	-										
	9	<b>पूर्वतर वर्षां में कर संदत्त की धारा 115ञघ के अधीन जमा</b> (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमर्ट की पंक्ति 5)									
		o धारा 115 ञघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क  - 9)									
	11	<b>कर राहत</b> क <b>धारा 89 (</b> कपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें) <b>11क</b>									
		क धारा 89 (कृपया फार्म 10ड़ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)						_			
			गरा 90 या 90क(अनुसूची		11ख 11ग	4					
		ग धारा ९१ (अनुसूची टीआर का ३)									
		ਬ ਬ	योग (11क + 11ख + 11 कर दायित्व (10 – 11घ)		क है से सम्बद्ध				11घ 12		
			कर दायित्व (10 – 11य) और संदेय फीस	(याद नकारात्म	क हता शून्य ।लख)	(id)					
	13		वेवरणी देने में व्यतिक्रम के	क्रिया हमान्य ( धा	ा २२४क)		13क		_	_	
		- 1	अपरणा दन न व्यातक्रम क अग्रिम कर के संदाय में व्यत्				13ख	-			
		<u> </u>	गित्रम कर के आस्थगन के i	•	,		13ग	-1			
			गय की <b>विवरणी</b> प्र स्तुत कर	, ,	•		13घ				
		ङ	कुल संदेय ब्याज (13क				.54	13	ङ		
	14	_	त दायित्व (12+ 13ङ)					_	0		
		संदत्त कर									
							15क				
<b>.</b>		ख स्रोत पर कटौती किया गया कर(20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग					15ख	-			
संदत्त कर		म स्रोत पर कर कटौती(20घ के स्तंभ 7(i) का योग)					15ग				
संदर		<b>घ</b> र	<b>वनिर्धारण कर</b> (20क के स्त	iभ 5 से )			15घ				
		ङ	संदत्त कुल कर (15क +	15ख + 15ग +	- 15ঘ)		I.	15	ङ		
	-		<b>रुर(यदि 14, 15</b> ङसे अधिव					1	6		
					दे कोई हो,सीधे बैंक खाते में जमा ह				7		
			ापका भारत में बैंक खाता है। ठर सकते हैं।	् प्रतिदाय का द	ावा करने वाले अनिवासी जिनका भ	<b>भारत में कोई बैंक</b> खाता	नहीं है, नहीं व		. अथवा I चयन		
			i. भारत में धारित बैंक खातों	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार (		प्रत्यय	के लिए	ए खाते	
			की दशा में बैंक का आईएफएस कोड			फाईलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउ	का चयन न) एक खाते				
			जाइएपरएस पगठ			उपवादत ठ्रापठाठ	ा) दियर खात	बना		יואוויו	
		i									
		ii									
		नोटः 1 सभी	तैंक जाने गिताग निष्क्रिय र	वाना के किसी १	नी समय रखे गए सभी बैंक खातों क <u>्</u>	ो अनुमा सी जानी नाटिए	ı				
<b>=</b>		ा.समा 2.यदि	बहुविध खातों का चयन किय	वाता के, किस्ता के । जाता है, प्रतिदा	ग तमय रख गए समा बंक खाता के 1य विवरणी का संसाधन के पश्चात् वि	। सूपना दा जाना वाहिए विधमान्य खातों में से एक	। खाते में क्रेडिट	किया	जाएग	TI	
बैंकखाता		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती									
<u> </u>	ii	ख) अनिवासी, जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:									
		क्रम स	i. एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान		अ	ाई.बी.	ए.एन		
		यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं									
		क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी									
		(1) भार अन्यथा	.त क बाहर स्थित काइ आसि के रूप में धारित करते हैं।	तथा (।जसक अत	ागत किसा आस्तत्व म वित्ताय हित	मा ह) का हितायिकारा स	वामा, हिताधिव	ગરા વ			
		(ii) भा	रत के बाहर स्थित किसी खा			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	<u>~</u>	<b>⊔</b> ह।	□नहीं	
		(iii) भ करें)	ारत क बाहर ।कसा स्रात स	आय ह <b>? (</b> ।नवास	कि मामले में ही लागू) (यदि उत्तर ह	ह। ह, तब अनुसूची चके र	का भरना सुनि	थ्वत			
	(VX)										

20	अनुसूची-आ	यकर																						
क	आय-करके	अग्रिम	कर	और	स्वि	नेर्धार	ण क	र संद	शय के ब	यौरे														
	क्रम र	Ť.		बी ए	रस र	आर व	कोड				की तार 1/मास/			चा	लान	का क्रम र	Ħ.			र	कम(रू	.)		
	(1)				(	(2)					(3)					(4)					(5)			
धरिक	i																							
अप्रिम/ स्व निर्धारण	ii																							
अप्रि	iii																							
	iv																							
	टिप्पण► वेतन से स्रोत	ग्यं क	्टौर्त													र स्वनिर्धाः रूप 16 वे			योग लिख	Î I				
ख														,	.,.						300			
	क्रम र	т.	ान			ग क संख्या					ानयाज	क का न	пम			वतन व	क अध	ान प्रः	भार्य आय	q	ग्टाता ।	कया	गया कु	ल कर
	(1)					(2)						(3)					(	(4)				(	5)	
कटौती	i																							
वेतन से स्रोत पर कर कटौती																								
स्रोत	ii																							
वेतन सं																								
	टिप्पण▶			कृप	या १	भाग र	ब-टी	<u> </u> रीआई	के कॉल	म 5 र	15ख	का योग	भरें											
ग1	कटौतीकर्ता	द्वारा अ								ब्यौरे	(जारी वि	केए गए	प्ररू											
	क्र स्वयं सं. अन्यव से संब जग टीडी (धारा 5 अनु पति-प निय 37खव के अ	यक्ति ग्रंधित ग्रा एस इक के सार ग्रली/ ग्रम कु (2)	का आध (१ टीड उ	पैन/ गर सं पदि डीएस नमा व्यक्टि	i. ं	किरा	टैन/ एदार/	र्नी का 'क्रेता भाधार	जिसवे	5 अ H	दावाक <sup>,</sup> (बी/ <sup>)</sup>	ाया गया रटीडीएस एफ)		टीडी 2024	एस (नि -25 वे गया टे	वर्ष का वेत्त वर्ष ह दौरान टीडीएस)	(केव इसी व लागू	ाल तभी वर्ष कर नहीं, १४ एन	ा टीडीएस गि जब सम् र के लिए यदि टीडी के अधीन गया।)	गन आय प्रस्तावित एस धार	िर्स त. प्रस	तुत व	रूप आहरित ठी गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा
										f क	जेसमें टौतीकी गई है	बी/ एप	त <sub>5</sub>	द्वारा की गई	अनु पर्ल नियम के अन द्वार	सार पित- ो द्वारा या म 37खक अनुसार किसी यव्यक्ति ा की गई ौती (यदि ागू हों)	के द्वारा दावा किया गया	धाः प ि	रा 5क के ति-पत्नी व नेयम 37र अनुसार पि अव्यक्ति द्व गा दावा (य हों)	द्वारा या वक के केसी ज़रा किय प्रदि लागू	. <b>र</b> क	म	का शीर्ष	
	(1) (2	2)	(	(3)	+		(4)			+	(5)	(6)	-	(7)		<b>(8)</b> टीडीएस	(9)	आय	<b>(10</b> ) टीडीएर	त पैन/		1)	(12)	(13)
															आय					आधा सं				
	i																							
	i																							

घ	स्त्रोत पर क	र संग्रहण	का विवरण( टी.सी.	एस) [समाहत	र्ग द्वारा जारी प्रप	त्र २७घ के	अनुसार]					
	अन्य आय	क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति	समाहर्ता	अन्य व्यक्ति		लाया गया	चालू वित्त	वर्ष की टीसीएस		र्ष में दावा किया गया	टी.सी.एस
	पर		सं संबंधित जमा	का कर	का पैन( यदि	अदावाव	<b>हर टी.सी.एस</b>			7	जमा टी.सी.एस	जमा आगे
	टी.डी.एस		टी.सी.एस [धारा	संग्रहण	टी.सी.एस							लाया गया
			5कू के अनुसार	खाता	जमा अन्य							
			पति/ पत्नी धा्रा	संख्या तथा	व्यक्ति से							
			( )	कर कटौती	संबंधित)							
			अनुसार अन्य									
			व्यक्ति]									
						वित्त वर्ष	राशिबी/एफ	स्वंय संग्रहित	धारा 5क के			
						जिसमें		संग्राहत किया	अनुसार पति/पत्नी द्वारा			
						संग्रह किया		ाकता	पात/पत्ना द्वारा संग्रहित अथवा		धारा 5क् के	
						गया			<b>नियम</b> ३७आई		अनुसार पति/पत्नी	
						141			(1) <b>के अनुसार</b>	स्वयं	द्वारा दावा किया	
									अन्य व्यक्ति	दावा किया	<b>गया अथवा नियम</b> 37 आई (1) <b>के</b>	
									द्वारा	ाकथा गया	अनुसार अन्य व्यक्ति	
									(यदि अनुप्रयोज्य	าเคเ	जनुसार जन्य व्याक्त द्वारा	
									हो)		(यदि अनुप्रयोज्य हो)	
		(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
		(.)	_(.)	(=/(/	(5)	( . /	(5)	٥(٠/	(5)()	. (.)	टी.सी.एस पैन	(0)
											GI. VII. ÇVI	
		i		L,			<i>c</i> 5.					
		टिप्पणी	कृपया भाग ख-नन	झ के 15ग मे	ों स्तंभ 7(i) का व्	कृल मांग द	जे करें					

			सत्यापन			
मैं, ।	पुत्र / पुत्री ,सत्यनिष्ठा से घोषणा करत	ा हूं / करती ह	हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी	और विश्वास के अन्	नुसार विवरणी और उसव	की अनुसूचियों में र्द
			। आय-कर अधिनियम, 1961			
में यह और	' घोषणा करता हूं कि मैं की क्षम	ता में विवरणी	ो तैयार कर रहा हूं और मैं इर	स विवरणी को तैया	र करने और उसका सल	यापन करने के लिए
सक्षम हूं ।	मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है । (यदि आबंटित	किया गया है)	(कृपया अनुदेश देखें)			
	घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्टआल			ा है और करार की	सभी निबंधनों और शत	ीं का अनुपालन कर
दिया है (उ	स दशा में, लागू होगा जहां धारा 92गघ के अध	ीन विवरणी व	राखिल किया जाना है)			
तारीख		स्थान		<b>यहाँ</b> हस्ताक्षर		
uitig		स्यान		करें→		
ग्रहि तित्र	णीकर विवरणी वैयार कर्ता (टी.थारणी) दाः	ग तैयार की :	गर्द है तो निमानमार और ह	गौगर्हे.		

यदि विवरणीकर विवरणी तैयार कर्ता (टीआ	रपी) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरादें:	
कर विवरणी तैयार कर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयार कर्ता का नाम	कर विवरणी तैयार कर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयार कर्ता सरकार से कि	सी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम ";	

[फा.सं. 370142/15/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का०आ० ९६९(अ), तारीख २६ मार्च, १९६२ द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा०कानि० २८६(अ), तारीख ०१ मई, २०२५ द्वारा किया गया ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

## **NOTIFICAION**

New Delhi, the 3<sup>rd</sup> May, 2025

## No. 43/2025

**G.S.R 287(E).**— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for FORM ITR-2, the following FORM shall be substituted, namely:—

				TN	ND.	ΙΔΝ	T	NCC	7(	Æ	' <b>T</b>	ΔΧ	RF	TT	R	N				1	Asse	ssn	nent	Yea	ır	
" FORM	ITR	2-2	[For Inc		luals	and !	HU of k		t ha	avii or j he Ii	ng in prof ncom	ncon fessi 1e-tax	ne fro on] Rules	m pi	of		nd	gain	2		) 2	2	5	-	2	6
Part	A-GEN		GENE	RAL																						
	(A1) F	irst naı	ne	(A2	) Mi ne	ddle	(A	.3) La	st n	am	e		(A <sup>2</sup>	l) PAI	1									ı		
	(A6) F	lat/Doo	or/Block			lame o		ng/Vil	log				(A5	5) Stat	us	(Tic	:k)	 ₹						]		
NC	110.			I.	ı emi	Ses/Dt	mui	ng/ v n	lag	e				Indivi	du	al			□н	UF						
AATIO	(A8) R Office		reet/Post			Date of		irth/ F	`orī	mati	ion															
OR	(A9) A	rea/loc	ality	(A	<b>A15</b> )	Aadh	aar l	Numb	er	(12	digit	t)	1	ı									!			1
LINI																										
PERSONAL INFORMATION	(A10) Town/	City/Di	strict	(A	<b>A11</b> )	State	•					•				(A	13)	PIN	code	ZII	P co	de				
PER				(A	<b>A12</b> )	Coun	try																			
			ential/Offi h STD cod No. 1			:							(A	.17) N	lob	ile I	No.	2	II.							I
	(A18)	Email A	Address-1	(self)	)								(A	19) E	ma	il A	ddı	ess-2	,							
FILING STATUS	(A20)	(a1i) I	Filed u/s (7	Tick)	[Plea	ase see	e ins	tructio	on]				date	9(1)-0 , □13 rn, □	9(5	5)-R	evis	ed R	eturn	, <b>Ö</b>	920	D.	Mo	difi	ed	e
FI			Or filed in											39(9),												
	(a2)	No	ou wish to  For Optin			•						•	Ü				_	`					) 🗆	Yes		

	Are you filing return of income		Seventl	ı pro	oviso	to sec	tion	139(1)	but o	therwis	e not re	equi	red t	o fu	rnish
(b)	return of income? - (Tick) \( \subseteq \) Y		tion [N	Ta <b>t</b> a.	Tab	. All.	d	l :f a :	<b></b>	n ia nat			. <b>.</b>	niah	
(b)	If yes, please furnish following return of income under section														
	mentioned in the seventh provi					01 1110	01110	uuc te		ing one	01 1110		onui		,
(bi)	Have you deposited amount or							s. 1 C	rore i	n one	Amou	unt	(Rs)	(If Y	(es)
(01)	or more current account durin									· D					
(bii	Have you incurred expenditure 2 lakhs for travel to a foreign c									ing Ks.	Amou	ınt	(Re)	(T£ X	7 <b>0c</b> )
(DII)	(Yes/No)	ountry 1	or you	SCII	OI IC	п апу	ome	i pers	on.		Amo	um	(IXS)	(11 1	(68)
(biii	Have you incurred expenditure	of amo	unt or	aggr	egate	of an	nour	t exce	eding	Rs. 1	Amor	t	( <b>D</b> c)	(T£ X	7og)
(DIII	lakn on consumption of electric										Amou	шп	(IXS)	(11 1	(8)
(biv	Are you required to file a return (iv) of seventh proviso to section										(Tick	) o .	Voc.o	No	
(DIV	from the drop-down menu)	II 139(1)	(II ye	s, pr	ease s	elect	ine i	eievaii	t com	uition	(TICK	.) 0	i es u	INU	
(a)	<u> </u>	on onton	Doggin												
(c)	If Revised/Defective/Modified, the No. and Date of filing original ret		Keceip	"											,
	(DD/MM/YYYY)														1
	If filed, in response to a notice u/s	139(9)/	142(1)/	148/	153C	or or	der	<u> </u>						$^{\perp}$	
(d)	u/s 119(2)(b) enter Unique Number							(II:	N.	h)				١,	,
(u)	Number (DIN) and date of such N			r if f	ïled ı	ı/s 920	CD,	(Onic	įue mi	ımber)				/	/
(-)	enter date of Advance Pricing Ag					r 1' '	r 1	22.1			- 4				
(e)	Residential Status in India (for individuals)	A. Resid	[section				or I	82 days	s or m	ore durii	ng tne p	orev	ious y	year	
	(Tick applicable option)	ent					for	60 day	s or r	nore dur	ring the	pre	vious	s yea	ar, and
			have	been	in I	ndia f	or 36	55 day	s or r	nore wit	thin the	4			
										1 is not a			c		
										dia, for t ship and					
										nd 365					
										section (			1010		
										of India				e co	me on
										and we					
			the pr					g the pi	eviou	s year ar	nd 365 (	days	or n	iore	within
								g the pi	eviou	s year ar	nd 365 (	days	or n	ore	within
										ne, other					
		D								tion 1(b)					
		B. Resid	section				10n-1	esiaen	t in Ir	idia in 9	out of	10	prece	eaing	years
		ent			` / ` /		ndia	for 729	days	or less d	luring th	ne 7	prece	eding	years
		but	[section										•		
		not								n of Indi					
		Ordi naril								ther thar e been in					
		y								ous year					i illore
		Resid								otal inco					ncome
		ent								5 lakh du					
										territory similar n					
			6(1A)		ce or	any (	Julei	criteri	a or s	siiiiiiar i	iature [	seci	ion c	)(0)(	u) IWS
		C.			ere a ı	on-re	sider	t durin	g the	previous	s year.				
		Non-													
		resid	_ ` /		_			,		esidence		_	_		year -
		ent	S. S. N		dictic eside	n(s) o	Ī	1	axpa	yer Ideni	tificatio	n N	umbe	er(s)	
			0.	1	corde	100									
			1												
			2												
						are a	Citiz	en of l	ndia (	or a Pers	son of I	ndia	ın Or	igin	(POI),
			please			stay i	n	Tot	al per	iod of sta	av in In	dia	durin	σ th	<u> </u>
					luring		.1	101		receding				5 1110	- <del>-</del>
			previo				s)								

	HUF)	tial Statu				□ Resident	dent [	] Resid	dent b	ut not Ordi	inarily	Resid	lent		□ Non	-
( <b>f</b> )	Do you	<i>plicable o</i> want to c of residen	laim 1		efit unde	r sectio	on 115H? (	applic	able	□ Yes		No				
(g)		governe		Portugu	ese Civil	Code	as per sect	ion 5A	? Tick	t) 🗹 🗆 Y	es 🗆 N	No (It	f"YES	" pleas	e fill	
(h)		r you are	an / ]	FPI? Y	es/No	If yes,	please pro	vide S	EBI F	Regn. No						_
(i)										res or mor	e)					_
	LEI Nui	mber					Valid upto	date								
<b>(j</b> )		r this retu following				Repre	sentative A	Assesso	ee? (T	ick) <b>☑</b> □	Yes		□ N	o If ye	s, please	
		(1)			_		Represent									
		(2)								op down to	be prov	rided)	1			
		(3)					he Repres			J)/ Aadhaai	· No. o	f tha	Donros	ontati	VO.	
(k)																_
(1)					n a compa g informa		any time d	uring	the pr	evious year	r? (Ticl	k) 🗹	□ Yes		l No	
		Name o	of Cor	npany		Typ of	PA			its shares a	re	Diı			ication	
				1 1		comp	-	I	isted (	or unlisted			Numl	ber (D	lN)	
						(Dro										_
						dow										
						to b	-									
						prov ed)										
(l)	Whether No	r you hav	e hel	d unlist	ed equity	share	s at any tir	ne dui	ring th	e previous	year?	(Ti	ck) 🗹	□ Ye	s	
			nish f	ollowin	g inform:	ation ir	n respect o	f equit	ty shai	res	T			Ī		
	Name of comp any	Type of Comp any	PA N		ening lance	Sh	ares acqui	red du	ıring t	he year	tra	Share nsfer ng the			losing llance	
		(Drop down to be provid ed)		No. of shar es	Cost of acquisi tion	No. of shar es	Date of subscrip tion / purchas e	Fac e val ue per sha re	Iss ue pri ce per sha re (in cas e of fres h issu e)	Purchas e price per share (in case of purchas e from existing sharehol der)	of shar es	con at	ale sider ion	No. of shar es	Cost of acquisi tion	
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	11	12	13	_
								-	-							$\frac{1}{2}$
	<u>                                     </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		1	<u> </u>			<u> </u>				L
			S	CHEDU	LES TO 1	HE RE	TURN FOI	RM (FI	LL AS	APPLICAE	LE)					

Sch	edul	le S	Details of Income from S	Salaı	ry									
S	Na	nme of Employer	Nature of employer (Tie (drop down to be provide		<b>7</b>	TAN	of Emp	oloyer (n	ıandı	ato	ry if	tax i	s deducted)	
RIE			(arop down to be provide	eu)										
[V]	Ad	ldress of employer	Town/City			State	e		PII	N c	ode/	ZIP	code	
VS														
	1	Gross Salary $(1a + 1b + 1c + 1d)$	+ 1e + 1f)						1					
		a Salary as per section 17(1) (drop	o down to be provided)	1a										
		b Value of perquisites as per section be provided)	on 17(2) (drop down to	1b										

	c Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c		
	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)	1d		
	e Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"	1e		
	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.	1f		
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one	employer)		
2	Total Gross Salary (from all employers)		2	
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop donutility) (please refer instructions) (Note: Ensure that it is included in Total Gross salar	•	e-filing 3	
3(a)	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A		3a	
4	Net Salary (2 – 3 – 3a)		4	
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)		5	
	a Standard deduction u/s 16(ia)	5a		
	b Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b		
	c Professional tax u/s 16(iii)	5c		
6	Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)	•	6	

	Add	lress of property 1			Town/	City					Sta	te			Cou	ıntry	7		PIN	Co	de/ Z	IP Co	de
1																							
	Is tł	ne property co-owned	?	□ Yes	□ No	(if "Y	YES"	pleas	e ente	r fo	ollow	ing	detai	ls)									
	You	r percentage of share	in tl	he proper	ty (%)																		
	Nan	ne of Co-owner(s)			PAN/A owner(		ar No	o. of C	co-		Per	cen	tage	Sha	are ir	Pro	pert	y					
	I																						
	II																						
	opti	l k ☑ the applicable on] .et out	Ter	me(s) of nant(s) et out)	PAN/ A (Please			o. of 7	<b>Tenan</b>	t(s)		N/T med		Aa	dhaa	r No	o. of	Te	nant	(s) (	if T	OS cre	edit is
		elf-occupied Deemed let out	I II																				
	a	Gross rent received	or re	ceivable o	or lettabl	e valu	ıe									1a							
	b	The amount of rent v	vhich	n cannot b	e realize	d		1b															
	С	Tax paid to local aut	horit	ies				1c															
		Total (1b + 1c)						1d															
		Annual value (1a – 1	, ,				•			of i	the A	ct)				1e	_						
		Annual value of the p	oropo	erty owne	d (own p	ercen			x 1e)							1f							
	g	30% of 1f						1g								_							
	h	Interest payable on b to be filled in the d e-filing utility)						1h															
	i	Total (1g + 1h)														1i	Т						
	j	Arrears/Unrealized r	ent 1	received d	luring th	e year	r less	30%								1j							
	k	Income from house p	rope	erty 1 (1f -	– 1i + 1j)											1k							
		(fill up details separa	tely	for each p	property)	)																	
2	Pass	s through income/loss	if ar	ıy *												2							
3		ome under the head "legative take the figure					y" (Σ	21k +	2)							3							

NOTE ▶

Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.

Scl	hedi	ıle C0	G		Capital G	Sains									
	A	Shor	t-term Capita	l Gains	s (STCG)	(Sub-item	s 3 and 4 are no	applicab	le for	residents	s)				
		1	From sale of	land o	r building	or both (	fill up details se	parately f	or ead	ch proper	ty)				
			Date of purc	hase/ a	cquisition	DD/MM	/YYYY	Da	te of s	sale/trans	sfer DD/M	IM/YY	YYY		
			a	i l	Full value	of consid	eration received	l/receival	ole	ai					
					Value of pauthority	roperty a	s per stamp val	uation		aii					
				iii	Full value section 500 [in case (ai	C for the j	eration adopted purpose of Cap ot exceed 1.10 ti ai), or else take	ital Gain: mes (ai),	6	aiii					
			b		ctions und			(411)]							
SNI	Gains			i	Cost of acc	quisition v	without indexat	ion		bi					
GA]	oital (			ii (	Cost of Im	proveme	nt without index	kation		bii					
CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains				Expenditu connection		and exclusively	' in		biii					
CA	rt-ter			iv	Total (bi +	- bii + biii	)			biv					
	Sho		С	Balan	ce (aiii – b	oiv)				1c					
			d	<b>Deduc</b> D belo		r section	<b>54B</b> (Specify det	ails in ite	m	1d					
			e	1		ital Gains	s on Immovable	propert	7 (1c ·	- 1d)				A1e	
			f	In cas	e of transf	fer of imn	novable propert	y, please	furni	sh the fo	llowing de	etails (	see note)		
				S. No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	pr cour	dress of operty, itry code IP code	Pin co	de	State		
			NOTE ▶	o I	or is quote	d by buye	Aadhaar No. is er in the docume n one buyer, ple	ents					r section 194-IA		
		2	unit of a busi	iness tr	rust on wh	ich STT i	uity oriented M is paid under se A3 is not applica	ction 111		IF) or	Where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024		e transfer was on er 23 <sup>rd</sup> July 2024		
			a	Full va	alue of cor	nsideratio	n			2a					
			b	Deduc	ctions und	er section	1 48								
					Cost of acq	quisition v	vithout indexati	on		bi					
							nt without index			bii					
					Expenditu vith transf		and exclusively	in conne	ction	biii					
				iv 1	Total (i + ii	i + iii)				biv					
			С	Balan	ce (2a – bi	iv)				2c					
			d	asset l date a then le	bought/acc and divid	quired wi end/incon g out of sa	94(7) or 94(8)- thin 3 months p ne/bonus units ale of such asset	rior to rece	cord ived,	2d					
			e	Short-		ital gain o	n equity share	or equity			2ei	2eii		A2e	
		3		ESIDE	NT, not be	eing an Fl	II- from sale of					n comp	pany (to be		
			computed wi				stment under fin vered u/s 111A				<u>')                                    </u>			A3a	

1	<u>[,</u>	Where the transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024			A3ai
	ii.	Where the transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024			A3aii
	b ST	CG from sale of shares not covered in sl. no 3a or sale of debentu	ures		A3b
4 For	NON-RESII	DENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII	as per	section 115AD	
	a i	In case securities sold include shares of a company other than following details	quoted	shares, enter the	
		a Full value of consideration received/receivable in respect of	ia		
		unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the	ib		
		prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares	ic		
		adopted as per section 50CA for the purpose of Capital	10		
	ii	Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of securities other than	Aii		
	iii	unquoted shares Total (ic + ii)	aiii		
b	Deduction	s under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation			
		•	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (i + ii + iii)	biv		
С	Balance (4	laiii – biv)	4c		
d	bought/ac dividend/i	be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security quired within 3 months prior to record date and ncome/bonus units are received, then loss arising out of sale of rity to be ignored (Enter positive value only)	4d		
e	Short-torr	n conital gain on gale of goognities by an EU (other than those of		a +44)	
1	Short-terr	n capital gain on sale of securities by an FII (other than those at	A2) (4	( + <b>4u</b> )	A46
5 Fron		ets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above	A2) (40	c +4u)	A4e
5 From			A2) (40	t +4u)	A46
	n sale of ass	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of		t +4u)	A40
	n sale of ass	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the		t +4u)	A40
	n sale of ass	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital	ia	L ++4U)	A40
	n sale of ass	ets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above  In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than	ia ib	( T+4U)	A40
	n sale of ass	ets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above  In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ia ib ic	C ++4U)	A44
	i ii iii	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)	ia ib ic	C T-4U)	A44
a	i ii iii	ets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above  In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	ia ib ic		A44
a	i ii iii Deduction	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)	ia ib ic aii		A44
a	i ii iii Deduction	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)  as under section 48  Cost of acquisition without indexation  Cost of Improvement without indexation	ia ib ic aii aiii		A44
a	i ii iii Deduction i ii iii	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)  s under section 48  Cost of acquisition without indexation  Cost of Improvement without indexation  Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	ia ib ic aii aiii bii		A46
b	ii iii Deduction ii iii iii iv	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)  as under section 48  Cost of acquisition without indexation  Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer  Total (i + ii + iii)	ia ib ic aii aiii bii bii biii		A44
b	ii iii Deduction ii iii iv Balance (5	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)  as under section 48  Cost of acquisition without indexation  Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer  Total (i + ii + iii)	ia ib ic aii aiii bi bii biii biv 5c		A46
b	iii Deduction iiiiiv Balance (5	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)  as under section 48  Cost of acquisition without indexation  Cost of Improvement without indexation  Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer  Total (i + ii + iii)  Saiii – biv)  asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for f asset bought/acquired within 3 months prior to record date end/income/bonus units are received, then loss arising out of sale	ia ib ic aii aiii bii bii biii		A46
b	ii iii Deduction i iii iv Balance (5 In case of example i and divide of such as	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares  Total (ic + ii)  as under section 48  Cost of acquisition without indexation  Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer  Total (i + ii + iii)  Saiii – biv)  asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for f asset bought/acquired within 3 months prior to record date	ia ib ic aii aiii bi bii biii biv 5c		A46

[भाग ॥—खण्ड ३(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 45

	Sl. No.	yea which	vious ir in h asset	claimed	ınder leductioi l in that	Previou	us year in	Am	ount uti	lised i	asset o	unt not used for new r remained unutilized oital gains account (X)	
	i		ferred 2-23	year 54B		whic acquired/	h asset construct		t of Cap ins acco				-
	ii	202	3-24	54B									-
b		ınt dee	med to		term caj	ital gains, ot	her than a	at 'a'					-
	Total	amoui	ıt deer	ned to be	short ter	m capital gai	ns (aXi +	aXii + 1	<b>o</b> )				A6
										l up sci	hedule	2 PTI) (A7ai + A7aii +	
7		- A7c)				ome/ Loss in t							A7
		ai				al Gain, charg		A7a					
				Pass Thro		ome/ Loss in t			_				1
		aii	ż	20%		al Gain, charg		A7a	ii				
		b				ome/ Loss in t al Gain, charg		of A7b					
				30% Pass Thro	ugh Inco	ome/ Loss in t	he nature	of	-				-
		c	;		m Capita	al Gain, charg		A7c					
8			TCG	included i		7 but claimed	d as not c	hargeab	le to tax	or cha	argeal	ole at special rates in	
	ingia	as per	DIAA	<b>1</b>	ı		1	1	1	1	1		
		Amount	Item	No. A1 to	Country		Rate as per	Whether	Section	Rate			
	SI. No.	of income	A7 a	above in included	name &	Article of DTAA	Treaty (enter NIL,	TRC obtained	ofIT	as per I.T.	r Appli	cable rate [lower of (6) or (9)]	
		meome	willer	i iliciuded	Couc		if not chargeable	(Y/N)	net .	Act			
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
	I												
	II												
	a	Total	amou	nt of STC	G claime	d as not char	geable to	tax in I	ıdia as p	er DT	'AA		A8a
	b					d as chargeal							A8b
A(A	Capi appli			buy back	of shar	es on or aft	er 01st (	October	2024 [	Short	t Teri	m 20% or 30% or	A(A)
	(can	be cla	imed			e Dividend							
9	Total	Short-	term (	Capital Ga	ain (A1e-	+ A2e+ A3a+	A3b+ A40	e+ A5e+	A6 + A7	' - A8a	+ A(A	<b>A</b> ))	A9
Long	g-term	capital	gain (	LTCG) (S	Sub-items	, 5 , 6, 7 & 8 0	are not app	plicable	for resid	lents)			
1	From	sale of	land	or buildin	g or botl	ı (fill up detai	ls separate	ely for ea	ich prop	erty fro	om a te	o f)	
	Date	of purc	hase/	acquisitio	n DD/Mi	M/YYYY		Date of	sale/tra	nsfer l	DD/M	M/YYYY	
	a	i	Fı	ıll value o	f conside	eration receiv	ed/receiva	able			ai		
		ii	V	alue of pro	operty as	per stamp va	aluation a	uthority	7		aii		
		iii	pι	irpose of (	Capital (	ration adopte Sains [in case igure as (ai),	(aii) doe	s not exc			aiii		
	b	Dedu	•	under sect		(sta/)		. (/]					1
		i	C	ost of acqu	uisition v	vithout index:	ation				bi		1
		1	- 1							1			i

	iib	Total cost	of improve	ment							
		(a)	Cost of imp	provement with	out indexati	ion	biib(a)				
		(b)	Year of Im	provement							
		(b & c ap) (A) transf (B) Resid proviso to	plicable only fers before 23 lents for com section 112	nent with index for: 3rd July 2024, of aputational pur (1)(a) where acc 23rd July 2024	or poses under quisition is l		biib(c)				
	iii		ro wholly o	nd exclusively in	n connectio	n with transfor	biii				
	iv	Total (wh		is before 23 <sup>rd</sup> J			DIII				
				r after 23 <sup>rd</sup> July rpose of compu			biv				
	iva	(Applicab second pr	oviso to sect	ents for comput ion 112(1)(a) wl after 23rd July 2	here acquis		biva				
с		e (aiii – biv)					1c				
ca	(Application (Appl	to section 1 23rd July 2	12(1)(a) whe	mputational pure acquisition is			1ca				
			to be consid								
d	<b>Deducti</b> below)	on under se	ction 54/54B	/54EC/54F (Spe	ecify details	in item D	1d				1
e	_	-		movable prope	•					B1e	
	acquisit	ion is before		,			iso to se	ection 11	2(1)(a) where	B1ea	
ei	only) A. B.	Tax as pe Tax for t	er section 11 he purposes	d July 2024 and 2(1)(a)(ii)(B) (1o of second provi	e*12.5%) iso to section	n 112(1)(a) (1ea	a*20%)	`	residents	B1ei(A) B1ei(B)	
eii	Excess a resident	amount, if ants	ny, that is re i(A)- B1ei(B	quired to be igr	ored as pe	r second provi	so to sec	ction 112	(1)(a) (for	B1eii	
f	In case	of transfer o		e property, plea	se furnish t	he following d	etails (se	ee note)			
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, cour code, ZIP co	ntry Pi	in code	State		
NOT	E ►	is quoted by	y buyer in th	dhaar No. is ma	•						
g		ong-term Ca	apital Gains	e buyer, please on Immovable		e respective per	rcentage	e snare a	na amount.		
	(a) Befo	ies transferi	2024 (sum o red before 23	f capital gains ( 3 <sup>rd</sup> July 2024)		B1ga					
	(b) On o	or after 23 <sup>rd</sup> ies transferi	July 2024 (s ed on or aft	um of capital ga er 23 <sup>rd</sup> July 202	ains on all 4)	B1gb					
	(c) Tota	ı excess tax	to be ignore	a (ΣBleii)		B1gc					

[भाग ॥—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 47

2			s, from sale of unlisted bonds or unlisted of applicable only where transfer was before the transfer was before transfer was before transfer was before the transfer was before transfer was before transfer was before the transfer was before th			ital ind	exed bonds issued by		
	a		alue of consideration		• /	2a			
	b	Deduc	tions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation			bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	L		bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in co	nnectio	n with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)			biv			
	с	Balan	ce (2a – biv)			2c			
	d	Deduc	tion under sections 54F (Specify details in	item D b	pelow)	2d			
	e	LTCG	on bonds or debenture (2c – 2d)					B2e	
3i			rom sale of, listed securities (other than a uro coupon bonds as per Section 112(1)	ınit) or	Where transfer before 23 <sup>rd</sup> July 202	was 24 (i)	Where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 (ii)		
	a	Full va	alue of consideration	3a					
	b	Deduc	tions under section 48						
		i	Cost of acquisition with indexation	bi					
		ia	Cost of acquisition without indexation (where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as	bia					
		ii	per proviso to 112(1))  Cost of improvement with indexation	bii					
		iia	Cost of improvement without indexation (where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as per proviso to 112(1))	biia					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii					
		iv	Total (where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024, bi + bii +biii) (where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024, bia +biia +biii)	biv					
		iva	Total (bia + biia + biii) (for the purpose of computing excess as per proviso section 112(1)) (applicable where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024)	biva					
	с		ce (3a – 3biv) ce (3a – 3biva) (for the purpose of	3c					
	ca	compu 112(1) 23 <sup>rd</sup> Ju	nting excess tax as per proviso to section ) (applicable where transfer was before ally 2024)	3ca					
	d		tion under sections 54F (Specify details in below)	3d					
	e		term Capital Gains on assets at B3 above Before 23 <sup>rd</sup> July 2024	where to	ransfer was (3c – 3	3d)		B3(i)ei B3(i)ei B3(i)eii	
	ea	Long-	term Capital Gains on assets at B3 above te purpose of computing excess tax as per			e 23 <sup>rd</sup> J	uly 2024 (3ca – 3d)	B3(i)ea	
	f	Tax as	s per 112(1)(a)(ii)(A) or 112(1)(c)(ii)(A) [L cable where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July,	TCG at		ition][]	B3(ei)*20%]	B3(i)f	
	g		s per 1 <sup>st</sup> Proviso to section 112(1) [LTCG a cable where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July,		without indexatio	n] [ B3(	(ea)*10%]	B3(i)g	
	h	Excess	s amount that is required to be ignored as icable where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July	per 1st p	proviso to section	112(1)	[B3(f) - B3(g)]	B3(i)h	
3ii		sale of	GDR of an Indian company referred in splicable only for resident individuals)		Where transfer wa before 23 <sup>rd</sup> July 202 (i)	, wher	e transfer was on or 23 <sup>rd</sup> July 2024 (ii)		
	a	Full va	alue of consideration	3a					

		. 1	1	T T									
		Cost of acquisition without indexation	bi										
		ii Cost of improvement without indexation	bii										
		iii Expenditure wholly and exclusively in	biii										
		connection with transfer											
	_	iv Total (bi + bii +biii) Balance (3a – biv)	biv 3c										
	С	Deduction under sections 54F (Specify details in											
	d	item D below)	3d										
	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 ii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024	where t	ransfer was (3c – 3d)		B3(ii)e B3(ii)ei B3(ii)eii							
		sale of equity share in a company or unit of equinder section 112A	ity-orie	nted fund or unit of a	business trust								
	A	LTCG u/s 112A (column 14(iii) of Schedule 112	<b>A</b> )		4a								
		i. Sum of column 14 where transfer was before	23 <sup>rd</sup> July	2024	4ai								
		ii. Sum of column 14 where transfer was on or a			4aii								
	В	<b>Deduction under sections 54F</b> (Specify details in											
		<ul> <li>i. Before 23<sup>rd</sup> July 2024</li> <li>ii. On or after 23<sup>rd</sup> July 2024</li> </ul>			4bi 4bii								
	С	Long-term Capital Gains on sale of capital asse	ts at B4	above where transfer		) B4c							
		i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024				B4ci							
	For N	ii. On or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 ON-RESIDENTS- from sale of shares or debent	uro of I	ndian company (to be	computed wi	B4cii							
		nge adjustment under first proviso to section 48		idian company (to be	computed wi	th for eigh							
		LTCG computed without indexation benefit wh	ere trar		5a								
		i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 – Listed I			5ai								
	A	ii. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 – other than Listed Debentures iii. On or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 (Only unlisted Shares or Listed  5aii 5aii											
		Deduction under sections 54F (Specify details in item D below) where transfer was											
		<b>Deduction under sections 54F</b> (Specify details in	item D l	pelow) where transfer									
		i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 – Listed Debentures 5b ii. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 – other than Listed Debentures 5bi											
	В	iii. On or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 (Onl	y unliste	d Shares or Listed	5bii								
		debentures)			5biii								
		LTCG on share or debenture (5a-5b)				B5c							
	C	i. where transfer was before 23rd	July 20	24 – Listed Debentur	es	B5ci							
	· ·	ii. where transfer was before 23rd				B5cii							
	For N	iii. where transfer was on or after 23rd on-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted secu		4 (Only unlisted Shar	es or Listed D	Debentures) B5ciii							
		c. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec											
	115A	C, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115	AD	Where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024	Vhore transfer s	was on or							
		than securities referred to in section 112A for v	hich	before 23 <sup>rd</sup> July 2024 a	fter 23 <sup>rd</sup> July 20	24 (ii)							
		n B7 is to be filled up) For serial number (iii), break up of income base	d on	(1)									
		f transfer is not required.											
	a	i In case securities sold include shares of a	compa	ny other than quoted	shares, enter t	the							
		following details  a Full value of consideration				<del></del>							
		received/receivable in respect of unquoted shares	ia										
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed	l ib										
		manner c Full value of consideration in											
		respect of unquoted shares adopted											
		as per section 50CA for the purpose	ic										
		of Capital Gains (higher of a or b) ii Full value of consideration in respect of											
		securities other than unquoted shares	aii										
		iii Total (ic + ii)	aiii										
	b	Deductions under section 48											
		i Cost of acquisition without indexation	bi										
		ii Cost of improvement without indexation	bii										
1		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii										

[भाग ॥—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 49

iv	Total (bi + bii +biii) biv	
Bala	ance(6aiii – biv) 6c	
Long (i) W (ii) V	g-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d)  Where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024 [applicable for 6(i) & 6(ii) ]  Where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 [applicable for 6(i) & 6(ii) ]	B6e B6ei B6eii
LTC	CG u/s 112A (column 14(iii) of Schedule 115AD(1)(b)(iii) 7a	
i. Su	ım of column 14 where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 7ai	
ii. St	um of column 14 where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> 7aii	
Dedi	uction under section 54F (Specify details in item D 7b	
belov	i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 7bii ii. On or after 23 <sup>rd</sup> July 2024	
Long	i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024	B7c B7ci
		B7cii
	i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 8ai	
	ii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024 8aii	
	Y A V V X N	
	i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024 8bi	
	ii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024 8bii	
Bala	ance LTCG on sale of foreign exchange asset where transfer was (8a - 8b)	B8c
	i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024	B8ci
	ii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024	B8cii
	before 25 July 2024 (i) after 25 July 2024 (ii)	
i		
	a Full value of consideration ia received/receivable in respect of unquoted shares	
	b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	
	of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	
ii	Full value of consideration in respect of aii	
iii		
Dedu	uctions under section 48	
i	Cost of acquisition with indexation for bi	
	E Bala  Ded  item  Lon  ion  ion  con  con  con  con  con  c	Balance(6aiii - biv)  Deduction under sections/54F (Specify details in least Declow)  Deduction under sections/54F (Specify details in least of NoN-RESIDENT (6c - 6d) (i) Where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 [applicable for 6(i) & 6(ii)] (iii) Where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 [applicable for 6(i) & 6(iii)] (iii) Where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 [applicable for 6(i) & 6(iii)] (iii) Where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 [applicable for 6(i) & 6(iii)] (iii) From sale of securities by FII as referred to in sec. 115AD  If IV FIV (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund into a business trust on which STI is paid under section 112A read with section 115AD  LTCG who II 24A (column 14(iii) of Schedule 115AD(1)(b)(iii)  I Sum of column 14 where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July  Doduction under section 54F (Specify details in item D  Deduction under section 54F (Specify details in item D  File Before 23 <sup>rd</sup> July 2024  Doduction under section 54F (Specify details in item D  i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024  To no a rafter 23 <sup>rd</sup> July 2024  Iii. On or after 23 <sup>rd</sup> July 2024  Iii. On or after 23 <sup>rd</sup> July 2024  Iii. On or after 23 <sup>rd</sup> July 2024  Bail  LENG on sale of foreign exchange asset to as per section 115F) where transfer was (computed without indexation)  i. Before 23 <sup>rd</sup> July 2024  Bail  Iii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024  Bail  Iii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024  Bail  Iii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024  Bail  Iii. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024  Bail  Balance LTCG on sale of foreign exchange asset where transfer was (8a – 8b)  I Before 23 <sup>rd</sup> July 2024  III. On or After 23 <sup>rd</sup> July 2024

				ii	Cost of impr for transfer without inde after 23 <sup>rd</sup> Ju	before 2 exation f	23 <sup>rd</sup> July	2024 and	bii								
			•	iii	Expenditure connection v	wholly		lusively in	biii								
			-	iv	Total (bi + b	ii +biii)			biv								
			С	Balan	ce (9aiii – biv	)			9с								
		•			ction under se below)	ctions 5	4F(Spec	ify details in	9d	i.		ii.					
			,	where	term Capital transfer was	(9c-9c)	n assets	at B9 above	B9e	i.		ii.					
					fore 23rd July n or after 23rd		024		B9ei B9eii								
		10	Amoui	nt dee	med to be lon	g-term (	capital g	ains									
			A	Whetl below	her any amou was deposited S	int of und in the	nutilized Capital	l capital gain Gains Accou	nts Scl	heme wi	ithin due d				ear shown		
				Yes;	No; Not app Previous year	licable.	(If yes,		the de	tails bel	ow)	Amoun	t not				
					in which asse transferred	et ,	which duction	er riew asse	t acqu	ii eu/coi	isti ucteu	used for asset	new		her date		
						clain	ned in th year	I I CVIOUS				remai unutiliz	nea od in V	vithd	itation / lrawal was		
							juu	which a acquir constru	ed/		Capital account	Capital accoun	gains	efor 2024	e 23 <sup>rd</sup> July		
				i 2	2021-22	54/54	F	Constru									
					2022-23	_	B/54F										
				iii <sub>2</sub>	2023-24	54/54	B/ 54F										
			В	Amou	nt deemed to	be long	-term ca	pital gains, o	ther th	ıan at 'a	a'. (i + ii)			b.			
				bi. Wl	here deemed o	capital g	gain aros	se before 23 <sup>rd</sup>	July 2	024				bi.			
					here deemed	-	_			•				bii.			
				i		ere dee	med cap	rm capital ga ital gain aros ital gain aros	se befo	re 23 <sup>rd</sup> J	July 2024				B10 B10i		
	-	11						Ü					POTE :		B10ii		
				+ <b>B1</b> 1	th Income/ Lo la2 + B11b)								PII)		B11		
					ass Through I argeable @ 1			the nature of	Long-	Term C	Capital Gai	n,	811 a1i				
					ass Through I argeable @ 1			the nature of	Long-	Term C	Capital Gai	n, B	11a1(ii	)			
					ass Through I argeable @ 1						Capital Gai	n, B	11 a2(I	)			
			•	a2 Pa	ass Through I argeable @ 1	ncome/	Loss in	the nature of			Capital Gai	n, B	11a2(ii	)			
			-	<sub>b</sub> Pa	ass Through I argeable @ 2	ncome/			Long-	Term C	Capital Gai	n, B	11b				
		12			LTCG includ	ed in B1	l- B11 b	ut claimed as	not ch	argeabl	le to tax or	chargea	ble at	speci	ial rates in		
				Amou	Item No. unt B1 to B11	Country	Article	Rate as per			Whether	Section	n Rate a		Applicable		
			Sl. No.	of incor	ne which	name & Code	of DTAA		eaty not char	geable)	TRC obtair (Y/N)	of I.T Act	I.T.	Act	rate [lower of (6) or (9)]		
			(1)	(2)	included (3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9	)	(10)		
			I														
			a	Tota	l amount of L	TCG cl	aimed a	s not chargea	ble to	tax as p	er DTAA	1	1			B12a	
Ì			b	Tota	l amount of L	TCG cl	aimed a	s chargeable	to tax	at specia	al rates as	per DTA	A			B12b	

[भाग ।।—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 51

	<b>B</b> ( <b>A</b> )	Lo	ng te	Loss on buy back of shares on or erm 12.5% or 10% for transactio claimed only if respective Dividen	ons covered u/s 115.	AD for I		B(A)	
				g term capital gain chargeable under + B11 - B12a+B(A))	<b>I.T. Act</b> (B1e+B2e+B	33ie+B3ii	e+B4c+B5c+B6e+B7c+B8c+	B13	
C1	Sum of	Cap	oital	Gain Incomes (11ii +11iii + 11iv +11v	v + 11vi + 11vii + 11vi	iii + 11ix	+11x of table E below)	C1	l
<b>C2</b>	Income	fro	m tra	ansfer of Virtual Digital Assets (Col.	7 of Schedule VDA)			C2	Ī
<b>C3</b>	Income	cha	rgea	ble under the head "CAPITAL GAI	NS" (C1 + C2)			СЗ	Г
D	Informa	atio	n abo	out deduction claimed against Capita	l Gains				
	1		case (	of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/11					
		a			Deduction claimed u/s 5	1			
				Date of transfer of original asset		ai	dd/mm/yyyy		
				Cost of new residential house		aii			
			iii	Date of purchase/construction of nev		aiii	dd/mm/yyyy	_	
			iv	Amount deposited in Capital Gains a before due date	Accounts Scheme	aiv			
				(iva) Date of deposit  dd/mm/yyyy	(ivb) Account num	ber	(ivc) IFS code		
			v	Amount of deduction claimed		av			
		b	_		eduction claimed u/s 5			-	
			i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy			
	ii Cost of new agricultural land bii								
			iii	Date of purchase of new agricultura	l land	biii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains a before due date	Accounts Scheme	biv			
				(iva) Date of deposit	(ivb) Account num	ber	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy		_			
		_	V	Amount of deduction claimed	4	bv			
		С	i	Date of transfer of original asset	duction claimed u/s 54	ci	dd/mm/yyyy	_	
			ii	Amount invested in specified/notified (Not exceeding fifty lakh rupees)	d bonds	cii	aca nana yyyy		
			iii	Date of investment		ciii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount of deduction claimed		civ			
		d			eduction claimed u/s 54		11/		
				Date of transfer of original asset  Cost of new residential house		di dii	dd/mm/yyyy	-	
				Date of purchase/construction of nev	v residential house	diii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains a before due date		div	aa nan yyyy		
				(iva) Date of deposit	(ivb) Account num	ber	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		dv			
		e		Deduction claime	ed u/s 115F (for Non-F	Resident I	ndians)		
			i	Date of transfer of original foreign e		e i	dd/mm/yyyy		
			ii	Amount invested in new specified as certificate	set or savings	e ii			
				Date of investment		e iii	dd/mm/yyyy		
		l-		Amount of deduction claimed		e iv		-	
		Ιf	Tota	I deduction claimed $(1a + 1b + 1c + 1)$	1d + 1e )	f			

S l.	Ca	pe of pital ain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is		Short te	rm capi	ital loss		Loi	ng term ca	apital los	S	y c g r in a
			positive)	15%	20%	30 %	applicable rate	DT AA rat es	10%	12.50 %	20%	DT AA rat es	(1
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
i	set of	to be f this only if uted e is	(A2ei*+	(A2 ei* + A3a i*+ A7a i*)	(A2eii* + A3aii*+A7a ii*+A(A))	(A4 e*+ A7b * + A(A ))	(A1e*+A3b *+A5e*+ A6* + A7c* + A(A))	A8 b	B3(ii) ei*+ B4ci* + B5cii* + B6ei* + B7ci* + B8ci* + B11a1 (i)*+ B11a2 (i)*+ B(A))	(B1gb *+ B3(i)ei i*+ B4cii*+ + B5ciii *+ B5ciii *+ B7cii* +B8cii *+ B9eii* + B10ii* + B11a1 (ii)*+ B11a2 (ii)*+ B(A))	(B1g a*+ (B3(i) ei*+ B2e* + B5ci* + B9ei* + B10i* + B11b *)	B1 2b	
ii		15%	A3ai* + A7ai*)										
ii i	Sho	20%	(A2eii* + A3aii*+A7 aii* + A(A))										
i v	rt ter m cap ital	30%	(A4e* + A7b* + A(A))										
v	gai n	appli cable rate	(A1e*+A3b *+ A5e*+A6* + A7c* + A(A))										

[भाग ॥—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 53

v		10%	$(B3(ii)e^{i}*+\ B4ci^*+\ B5cii^*+\ B6ei^*+\ B6eii^*+\ B7ci^*+\ B8ci^*+\ B11a1(i)^*+\ B11a2(i)^*+\ B(A))$					
v ii i	Lo ng ter m cap ital gai n	12.50 %	(B1gb*+B3 (i)eii*+ B3(ii)eii*+ B4cii*+ B5ciii*+ B7cii*+ B7cii*+ B8cii*+ B9eii*+ B10ii*+ B11a2(ii)* + B11a2(ii)*					
i x		20%  DTA A	(B1ga*+B2 e*+ B3(i)ei*+ B5ci*+ B9ei*+ B10i*+ B11b*)					
x i			off (ii + iii + ii + viii + ix +					
x ii	Loss off (i	– xi)	ng after set		, egress			

Note- The figures of STCG in this table (A1e\* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A7) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

Note- The figures of LTCG in this table (B1e\* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

F	Information abou	ut accrual/receipt of capital gain					
		Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
	1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 3iiia of schedule BFLA, if any.					
	2	Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 3iiib of schedule BFLA, if any.					
	3	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.					
	4	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.					
	5	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.					
	6	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 3viia of schedule BFLA, if any.					
	7	Long- term capital gains taxable at the rate of 12.5%  Enter value from item 3viib of schedule BFLA, if any.					
	8	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 3viii of schedule BFLA, if any.					

	9	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates  Enter value from item 3ix of schedule BFLA, if any.			
	10	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30%  Enter value from item 16 of schedule SI, if any			
NO	OTE ►	Please include the income of the Schedule SPI while computing the		child etc.) r	referred to in

	edule Fi	rom sale	of eq	uity sl	hare in	a con	ipany or u		uity-orien der sectio		d or uni	t of a bu	ısiness tr	ust on w	hich
SI. No	Share/ Unit Acquire d (On or before / after 31st Jan 2018)	Shar e/ Unit trans ferre d (Befo re/ on or After 23 <sup>rd</sup> July 2024	IS I N C o de	Na me of th e Sh ar e/ Un it	No. of Sh are s/ Un its	Sa le- pri ce pe r Sh ar e/ Un it	Full Value of Conside ration -If shares are acquired on or before 31.01.20 18 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31st January 2018 - Please enter Full Value of Consider ation	Cost of acqu isitio n with out inde xatio n High er of 8 and 9	Cost of acquis ition	If the long- term capit al asset was acqu ired befo re 01.0 2.20 18, - Low er of 6 and 11	Fair Mar ket Val ue per shar e/un it as on 31st Jan uary , 2018	Tot al Fair Mar ket Val ue of capi tal asse t as per secti on 55(2) (ac) -(4*1	Expe nditu re wholl y and exclu sively in conne ction with trans fer	Tota l dedu ction s (7+1 2)	Bal anc e (6- 13) Ite m 4 (a) of LT CG Sch edu le of ITR 2
(C ol 1)	(Col 1a)	(Col 1b)	( C ol 2)	(C ol 3)	(C ol 4)	(C ol 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Co 1 14)
1															
2															
3															
4															
		•					Ad	ld Rows		•	•			•	
(i) (ii) (iii)		al of Col befor of Col 1 or aft Total o	e 23 <sup>rd</sup> 4 who er 23 <sup>r</sup>	<sup>l</sup> July ere tra <sup>d</sup> July	2024 insfer v 2024		1								

	115AD(1 prov		]	For NO			ENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented t of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso								
								115	AD(1)(l						
SI. No.	Sha	Shar e/ Unit trans ferre d (Befo re/on or after 23rd July 2024)	ISI N Co de	Na me of th e Sh ar e/ Un it	No. of Sh are s/ Un its	Sa le- pri ce pe r Sh ar e/ Un it	Full Value of Consi derati on -If shares are acquire d on or before 31.01.2 018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are Acquire d after 31st January 2018 - Please enter Full					Tot al Fair Mar ket Val ue of capi tal asse t as per secti on 55(2)(ac) - (4*1	Expe nditu re wholl y and exclu sively in conne ction with trans fer	Tota l dedu ction s (7+1 2)	Bal anc e (6- 13) Ite m 7 (a) of LT CG Sch edu le of ITR 2
(Co. 1)  1 2	l (Col 1a)	(Col 1b)	(Co 12)	(C ol 3)	(C ol 4)	(C ol 5)	Value of Consid eration (Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
3															
4															
(i) (ii) (ii)	Total of	of Col 1 before Col 14 w after 2 otal of LT 115AD(1	23 <sup>rd</sup> Ju There to 23 <sup>rd</sup> Jul FCG u/	ly 202 ansfer y 2024 s 112 <i>A</i>	4 r was o l A rws			Add Ro	ows						

Schedule VDA	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)										
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Capital Gain)	Cost of Acquisition  (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)					
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)					

Add Rows					
	Total (Sum of all Pos	itive Incomes o	f Capital Gain in C	ol. 7)	(Item No. C2 of
			_		Schedule CG)

Sche	chedule OS Income from Other Sources				<u> </u>				
	1	Gr	oss ir	ncome chargeable to tax at normal applica	able rates	(1a+ 1b+ 1c-	+ 1d + 1e)	1	
		a		Dividends, Gross (ai+	aii+aiii)			1a	
			i	Dividend income other than (ii) and (iii)	ai				
			ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii				
			iii	Dividend income u/s 2(22)(f) aiii					
		b		Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+ bv	+ bvi + b	vii + bviii + l	oix)	1b	
			i	From Savings Bank	bi				
			ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Cooperative) Society/)	bii				
			iii	From Income-tax Refund	biii				
			iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv				
			v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv				
CES			vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(11)	bvi				
OTHER SOURCES			vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii				
OTE			viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii				
			ix	Others	bix				
		c		Rental income from machinery, plant	s, buildin	gs, etc., Gros	SS	1c	
		d	Income of the nature referred to in section $56(2)(x)$ which is chargeable to tax $(di+dii+div+dv)$						
			i	Aggregate value of sum of money rec without consideration	eived	di			
			ii	In case immovable property is received consideration, stamp duty value of pro		dii			
			iii	In case immovable property is received inadequate consideration stamp duty with property in excess of such considerations.	alue of	diii			
			iv	In case any other property is received v consideration, fair market value of pr		div			
			v	In case any other property is receive inadequate consideration, fair market property in excess of such considera	value of	dv			
		e Any other income (please specify nature)						1e	

	Sl. No.			I	Nature					Amount	
	1			Fam	ily Pension						
	2	Inco			count maintained in y from drop down i			ıntry u/s			
	3	Inco	ome from retireme		ount maintained in ountry u/s 89A"	a co	untry "ot	her than			
	4	Inco	ome taxable during		year on which relicier previous year.	ef u/s	89A was	claimed			
	5	Any			it holder from a bus red to in section 56(			ring the			
	Any sum received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)										
	Rows can be added as required										
2	Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)						2				
	ai	Wini	nings from lotterie		puzzles, races, card s 115BB	gam	es etc. cl	ıargeable	2ai		
	aii Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ  b Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)							2aii			
								2b			
	i Cash credits u/s 68 bi										
	ii Unexplained investments u/s 69 bii										
		iii	Unexpla	ined money e	tc. u/s 69A	biii					
		iv	Undisclose	d investments	s etc. u/s 69B	biv					
		v	Unexplaine	d expenditur	e etc. u/s 69C	bv					
		vi	Amount borrov	ved or repaid	on hundi u/s 69D	bvi					
	с		Accumulated bal	ance of recog	nised provident fun	d tax	kable u/s	111	2c		
		S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax	ben	efit				
		(i)	(ii)	(iii)		(iv)					
	d		Any other inco	me chargeab	le at special rate (to	tal o	f di to dxx	)	20	d	
		i	company) or	foreign comp	-resident (not being pany chargeable u/s proviso to section ((A)		di				
		ia	company) or f International Fin in sub-section (14	oreign compa ancial Service	resident (not being my from a unit in an es Centre, as referred to dia total color, chargeable under						
	ii Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s dii 115A(1)(a)(ii)										
		iii		ed from Infra geable u/s 115	structure Debt Fun A(1)(a)(iia)	ıd	diii				

iv Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%  v Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)  vi Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)  Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)  lincome from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern-chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)  Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA  Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds wiii or Government securities referred to in section 194LD achargeable as per proviso to section 115ABC)  Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BAC  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC dxv  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4%	
vi Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)  Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)  Income from royalty or fees for technical services viii received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)  Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115AC  Income (other than dividend) received by an FII in xii respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBC  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC  dvii Interest referred to in Proviso to section 194LD(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dvvii Interest Proviso In	
Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)  Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)  Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA  Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds wiii or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBC  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC davi	
vii specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)  Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)  Income by way of interest on bonds purchased in ix foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA  Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds xiii or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBC  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC  dvii	
viii received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)  Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA  Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBC dxv  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dxvii  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dxvii	
ix foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA  Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBC  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC dxv  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dxvii	
Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s  Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s  115ACA  Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC dxv  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dxvi	
xi   foreign currency by residents - chargeable u/s   115ACA     Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)     Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)     xiv   Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA     xv   Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC   dxv     Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dxvi	
xii respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)  Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC dxv  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - dxvii	
xiii or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)  xiv Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC dxv  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) -	
xiv associations chargeable u/s 115BBA  xv Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC dxv  Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) -	
Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) -	
xvii Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	
xviii Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG dxviii	
xix Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	
Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	
Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)	2e
f Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)	2f
Sl. No. of which income Sl. No. of income Sl. No. of which included Sl. No. of income Sl. No. of which included Sl. No. of income Sl. No. of which included Sl. No. of income Sl. No. of included Sl. No. of i	
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)	

		II																
3	De	duc	tions ui	nder sect	ior	57 (other tha	n th	iose		ating to in & 2d)	come	chargea	ble	e at speci	al rates	under 2a, 2b		
	ai	E	xpense			ons other than		ii"(			3ai							
	aii	In	iterest ex	xpenditur	e o	n dividend u/s	7(i)			ole only if	3aii						_	
	aiia	El	igible In			red in 1a(i) and diture u/s 57(1)				d Amount	3aiia							
	aiii					a) (in case of f					3aiii						_	
	b	D	eprecia	ntion (ava		uble only if inc Schedule OS)	оте	e ofj	ferea	l in 1c of	3b							
	с					Total					3c							
4		Amounts not deductib				ole u/s 58					4							
5		Profits chargeable to t					ax u/s	59					5					
5a		Income claimed for relief from					lief from	taxat	ion u/s 8	<b>89</b> A	4			5a				
6						er sources chartion) -3 + 4											6	
7	In	con	ne from	other so	ur	ces (other tha	n fı	rom	ı ow	ning race	ce horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)						7	
8		Income from the activity of owning							vning and	mair	ntaining	ra	ce horse	s				
	a	F						8a										
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b											
	с		An	nounts no	ot (	deductible u/s	58			8c								
	d		Pro	ofits char	ge	able to tax u/s	59			8d								
	e			Balance	(8	a - 8b + 8c + 3	8d)	(if	nega	tive take	he fig	gure to 6.	xii	of Sched	ule CFI	L)	8e	
9			Incor	ne under	th	e head "Inco	me i	fro	m O	ther Sou	rces" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)					9		
10				Info	rn	ation about a	ccr	ual	/rec	eipt of in	ncome from Other Sources							
	S.N	No.		r Source come		Upto 15/6	F	ror	n 16	/6 to 15/9		m 16/9 t 15/12	to	From 16 15/		From 16/3 to 31/3		
						(i)			(i	ii)		(iii)		(iv	•)	(v)		
	1	L	winni lotteries puzzl games, betting e to in	e by way orngs from the crossword of the	d,													
	2	2	winni online	e by way o ngs from games u/s 5BBJ														
	3	a	referre	nd Income d in Sl. No la(i)														
	3	b	referre	nd Income d in Sl. No a(iii)														

4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						
7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
8	Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
9	Dividend income chargeable at DTAA Rates						
10	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s 89A)						
	5 6 7 8 8	other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income chargeable at DTAA Rates  Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s	other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income u/s 115AC @ 10%  Dividend Income u/s 115AC (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income chargeable at DTAA Rates  Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s	other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income u/s 115AC @ 10%  Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income chargeable at DTAA Rates  Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s	other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income u/s 115AC @ 10%  Dividend Income u/s 115AC A(1)(a) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income chargeable at DTAA Rates  Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s	other than as per proviso to see 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income u/s 115AC @ 10%  Dividend Income u/s 115AC & 10%  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income chargeable at DTAA Rates  Income from refirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s	other than as per provise to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income under provise to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)  Dividend Income u/s 115AC @ 10%  Dividend Income u/s 115AC & 10%  Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend Income of Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)  Dividend income chargeable at DTAA Rates  Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s

*NOTE* ▶

 $Please\ include\ the\ income\ of\ the\ specified\ persons\ (spouse,\ minor\ child\ etc.)\ referred\ to\ in\ Schedule\ SPI\ while\ computing\ the\ income\ under\ this\ head.$ 

Sched	ule CY	TLA Details of Income after Set off o	f Current Year Loss	es		
T	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
MEN			1	2	3	4=1-2-3
YEAR LOSS ADJUSTMENT	I	Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)		(3 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
RLO	Ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
r ye	Iii	House property	(3 of Schedule HP)			
CURRENT	Iva	Short-term capital gain taxable @ 15%	(11ii of item E of Schedule CG)			
Ü	Ivb	Short-term capital gain taxable @ 20%	(11iii of item E of Schedule CG)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(11iv of item E of Schedule CG)			

vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(11v of item E of Schedule CG)		
vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(11vi of item E of Schedule CG)		
viiia	Long term capital gain taxable @ 10%	(11vii of item E of Schedule CG)		
Viiib	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(11viii of item E of Schedule CG)		
ix	Long term capital gain taxable @ 20%	(11ix of item E of Schedule CG)		
x	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(11x of item E of Schedule CG)		
xi	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)		
xii	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)		
xiii	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)		
xiv	Total loss set off (ii + iii + iva + ivb + viiib + ix + x + xi + xii + xiii)	v + vi + vii + viiia +		
xv	Loss remaining after set-off (i – xiv)			

	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3
	i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)		
	ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
IMENT	iiia	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iva of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
ADJUST	iiib	Short-term capital gain taxable @ 20%	(4ivb of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
SSOT CI	iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
OUGHT I	vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
BRC	viia	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viiia of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viib	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(4viiib of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viii	Long term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(4xi of schedule CYLA)		

		Profit from owning and maintaining race horses	, ,	(B/f loss from horse races)					
	xii	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA							
	xiii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iiia + 2iiib + 2iv + 2v + 2vi + 2viia + 2viib + 2viii + 2ix + 2xi+2xii)							
]	xiv	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iiia + 3iiib + 3iv + 3v + 3vi + 3viia + 3viib + 3viii+ 3ix + 3x + 3xi+3xii)							

		<b>A</b>	D. A. CETT	TT	CI	T	T
		Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
SSO		1	2	3	4	5	6
)F L							
CARRY FORWARD OF LOSS	i	2017-18					
WA]	ii	2018-19					
FOR	iii	2019-20					
RY	iv	2020-21					
CAR	v	2021-22					
	vi	2022-23					
	vii	2023-24					
	viii	2024-25					
	ix	Total of earlier year losses					
	x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)			(2xi of Schedule BFLA)
	xi	2025-26 (Current year losses)		(2xv of Schedule CYLA)	(2xii+3xii+4xii+5xii+6xii) of item E of Schedule CG	(7xii+8xii+9xii+10xii) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if –ve)
	xii	Total loss carried forward to future years					

Sche	dule	e VI-A	Deductions under (	Chapter V	<b>I</b> -2	A	
	1	Part B- Deduc	tion in respect of ce	rtain payı	me	nts	
NOIS		in the drop o	are to be filled lown to be e-filing utility)	,	b	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
TOTAL DEDUCTIONS	с		etails are to be lrop down to in e-filing		d	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
TO	e		etails are to be lrop down to in e-filing	:	f	<b>80D</b> (Details are to be filled in the drop down to be provided in efiling utility)	

g	80DD	h	<b>80DDB</b> (Details are to be filled in the drop down to be provided in efiling utility)		
i	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	j	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
k	80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	1	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
m	80G	n	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
0	80GGA	р	80GGC		
2	Part C, CA and D- Deduction in resp	ect of ce	rtain incomes/other deduction		
q	80QQB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	r	80RRB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
s	80TTA	t	80TTB		
u	80U	ua	80ССН		
ub	Any other deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)				
	Total deductions under Chapter VI-	\ (Total	of a to ub)	v	

Sch	edul	e 80G		Details of donations entitled	for deductio	n under sec	tion 80G			
	A	Dona quali	ntions enti ifying limi	tled for 100% deduction with t	out					
		Nam	e and add	ress of Donee		PAN of Donee	Amo	ount of donat	ion	Eligible Amount of donation
							Donation in cash	Donation in other mode		
		i								
		ii								
SN		iii	Total							
ATIO	В	Dona limit		tled for 50% deduction withou	ut qualifying					
OF DONATIONS		Nam	e and add	ress of Donee		PAN of Donee	Amo	ount of donat	ion	Eligible Amount of donation
SOF							Donation in cash	Donation in other mode		
DETAILS		i								
DET		ii								
		iii	Total							
	C		ntions en ifying limi	titled for 100% deduction t	subject to					
		Nam	e and add	ress of Donee		PAN of Donee	Amo	ount of donat	ion	Eligible Amount of donation
							Donation in cash	Donation in other mode		
		i								

	ii iii	Total						
	Dona	ntions entitled for 50% deduction subject to  Ifying limit						
	Nam	e and address of Donee	PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amo	unt of donat	ion	Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode		
	i							
	ii							
	iii	Total						
E	Tota	l donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)		•			•	

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of Donee	PAN of Donee	A.	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

S. No.	Date		Amount of contr	ibution	Eligible amount of contribution	Transaction Reference number	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution		for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	
i							
	(add rows)						
	Total contribution						

Sch	edule 80DD	Details of de with disabil		spect of maint	enance incl	uding medica	al treatment of a	dependent who	is a person
Nat	ture of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)	UDID Number (If available)	Amount
2.	Dependent person with disability Dependent person with severe disability	1. Spouse 2. Son 3. Daughter 4. Father 5. Mother 6. Brother 7. Sister							
		8. Member of the HUF (in							

case of				
HUF)				

Sch	edule 80U	Details of deducti	on in case of a per	son with disability		
Nat	ture of disability	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)	UDID Number (If available)	Amount
1. 2.	Self with disability Self with					
	severe disability					

Sche AM'	edule T	Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC		
	1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI	1	
	2	Adjustment as per section 115JC(2)		
		Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A 2a under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"		
	3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)	3	
	4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)	4	

1	Tax	under section 115JC	in assessment year 2025-2	6 (1d of Part-B-	TTI)	1	
2	Tax	under other provision	ns of the Act in assessmen	t year 2025-26 (7	of Part-B-TTI)	2	
3		ount of tax against werwise enter 0]	hich credit is available [	enter (2 – 1) if 2	is greater than 1,	3	
4	Util	ization of AMT cred	it Available (Sum of AM cannot exceed the sum of			nt year is subject	to maximum of an
	S. No.	Assessment Year (A)	A	AMT Credit	AMT Credit Utilized during	Balance AMT Cre Carried Forward	
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	the Current Assessment Year (C)	( <b>D</b> )= ( <b>B3</b> ) –( <b>C</b> )
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	2018-19					
	vii	2019-20					
	viii	2020-21					
	ix	2021-22					
	x	2022-23					
	xi	2023-24					
	xii	2024-25					
	XIII	Current AY (enter 1- 2, if 1>2 else enter 0)					
		Total					
	Am (C)]		ler section 115JD utilized	during the year [	total of item No. 4	5	

Sche	edule S	Income of specif	ied p	erso	ns (	spo	use,	mir	or	chilo	l etc	.) ir	cludable in income of th	ie assessee as per s	ection 64
	Sl No	Name of person		PA	N/			r No		f per	son		Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
	1														

	2							
	3							

	Sch	edule SI						
	Sl. No		Section		Ø	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111- Accumula	ated balance of recognized provider	nt for prior years	0		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
	2a		on 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STd) [where transfer was before 23rd			15	(part of 3iiia of Schedule BFLA)	
	2b		on 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (ST d) [ where transfer was on or after		_	20	(part of 3iiib of Schedule BFLA)	
	3	115AD (STCG	for FIIs on securities where STT n	not paid)		30	(3iv of Schedule BFLA)	
	4a	transfer was b	(1) (LTCG on listed securities/ unit efore 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applicable a ount Sl. no. B3(i)(h) of Schedule Co	nd tax thereon after	0	20 (as reduced by B3(i)(h) of Schedule CG, if any)	(part of 3viii of Schedule BFLA)	
	4b	112(1) (LTCG 23 <sup>rd</sup> July 2024	on listed securities/ units) [where to as applicable]	ransfer was on or after		12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
RATE	5a		TCG for non-resident on unlisted ares) [where transfer was before 23		0	10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
SPECIAL RATE	5b		TCG for non-resident on unlisted n or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applical		_	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
SF	6a	115AC (LTCC before 23 <sup>rd</sup> Jul	for non-resident on bonds/GDR) [ y 2024 as applicable]	where transfer was	_	10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
	6b		for non-resident on bonds/GDR) [ 2024 as applicable]	where transfer was on or	_	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
	7a		G for an employee of specified conefore 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applicable]	npany on GDR) [where		10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
	7b	115ACA (LTC transfer was o	G for an employee of specified com n or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applical	npany on GDR) [where ble]	_	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
	8	115AD (LTCG	for FIIs on securities)			10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
	9a		or non-resident Indian on foreign e efore 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applicable]	exchange asset) [where		10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
	9b		or non-resident Indian on foreign e n or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applical		0	12.5	(part of 3viiba of Schedule BFLA)	
	10a	112 (LTCG on applicable]	others) [where transfer / event was	s before 23 <sup>rd</sup> July 2024 as		20	(part of 3viii of Schedule BFLA)	
	10b	112 (LTCG on 2024 as applica B1eii of Sched	others) [where transfer / event was able] and tax thereon after taking in the CG, if any.	s on or after 23 <sup>rd</sup> July nto account Sl. no. Σ	0	12.5 (as reduced by B1eii of Schedule CG, if any)	(part of 3viib of Schedule BFLA)	

1	a 112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) [where transfer was before 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applicable]		10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
1	b 112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) [where transfer was on or after 23 <sup>rd</sup> July 2024 as applicable]	_	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
1	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of Schedule BFLA)	
1	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3ix of schedule BFLA)	
1	a 115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	0	30	(part of 2a(i) of Schedule OS)	
1	b 115BBJ (Winnings from online games)		30	(2aii of Schedule OS)	
1	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)		60	(2b of Schedule OS)	
1	115BBH (Income from transfer of Virtual Digital Asset)		30	(C2 of Schedule CG)	
1	115BBF (Tax on income from patent)	0	10	(part of 2d of Schedule OS)	
1	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)		10	(part of 2d of Schedule OS)	
1	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)			(part of 2d of Schedule OS)	
2	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	_		(part of 3xii of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%		15	(part of 3iiia of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%		20	(part of 3iiib of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%		30	(part of 3iv of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A		10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A		12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%- under sections other than u/s 112A		10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A		12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
2	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%		20	(part of 3viii of Schedule BFLA)	
2	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)			(2e of Schedule OS)	
			Total		

Sch	edul	e EI	Details of Exempt Income (Income not to be included in	n To	tal Income or n	ot cha	argeable to tax)
Ε'n	1	Inte	rest income			1	
EXEMP	2		Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i			
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii			

	iii	Una	absorbe	ed agricul	tural loss of pr	evious eight ass	essment years i	ii			
	iv	Net	Agricu	ıltural inc	ome for the ye	ear (i – ii – iii) (ei	nter nil if loss)			2	
	v	In o	ase the	net agric ng details	ultural income (Fill up details	e for the year executes separately for ea	ceeds Rs.5 lakh, ach agricultural	plo lan	ease furnish		
		a	Name	of district	along with pi	n code in which	agricultural lan	d i	s located		
		b	Measu	rement of	f agricultural l	and in Acre					
		с	Wheth provide	_	ricultural land	is owned or hel	d on lease (drop	do	wn to be		
		d	Wheth provide	_	ricultural land	is irrigated or r	ain-fed (drop do	own	ı to be		
3	Oth	er e	xempt i	income (iı	ncluding exem	pt income of mi	nor child)			3	
4	Inc	ome	claime	d as not c	hargeable to ta	ax as per DTAA					
	Sl. No		nount of ncome	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	:	Whether TRC obtained (Y/N)		
	Ι										
	II	То	tal Inc	ome from	DTAA claime	d as not chargea	able to tax			4	
5						argeable to tax				5	
_	1		+2+3+4			<i>G</i>	,			6	

Sche	edule I Sl.	Investment		PAN of the	ails fro		siness trust or investm Head of income	Current	Share of	Net	TDS on
		entity covered by section 115U/ 115UA/ 115UB	Name of business trust/ investment fund	business trust/ investment fund				year income	current year loss distributed by Investment fund	Income/ Loss (7-8)	such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(Dropdown			I	Hou	se property				
		to be			ii		ital Gains			<u> </u>	<u> </u>
		provided)				a	Short term				
						ai	Section 111A				
						aii	Others				
						b	Long term				
						bi	Section 112A				
$\Xi$						bii	Other than				
O							Section 112A				
Ş					iii	Othe	er Sources				
Ē						A	Dividend				
E						В	Others				
PASS THROUGH INCOME					iv		me claimed to be exer	npt		1	1
Ĭ						a	u/s 10(23FBB)				
T						b	u/s				
SS	2.				т	C	u/s				
PA	2.				I ii		se property ital Gains				
					-11	a	Short term		1		
						ai	Section 111A				
						aii					
						b	Others Long term				
						Bi					
						Bii	Section 112A				
						ВП	Other than				
					L	0.4	Section 112A				
					iii		er Sources				
							Dividend				
					<b>-</b>	В	Others	4			
					iv		me claimed to be exer	npt			I
						a	u/s 10(23FBB)				
						b	u/s				
NOT	$^{\circ}E$	Dlooge wefer.	to the instruct	ons for filling ou	t thin	c	u/s				
NO1 ▶	L	r iease reier i	o me mstrucu	ons for minig ou	t uns s	schedu	ne.				

	Code (dropdown to be provided in the e-filing	Identification Number	SI.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevan article o DTAA ii relief claimed u 90 or 90
	utility)			(a)	<b>(b)</b>	(c)	( <b>d</b> )	(e)	<b>(f)</b>
1			i	Salary					
				House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
2			i	Salary					
				House Property					
				Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					

Sch	edul	e TR Summary	of tax relief cla	imed for taxes	paid outside India (	available only in case of re	siden	t)
	1	Summary of Tax relief cla	aimed					
		Country Code	Taxpayer Identification Number	(total of (c) o	paid outside India of Schedule FSI in each country)	Total tax relief availab (total of (e) of Schedule F respect of each country	SI in	Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)		(c)	(d)		(e)
			T					
			Total					
	7.	Total Tax relief available total of $1(d)$ )	in respect of co	ountry where D	TAA is applicable (	(section 90/90A) (Part of	2	
		Total Tax relief available total of $I(d)$ )	in respect of co	ountry where D	TAA is not applica	ble (section 91) (Part of	3	
		Whether any tax paid out refunded/credited by the					4	Yes/No
		a Amount of tax refund	led		b Assessment year	ar in which tax relief allow	ed in	India
	NOT	Please refer to the	instructions for	r filling out this	schedule.			

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

A Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2024

SI N o	Count ry name	Country code	Name o financia instituti on	l financi	ial	IP code		count mber	Sta	atus	Acco oper da	ning l	Peak palance during the period	Closin	e paid the du	ss interest /credited to e account uring the period
(1	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(	(8)	(9	))	(10)	(11)		(12)
(i)																
(ii																
		of Foreign Cust	odial Acc	ounts held	(includir	ng any be	nefici	ial inte	rest) a	at any t	ime o	luring	the cale	ndar yea	r ending	g as on 31st
Sl		oer, 2024 Country code	Name of	Address	ZIP	Account	Sta	tus A	ccour	nt Pe	eak	Closi	Gros	ss amou	nt paid/c	redited to
N o	ry name	•	financial	of n financia		number		o	penin date	_	ance ring	ng balar				<b>he period</b> <i>d specifying</i>
	name		msutuuo	l instituti on					unic	tl	he riod	ce	interes	nature st/dividend nption of j	of amount l/proceeds	
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8	3)	(9)	(1	10)	(11)			(12)	
(i)																
(ii																
A		of Foreign Equi			held (in	cluding a	ny be	neficia	l inte	rest) in	any o	entity a	t any ti	ne durii	ng the cal	lendar year
3 Sl	ending a	as on 31st Decen		e Address	ZIP	Nature	Date	e of	Initial	l Pe	eak	Closi	Tota	al gross	Tot	al gross
N o	y name		of entit	of entity	code	of entity	acqu ng t		alue o		ue of estme		an	iount credited		eeds from ale or
			Chin	<b>y</b>			_	rest in		ne dui	nt ring he riod	value	with r the l dur	espect to holding ing the eriod	redei inv	mption of estment the period
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8	3)	(9)	(1	10)	(11)	(	(12)		(13)
(i)																
(ii																
		of Foreign Cash				r Annuity	y Con	tract h	eld (i	ncludin	g any	y benef	icial inte	erest) at	any time	during the
Sl	Countr	r year ending a Country cod	e N	ame of		s ZIP co	ode	Date o	of con	tract	The	cash v	alue or		al gross :	
N o	y name			nancial tution in	of financi	a						ender v ne cont	alue of	-		ith respect during the
			which	insurance	1										perio	
			Cont	ract held	institut on	.1										
(1	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)	
) (i)							-									
(ii																
) <b>B</b>		of Financial Inte	erest in an	y Entity he	eld (inclu	ding any	bene	eficial i	nteres	st) at ar	ny tin	ne duri	ng the c	alendar	year end	ling as on
Sl	31st Deco Country	ember, 2024 ZIP Code	Nature	Name and	d N	ature of	I	Date sir	ıce	Total	I	ncome	Natur	Income	taxable :	and offered
N o	Name and		of entity	Address of the Entity		nterest- t/ Benefic	rial	held		vestme (t cost) (		ccrued from	e of	i Amou	n this re	1
U	code		Chity	the Entity	´	owner/			,	rupees)	)	such	e	nt	e where	number of
					Ве	eneficiary					11	nterest			offered	schedule
(1)	(2)	2a	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	1	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i) (ii		_							+		+					
)											$\perp$			<u> </u>		
		of Immovable P er, 2024	roperty h	eld (includi	ng any b	eneficial	inter	rest) at	any ti	ime duı	ring t	he cale	endar ye	ar endir	g as on 3	31 <sup>st</sup>
		ZIP Cod	le	O	wnershij	p-			otal stmen		ome ived		Inc		able and is return	offered in

SI N o	Country Name and code			Addr of the Prope	ne B	Direct/ eneficial owner/ eneficiary	Date acqui	isitio 1	(at cost) (i rupees)		rom the property	Natur of Incom	ie ie	moun t	Schedu where offere	nu	Item umber of chedule
(1)	(2)		2a	(3)	)	<b>(4)</b>	(5	5)	(6)		<b>(7)</b>	(8)		(9)	(10)		(11)
(i)																	
(ii																	
)			~ .				<u> </u>			L		L					
	Details of December		ier Capita	al Asset	held (inc	cluding ar	y benef	ficial	interest) a	t any	time du	iring t	he ca	ilendar	year en	ding as	s on 31st
	Country			Nature		nership-	Date		Total		Income		e I	ncome	taxable		ered in
N o	Name and code	ZIP	Code	Asse		Direct/ eneficial	acquisi	ition	Investmen cost) (in	,	derived from	of Incom			this re Schedu		T4
U	and code				_	wner/			rupees		the	incon	ie Ai	t	where		Item mber of
						neficiary			rupees	,	asset			•	offere		chedule
(1)	(2)		2b	(3)		(4)	(5)	1	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)
(i)				(-/			(= /		(-/			(-/					
(ii																	
)									<u> </u>								
									uding any l			rest) a	t any	time d	uring th	e calen	dar year
_									in A to D a			TC /=	· •	TC (7)	• • • •		. 66 1
SI N	Name of the	Address of the	Count	ZIP Code		of the t holder	Accou nt		Peak lance/		ether come	If (7		II (7)		ncome return	offered
0	Instituti			Couc	accoun	t Holdel	Numb				ued is	Inco			III tills	return	•
	on in	on	and				er	dur	ing the	taxa	ble in	accru	ed in				
	which		Code							our l	hands?	the					
	the							ru	pees)			acco	unt				
	account is held																
	15 Helu													Amoi	Sched	ule	Item
														nt	whe		mber of
															offer	ed so	chedule
(1	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(	4)	(5)		(6)		<b>(7)</b>	(8	3)	(9)	(10	)	(11)
)	. ,	(-)	()	()													
(i) (ii																	
(II																	
F	Details of	trusts, c	reated un	der the l	aws of a	country o	utside I	ndia,	in which y	ou ar	e a trust	ee, ben	efici	ary or s	ettlor		
Sl	Countr		Code	Nam	e and	Name	Name		Name and	Da	te Who				) is yes,		offered
N	y Name				ss of the	and	addres		address of				yes,			s retur	
0	and			tr	ust	address of	Settl	or	Beneficiar				ncom		nount	Sched	
	code					trustees			ies	n h	ieia aeri		erive om t			ule where	numb er of
						trustees					taxa		trust			offered	
											in y		us.			onerec	ule
											han	ds?					
(1	(2)	(2	2a)	(	3)	(4)	(5)	)	(6)	(7	7) (8	3)	<b>(9</b> )	(	(10)	(11)	(12)
(i)				-						-	_						-
(ii				+													1
()																	
G	Details of	f any oth	er incom	e derived	l from a	ny source	outside	India	a which is 1	not in	ıcluded i	n,- (i)	items	A to F	above a	and, (ii)	) income
G	under the																
														If (6) is			fered in
Sl	<b>C</b>	NT			Name :	and addre	ss of the	e			Nature	Whet			this r	eturn	
N	Country and co		ZIP Co	ode		son from v			Income der	ived	of	taxal in yo		Amoun	t Sched	lule	Item
1 ~ '	anu C	Jue				derived					income	hand	uı	~	whe		ımber of
0															offer	ed s	chedule
0						(2)			(4)		(5)	(0)		(=)	(0)		(9)
(1	(2)		(2b)			(3)			(4)		(5)	(6)	' J	<b>(7</b> )	(8)	)	(2)
	(2)		(2b)			(3)			(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	)	(9)
(1	(2)		(2b)			(3)			(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)
(1	(2)		(2b)			(3)			(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)

Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a NOTE business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Sch	edule 5A	Informati	ion regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code
္ပ	Name of the spouse	e	
S 7	PAN/ Aadhaar No.	. of the	

		Heads of Income	Receipts under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
_		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	House Property				
	2	Capital gains				
	3	Other sources				
	4	Total				

Sch	edule	AL Assets and Liabilities at the	e end of the year (applicabl	e in a case where total in	ncome exceeds Rs. 1 Crore.)								
	A	Details of immovable assets											
	Sl.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.								
S	No.												
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								
	(i)												
LIABILITIE	(ii)												
77		Details of movable assets											
	Sl.	. Description Amount (cost) in Rs.											
AND	No.												
	<b>(1)</b>		(2)		(3)								
SSETS		Jewellery, bullion etc.											
	_ ` _	Archaeological collections, dra	<u> </u>	r any work of art									
Æ		Vehicles, yachts, boats and air	erafts										
OF	(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.								
LS		(a) Bank (including all deposit	ts)										
АП		(b) Shares and securities											
DET		(c) Insurance policies											
D		(d) Loans and advances given	<u> </u>										
		(e) Cash in hand											
	C	Liabilities in relation to Assets	at (A + B)										
N	OTE	Please refer to instruction	s for filling out this schedule	e <b>.</b>									

Schedule: Tax deferred on ESOP Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC

PAN of the employer being an eligible startup

DPIIT registration number of the employer

	Sl.	Assessment	Amount of	Has any of the fo		Balance		
	No.	Year	Tax	previous year r		amount of		
			deferred	Such specified	Ceased to	Forty-eight months	Amount of	tax
			brought	security or sweat	be the	have expired from the	tax payable	deferred to
			forward	equity shares	employee	end of the relevant	in the	be carried
				were sold	of the	assessment year in	current	forward to
				(i)Fully	employer	which specified	Assessment	the next
				(ii)Partly	who	security or sweat	Year	Assessment
				(iii)Not sold	allotted or	equity shares referred		years
					transferred	to in the said *clause	(to be	
DETAILS				Specify the date	such	were allotted. If yes,	populated	Col (3- 7)
Į.				and amount of	specified	specify date	from col. 3	
豆				tax attributed to	security or		or 4 as the	
D				such sale out of	sweat		case	
				Col 3	equity		maybe)	
					share?			
				(Details to be	o Yes o			
				provided as per	No			
				utility)				
					If yes,			
					specify			
					date			
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	2021-22	Sl. No. 8		(To be enabled from	
		of		AY 2026-27)	
		Schedule		(Payment to be made	
		ESOP for		in FY 2025-26)	
		last year			
2	2022-23	Sl. No. 8			
		of			
		Schedule			
		ESOP for			
		last year			
3	2023-24	Sl. No. 8			
		of			
		Schedule			
		ESOP for			
		last year			
4	2024-25	Sl. No. 8			
		of			
		Schedule			
		ESOP for			
		last year			
5	2025-26	Sl. No. 8			
		of			
		Schedule			
		ESOP for			
		last year			

# PART-B

Part	В –	TI		Computation of total income			
	1	Sala	arie	rs (6 of Schedule S)		1	
	2	Inc	ome	e from house property (3 of Schedule HP) (enter nil if loss)		2	
	3	Сар	oita	l gains			
		a S	hor	t term			
			ia	Short-term chargeable @ 15% (11ii of item E of schedule CG)	ai		
			ib	Short-term chargeable @ 20% (11iii of item E of schedule CG)			
			ii	Short-term chargeable @ 30% (11iv of item E of schedule CG)	aii		
			111	<b>Short-term chargeable at applicable rate</b> (11 <i>v of item E of schedule CG</i> )	aiii		
TOTAL INCOME			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11vi of item E of Schedule CG)	aiv		
T INC			v	Total Short-term (aia + aib + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av		
TOTA		bL	ong	g-term			
			ia	Long-term chargeable @ 10% (11vii of item E of schedule CG)	bi		
			ib	Long-term chargeable @ 12.5% ( 11viii of item E of schedule CG)			
				Long-term chargeable @ 20% (11ix of item E of schedule CG)	bii		
			iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11x of item E of schedule CG)	biii		
			iv	Total Long-term (bia + bib + bii + biii) (enter nil if loss)	3biv		
		c S	um	$\textbf{of Short-term/Long-term capital gains} \hspace{0.2cm} \textbf{(3av+3biv)} \hspace{0.2cm} \textit{(enter nil if loss)} \\$		3c	
		d C	api	tal gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)		3d	

	e Total capital gains (3c + 3d)	3e
4	Income from other sources	
	a Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)  4a	
	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)  4b	
	c Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	
	d Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)	4d
5	Total of head wise income (1+2+3e+4d)	5
6	Losses of current year set off against 5 (total of 2xiv and 3xiv of Schedule CYLA)	6
7	Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA+ 2 of Schedule OS)	7
8	Brought forward losses set off against 7 ( 2xiii of Schedule BFLA)	8
9	Gross Total income (7-8) (3xiv of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)	9
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10
11	Deductions under Chapter VI-A [w of Schedule VIA and limited to (9-10)]	11
12	Total income (9 - 11)	12
13	Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)	13
14	Net agricultural income/ any other income for rate purpose ( 3 of Schedule EI)	14
15	Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	15
16	Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)	16
17	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	17

Part 1	B-T	ΓI	Computation of tax liability on total income						
	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Scho AMT)	edul	e 1a				
Y		b	Surcharge on (a) (if applicable)		1b				
ILIT		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above		1c				
OF TAX LIABILITY		d	Total tax payable on deemed total income $(1a + 1b + 1c)$					1d	
AX I	2	Tax	payable on total income						
OF T		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI		2a				
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)		2b				
COMPUTATION			<b>Rebate on agricultural income</b> [applicable if (12-13) of F exceeds maximum amount not chargeable to tax]	Part	B-TI 2c				
MPU		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)					2d	
00	3	Reb	ate under section 87A					3	
	4	Tax	payable after rebate (2d - 3)					4	
	5	Suro	charge		Surcharge computed before marginal relief		narge after ginal relief		
		i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI	5i		ia			

		ii	@10% or 15%, as applicable (Refer instructi	ions)	5ii		iia			
			On [(4) – 15(ii) of Schedule SI – tax on incom		5iii					
			referred in 5(ii) above)] Total ia + iia						5iv	
									314	
	6	Heal	th and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)						6	
-	7		ss tax liability (4 + 5iv + 6)						7	
-	8	<u> </u>	on income without including income on per		£		17(2)(-	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	
-	8a	from	n employer, being an eligible start-up referred	d to in secti	on 8	0-IAC (8-8b)			8a	
	8b	emp	deferred - relatable to income on perquisites loyer, being an eligible start-up referred to in	section 80	-IAC	!			8b	
	8c		deferred from earlier years but payable duri rred on ESOP	ng current	AY	total of col 7 o	of sche	dule Tax	8c	
	9		lit u/s 115JD of tax paid in earlier years (appl dule AMTC)	licable only	if 7 i	s higher than I	!d) (ro	w 5 of	9	
	10		payable after credit u/s 115JD (8a + 8c - 9)						10	
	11	Tax	relief							
		a	Section 89(Please ensure to submit Form 10E	Ε)	11a					
		b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	-	11b					
		c	Section 91 (3 of Schedule TR)		11c					
		d	Total (11a + 11b + 11c)	l					11d	
	12	Net 1	tax liability (10 – 11d) (enter zero if negative)						12	
	13	Inte	rest and fee payable							
			Interest for default in furnishing the return (234A)	section	13a					
		h	Interest for default in payment of advance ta 234B)	x (section	13b					
		c	Interest for deferment of advance tax (section	n 234C)	13c					
			Fee for default in furnishing return of income 234F)	e (section	13d					
		e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c	c+13d)					13e	
•	14	Aggı	regate liability (12 + 13e)						14	
	15	Taxe	es Paid							
•		a	Advance Tax (from column 5 of 20A)		15a					
А		b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 og	f 20C)	15b					
TAXES PAID		c	TCS (total of column 7(i) of 20D)		15c					
TAXI		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)		15d					
		e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)						15e	
	16	Amo	ount payable (Enter if 14is greater than 15e, el	lse enter 0)					16	
	17	Refu	and (If 15e is greater than 14) (Refund, if any,	will be direc	ctly o	redited into th	e bank	account)	17	
Ţ	12		you have a bank account in India (Non-	Residents	cla	iming refund	d with	no bank	acco	ount in India Select Your No
BANK ACCOUNT		Sl.		of the Bank		Account Number	(Dro	of account opdown to rovided by ing utility)		elect Account for refund it (tick at least one accound
BAN		i								
		ii								
			: 1. All bank accounts held at any time are to case multiple accounts are selected, the refu rn.					idated acco	unts a	after processing the

		L																							
	ii.	Rows o	- res					acco	unt i	in In	dia	may, at	t the	eir op	otio	n, fu	rni	sh the	det	ails	of or	ne fo	oreig	n b	ank
		Sl. No.		IFT (	Code	Na	me of t	the Ba	ınk			Count	try (	of Lo	cati	ion			IJ	BAI	N				
		Rows				-																			
	19 Do you at any time during the previous year, (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India?  [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]												Yes			l No									
20 T.	AX PA	YMEN	ГS																						
A D	etails (	of payme	ents o	f Adva	nce Ta	x and	Self-As	ssessm	ent T	Гах															
SI	No	No BSR Code Date of Deposit (DD/MM/YYYY) Serial Number of Challan Amount (Rs)																							
`	(1) (2) (3) (4)										(5)														
SEL	i																								
NCE/	i:							$\perp$	1											$\downarrow$	$\perp$	$oxed{\bot}$			
ADVANCE/ SELF	ii i							$\perp$	<u> </u>	+-									1	$\downarrow$	$\perp$	igdash	$\sqcup$	_	4
Ì					<u> </u>				<u> </u>	~ 10	I		<u> </u>	~								L	Ш		
	OTE											sment to				5a &	15a	of Par	t B-1	[TT					
		of Tax D														1	-1	1J			T .4-1	4	1.4	د ـ د .	
3	l No			(TAN)	of the		Numbe oyer	21	Nam			Employe	Г	inco		Sala	ries	ole und	er		Total			ctea	ı
≿L	`	(2)						4			(3)					(4	1)						5)		
SALARY	,	1						_																	
TDS ON	Ι	[					<u> </u>																		
	Λ	OTE ►		Pleas	e enter	total	of colu	mn 5 ii	ı 15b	of P	art E	B-TTI										—			
C 1	etails	of Tax D	educ	ted at S	Source	(TDS	on Inc	ome [	As pe	er Fo	rm 1	6 A issu	ed o	or Foi	rm 1	6B/1	6C/	16E fu	rnis	hed	by De	duc	tor(s)	]	
S							brought Financial Year (TDS this Year				Year	(on	ly if	f Receipt/withdraw co		cr	TDS redit								
'	credit r No. of Deducto which forward (b/f) deducted during FY corresponding income is leading Other r/PAN/ TDS is 2024-25) being offered for tax this									ais oi	1616	u		ca											

1					` ′			•									
	Sl		PAN/	TAN of	Section	Unclain	ned	TDS of	the curr	ent	TDS c	redit be	ing c	laimed	Corresp	onding	TDS
	Ν	TDS	Aadhaa	the	under	TDS bro	ught	Financia	l Year ('	TDS	th	is Year	(only	if if	Receipt/v	vithdraw	credit
	0	credit		Deducto		forward	(b/f)	deducted	_	; FY		spondin	_		als of	fered	being
		relating		r/ PAN/	TDS is			202	4-25)			offered					carried
		to self		Aadhaar										if TDS is			forwar
		/other	(if TDS	No. of	d							lucted u		-,		1	d
		person	credit	Tenant/		Fin.	TD	Deducte			Claime			in the	Gross	Head of	1
		[spouse		Buyer		Year in		d in own			d in		•	ouse as	Amount	Income	1
			to other			which	b/f	hands	hands		own	-		ı 5A or			1
			person)			deducte			spouse		hands		-	erson as			1
		5A/othe				d			per sec			-		BA(2) (if			1
		r							5A or			ap	plica	ble)			1
		person							othe								1
		as per							person								1
		rule 37BA(2							per r								1
		)]							37BA(2 applica								1
	(1	(2)	(3)	(4)	4a	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	\	(11)	(12)	(13)
	(1	(2)	(3)	(4)	<b>4</b> a	(3)	(0)	(1)	(0)		(9)		(10)	'	(11)	(12)	(13)
	,								Incom	TD		Incom	TD	PAN/			
									e	S		e	S	Aadhaa			1
														r No.			1
Щ.	<u> </u>										l			L IAO.			<u> Ш</u>

	I Doto:	la of Toy (	Callacted at S	owner (TC)	C) [Ag now	Farm 27D	iganod b	r the Collecto	-(a)]				
D	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]												
TDS ON OTHER INCOME	SI. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37BA(2)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	brought for Fin. Year	med TCS orward (b/f) Amount b/f		the current fin. Year Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own	Claimed hands of per section any other	spouse as on 5A or person as 37-I(1) (if	TCS credit being carried forward	
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)		/)(ii)	(8)	
										TCS	PAN		
	i <i>NOT</i>	<b>TE</b> ▶ Please	e enter total of	column 7(i) i	n 15c of Pa	rt B- TTI							

#### VERIFICATION

I,		son/ daughter of	, solemnly dec	lare that to the best of my knowledge
and belief, the ir	nformation given in the re-	turn and schedules theret	o is correct and complete and is in accordance	ce with the provisions of the Income-
tax Act, 1961.				
I further declare	that I am making return	in my capacity as	and I am also competent to make the	nis return and verify it. I am holding
permanent accou	unt number(	if allotted) (Please see in	struction) I further declare that the critical as	sumptions specified in the agreement
have been satisf	ied and all the terms and c	onditions of the agreeme	nt have been complied with. (Applicable in a	case where return is furnished under
section 92CD)				
Date		Place	Sign here →	
If the return ha	s been prepared by a Ta	x Return Preparer (TR	P) give further details below:	
Identification N	No. of TRP	Name of TRP		Counter Signature of TRP
If TRP is entitle	ed for any reimburseme	nt from the Governmen	t, amount thereof"	

[F. No. 370142/15/2025-TPL] SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

**Note**.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, subsection(ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification GSR 286(E), dated the 01 May, 2025.

**Explanatory Memorandum-** It is hereby certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.